

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 117/2014

With

Original Application No. 102/2014

Shantanu Sharma

Applicant

Vs.

Union of India &Ors.

Respondent(s)

With

Sandplast (India) Ltd. &Ors.

Applicant (s)

Vs.

MoEF&Ors.

Respondent(s)

Index

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Report on status of ash utilisation by the Thermal Power Plants (TPPs) in compliance to Hon'ble NGT order dated 04.11.2020 in O.A. No. 117/2014, titled as Shantanu Sharma Vs. Union of India &Ors. with O.A No. 102/2014, titled as Sandplast (India) Ltd. &Ors. Vs. MoEF& CC &Ors.	
2.	Annexure-I: Status of utilization of Fly Ash by Thermal Power Plants during year 2020-2021.	
3.	Annexure-II: Status report in compliance of the Hon'ble NGT order dated 04.11.2020 in O.A. No. 117/2014, w.r.t direction issued under para 32(f) & 33(g) of earlier order dated 12.02.2020 in O.A. No. 117/2014.	
4.	Annexure-III: A copy of Hon'ble NGT order dated 04.11.2020.	

(Nazimuddin)
Scientist-E

Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi- 110032.

Date: 23.08.2021

Place: Delhi

Report of the Central Pollution Control Board

In compliance of Order dated 04.11.2020 in O.A. No. 117 of 2014 - Shantanu Sharma Vs UoI & Ors, with O.A. No. 499 of 2014 - Anupam Raghav & Anr. Vs UoI & Ors., and O.A. No. 102 of 2014 - Sandplast (India) Ltd. & Ors. Vs MoEF & Ors.

1. Directions to CPCB in Order dated 04.11.2020

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench passed the Order dated 04.11.2020, in Original Applications O.A. No.117 of 2014 - Shantanu Sharma Versus Union of India & Ors, with O.A. No. 499 of 2014 - Anupam Raghav & Anr. Versus Union of India & Ors, and O.A. No. 102 of 2014 - Sandplast (India) Ltd. & Ors. Versus MoEF & Ors (which may be read with the earlier order dated 20.11.2018 and 27.01.2020/12.02.2020):

"21. Report of CPCB filed on 04.09.2020 is to the effect that environmental compensation has been computed. Out of 112 plants, two have paid while 102 plants have sought exemption. List of 21 abandoned mines has been finalized for utilization of the fly ash. Action with regard to the directions (f) and (g) is pending finalization. Utilization status for 2018-2019 and 2019-20 has been monitored.

22. A report has been filed by the joint Committee constituted in terms of direction (f) of order dated 12.02.2020 on 06.09.2020 regarding Environmental Compensation for Vidhyanchal TPP and Essar TPP. The assessment of compensation is as follows:-

...

23. The recommendations in the report are as follows:-

...

24. Second report is by the Committee constituted in terms of direction (g) for assessment of compensation to the crop and agricultural productivity by Vidhyanchal TPP and Essar TPP. The Compensation has been assessed, for which recommendation is as follows:-

25. Let further steps be taken in terms of the above reports subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court in matters pending therein. Further progress report may be compiled by the MoEF in terms of direction (i) in the order dated 12.2.2020. CPCB may finalise the issue of compensation determination. We approve the reports of the joint Committees. Recovery of compensation will be as per directions of the Hon'ble Supreme Court wherever there is stay.

...

The CPCB, the MoEF&CC and the joint Committees may file their further status reports with regard to the status as on 30.4.2021 before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee is at liberty to take assistance of such other experts as they find necessary.

...”

2. Compliance of the orders to CPCB in Para 25 (in reference to Para 21)

The matters of the EC levied on power plants consequent to order dated 27.01.2020/12.02.2020 are pending in Hon'ble Supreme Court of India

CPCB has collected ash utilisation data from power plants pertaining to the year April 2020-March 2021. The summary status is at presented below.

3. Compliance of the orders to CPCB in Para 25 (in reference to Para 22&23 and Para 24)
(which are related to Para 32 f. and Para 32 g. of earlier order dated 27.01.2020/12.02.2020)

A compliance status report based on the compliance status/reports submitted by M/s NTPC Vidhyanchal TPP (on relevant Para 32 f.) and M/s Essar TPP (on both Para 32 f. & g.) is being submitted.

Status of Utilization of Fly Ash by Thermal Power Plants during year 2020-2021

Sl. No.	Name of Thermal Power Plants	State	Capacity (MW)	Coal / Lignite Consumption (Million Tonnes)	Total Ash Gen. (T)	Total Ash Utilization (T)	% Ash Utilization in 2020-21	Unutilised ash up to 31.03.2020 (Mill. Ton)	Unutilised ash up to 31.03.2021 (Mill. Ton)
1.	Vijayawada, APPGCL, Dr. Narla Tata Rao TPS	A.P.	1760	6.640436	2941374	2963370	100.75%	42	42
2.	Rayalseema, APPGCL	A.P.	1650	1.676004	730093	921480	126.21%	15.9	15.65
3.	Simhadri, NTPC	A.P.	2000	6.447	2448817	3024865	123.52% (121.69%)	16.55	15.15
4.	Simhapuri Energy Limited	A.P.	600	0	0	0	-	-	-
5.	Thamminapatnam, Meenakshi Energy Pvt. Ltd.	A.P.	300	0.109107	7439	495	6.65%	0	0.006944
6.	Damodaram Sanjeevaiah TPS	A.P.	1600	4.027513	1195286	1096090	91.70%	2.55	2.649197
7.	Sembcorp Energy India Ltd. P-2 (Sembcorp Gayatri TPP)	A.P.	1320	4.72585	458383	459422	100.23%	0.885	0.8835
8.	Sembcorp Energy India Ltd., P-1 Painampuram	A.P.	1320	5.262925	1339535	1389723	103.75%	2.882	2.832
9.	Vizag TPP, Hinduja	A.P.	1040	0.820631	324503	351912	108.45%	1.194492	1.167083
10.	Bongaigaon Thermal Power Project, NTPC	Assam	750	1.714175	524429	328996	62.73%	1.143005	1.338438
11.	Kahalgaon, NTPC	Bihar	2340	10.82	4016797	4154861	103.44% (86.09%)	66.52	66.5
12.	Muzaffarpur, NTPC Kanti Bijlee Utpadan Nigam Limited	Bihar	610	1.864	710083	749366	105.53%	1.979	1.94
13.	Barh, NTPC	Bihar	1320	5.367553	2039670	2204213.61	108.07%	6.372	6.2076
14.	Nabi Nagar TPS, BRBCL	Bihar	750	3.122168	1334947	379252	28.41%	0.775	1.730696
15.	Nabi Nagar Power G.C. NPGC Ltd.,	Bihar	660	2.87	1043130	538144	51.59%	0.81	1.314986
16.	Barauni TPS, NTPC	Bihar	720	0.851998	330445.6	198617.17	60.11%	0.059504	0.07523
17.	Hasdeo Thermal Power Station, Korba West	Chhattisgarh	1340	6.793113	2749477	1289482	46.90% (45.24%)	54.956	56.415995

18.	Korba, NTPC	Chhattisgarh	2600	13.96	4792714	3462532	72.25% (34.76%)	52.26	53.590183
19.	Korba, EAST CSPGCL	Chhattisgarh	240	0.915885	423074.97	138294.42	32.69% (16.74%)	33.442043	33.726824
20.	Raigarh Energy Gen. (KWPC), Adani Power	Chhattisgarh	600	2.230091	852208	305756	35.88%	0.985	1.531452
21.	Marwa, CSPGCL Atal Bihari Vajpayee, TPS	Chhattisgarh	1000	3.512433	1470253	1000313.43	68.04% (38.87%)	3.663709	4.133647
22.	Sipat, NTPC	Chhattisgarh	2980	15.026601	5247332	3025841.05	57.66% (48.17%)	35.05	37.271491
23.	Lara STPP, NTPC	Chhattisgarh	1600	3.705321	1352233	1005608	74.37% (65.86%)	0.564535	0.911197
24.	Jindal Power Tamnar, OP Jindal Power STPP Stage-1	Chhattisgarh	1000	3.498075	1582074	246699	15.59%	8.807	10.142376
25.	Tamnar, OP Jindal Power STPP Stage-2	Chhattisgarh	2400	6.798548	3063582	556019	18.15%	2.849436	5.357
26.	Lanco Amarkantak	Chhattisgarh	600	2.999343	1156533.06	515880.12	44.61% (42.88%)	5.563	6.473
27.	Kasaipalli, ACB	Chhattisgarh	270	1.2151	596424	655563	109.92%	0.746294	0.687155
28.	D B Power	Chhattisgarh	1200	5.81823	2645733	2600861	98.30%	2.283984	2.328855
29.	Akaltara, Mahanadi Power	Chhattisgarh	3600	6.695931	2356652	2907443	123.37%	1.0364	0.48561
30.	Balco TPS	Chhattisgarh	1200	5.645516	2214680.95	2306719.89	104.16% (78.81%)	2.713787	2.621748
31.	Uchpinda, RKM Power	Chhattisgarh	1440	3.27493	1406638	1406638	100.00% (99.60%)	0.526499	0.526499
32.	Raipur Energen (GMR) Adani	Chhattisgarh	1370	4.803733	1601531	1665253	103.98%	0.191	0.1275
33.	Maruti Clean Coal & Power Ltd	Chhattisgarh	300	1.400746	630330	649936	103.11%	0.348181	0.328574
34.	SV Power Pvt Ltd, Hardibazar ACB	Chhattisgarh	60	0	0	0	-	-	-
35.	SCPL Ratija, Spectrum Coal & Power	Chhattisgarh	100	0.602071	333186.06	333186.06	100.00%	0.411	0.411
36.	Nawapara TPS, TRN Energy	Chhattisgarh	600	1.588552	681364	201332	29.55%	0.888972	1.369004
37.	Dr. Shyama Prasad Mukherjee TPS, Korba	Chhattisgarh	500	2.305889	973085.16	426815.66	43.86% (24.10%)	17.652885	18.19478

38.	Bhilai TPS, NTPC & SAIL	Chhattisgarh	500	2.43547	1048080	617616	58.93%	3.67	3.879716
39.	SKS Ispat, Binjkote TPS	Chhattisgarh	1200	1.328831	582147.908	400675.98	68.83%	0.2	0.3814719
40.	ACBIL Chakabura	Chhattisgarh	60	0.406934	229769	229769	100.00%	0	0
41.	Gandhinagar, GSPCL	Gujarat	630	1.012327	355215	1116983.87	314.45%	6.50797764	5.74621
42.	Ukai, GSPCL	Gujarat	1110	3.112938	1198610.43	1176249.07	98.13%	12.9324	12.954761
43.	Wanakbori, GSPCL	Gujarat	2270	4.269501	1636490.14	1848476.21	112.95%	38.3416831	38.129697
44.	Sabarmati TPP, Torrent	Gujarat	362	0.7845	190406	220916	116.02%	1.034	1.003
45.	Sikka, GSPCL	Gujarat	500	0.908359.67	78539.27	298612.99	380.21%	1.180216	0.960143
46.	Kutch Lignite, GSECL	Gujarat	150	1.093297	276349	353529.1	127.93%	0.21112	0
47.	GSECL, Bhavnagar TPP	Gujarat	500	1.390182	142471	156630.01	109.94%	0.01683092	0.0056175
48.	OPG Power Gujarat Ltd, Bhadreshwar VPL	Gujarat	300	0.953286	40678.93	32962.06	81.03%	0.1966502	0.2049933
49.	Surat Lignite	Gujarat	500	3.070057	477176.88	477176.88	100.00%	0	0
50.	Adani, Mundra	Gujarat	4620	13.959881	679228	716479	105.48%	0.08	0.043
51.	Mundra, Tata Power, Coastal Gujarat	Gujarat	4150	10.304531	759538	636930	83.86%	1.635215	1.757822
52.	ESSAR Power, Hazira	Gujarat	270	0.694808	70502	70502	100.00%	0	0
53.	Essar Power, Gujarat Ltd., Salaya	Gujarat	1200	2.08599	221607	221809	100.09%	0	0
54.	Akrimota, GMDC	Gujarat	250	0.584566	155554.041	155554.041	100.00%	0	0
55.	Panipat, HPGCL	Haryana	710	0.826514	323754.45	3235278	999.30%	32.8	29.9
56.	Rajeev Gandhi, Hisar	Haryana	1200	1.15364	446387.82	694123.342	155.50%	5.042	4.8
57.	Indira Gandhi, Jhajjar	Haryana	1500	2.45	852456	1902232	223.15%	5.92	4.87
58.	Mahatma Gandhi, CLP Jhajjar	Haryana	1320	2.863124	1039831	1040635.62	100.08%	0.0003	0.0003
59.	Yamunanagar, Deenbandhu Chhoturam TPS	Haryana	600	1.801665	742466.546	1406831.671	189.48%	2.603	1.8007
60.	Bokaro A & B, DVC	Jharkhand	710	1.866791	796069.14	1003122.2	126.01%	1.461349	0.077
61.	Tenughat Thermal Power Station	Jharkhand	420	1.592463	517868.96	477327.69	92.17%	8.032	8.0725413
62.	Chandrapura, DVC	Jharkhand	500	1.91759	908564	1299730	143.05%	5.392	5.0008

63.	Koderma, DVC	Jharkhand	1000	4.41995	1960810.23	2373884.92	121.07%	1.35	1.11
64.	Maithon, DVC	Jharkhand	1050	4.020482	1648299.63	2187899.31	132.74%	0.62893812	0.089338
65.	Mahadeo Prasad STPP, Adhunik Power	Jharkhand	540	2.106947	871616.2	892717.9	102.42%	0.021102	0
66.	Jojobera T.P.CO.	Jharkhand	427.5	1.719285	621896	709368	114.07%	0.534082	0.44661
67.	Raichur, KPCL	Karnataka	1720	2.648665	1048960.96	1551044.73	147.86%	40.43311	39.931025
68.	Bellari, KPCL	Karnataka	1700	2.03704	804941	922584.12	114.62%	6.34	6.22
69.	Toranagallu TPS JSW Energy Ltd.	Karnataka	260	0.238	30749	30749	100.00%	0.11967	0.11967
70.	Toranagallu Extn TPS JSW Energy Ltd.	Karnataka	600	0.581612	82871	82871	100.00%	0	0
71.	NTPC Kudgi	Karnataka	2400	2.886931	981557	447293	45.57%	0.8187	1.352964
72.	Yermarus TPP	Karnataka	1600	1.977167	666899.19	449615.96	67.42%	0.56189	0.9478705
73.	Udupi Power Corp. Ltd., Adani	Karnataka	1200	0.988112	69326	69504	100.26%	0.03361296	0.033613
74.	Amarkantak, MPPGCL	M.P	210	0.998828	336514.59	218111.15	64.81% (56.35%)	3.199148	3.3175514
75.	Birsingpur, MPPGCL, Sanjay Gandhi TPS	M.P	1340	5.812747	2046282	2048429	100.10% (49.38%)	16.421123	15.64669
76.	Satpura, MPPGCL	M.P	1330	3.178191	1289011	1214194	94.20% (51.98%)	84.970154	85.044971
77.	Vindhyachal, NTPC	M.P	4760	25.009768	8713680	3285888	37.71%	74.7469	80.174691
78.	Gadarwara STPP, NTPC	M.P	1600	2.73	943940	78085	8.27%	0.286925	1.154335
79.	Khargone STPS, NTPC	M.P	1320	2.55337	900633	462158	51.31%	0.109392	0.547867
80.	Sasan, RPL	M.P	3960	18.22	5027016	2217552	44.11% (2.38%)	19.349039	22.158503
81.	Mahan, Essar Power MP	M.P	1200	2.056416	695545	284727	40.94% (33.77%)	0.11752	0.528338
82.	Bina, J P Power	M.P	500	13.057736	431577.08	432778.43	100.28%	0.2	0.2
83.	SHREE SINGAJI MPPGCL	M.P	2520	4.049333	1481555.993	645599.9	43.58%	6.882567	7.7185223
84.	Nigrie, J P Associates	M.P	1320	4.589386	1439906	1440500.37	100.04%	0.219	0.218457
85.	Jhabua Power Ltd., Seioni	M.P	600	2.583464	1033385	722001	69.87%	0.581104	0.892489

86.	M. B Power Annapur	M.P	1200	4.626009	1540524	1751585.64	113.70%	1.63437724	1.4233066
87.	Trombay, Tata Power	Maharashtra	750	1.675293	41524.64	42200.64	101.63%	0	0
88.	Khaperkheda, Mahagenco	Maharashtra	1340	6.856487	2873718.94	1421983.05	49.48%	25.984519	27.436255
89.	Nasik, Mahagenco	Maharashtra	630	0.643532	249370	4189115	1679.88%	14.309027	10.3792
90.	Koradi , Mahagenco	Maharashtra	2400	6.709392	2811456	2276198	80.96%	30.67	31.205258
91.	Bhusawal, Mahagenco	Maharashtra	1210	3.736826	1445027.16	1529904.65	105.87%	6.82	6.7496
92.	Chandrapur Super TPS, Chandrapur	Maharashtra	2920	12.711374	5000964	857720	17.15%	73.164	77.328
93.	Paras, Mahagenco	Maharashtra	500	2.627329	1014591	1006404.45	99.19%	1.75709345	1.76528
94.	Parli, Mahagenco	Maharashtra	750	1.789326	781774	4334819	554.48%	22.1399	20.419616
95.	Dahanu, Adani Power	Maharashtra	500	1.788032	375348	422833	112.65%	0.11	0.0622
96.	Sai Wardha, Warora	Maharashtra	540	1.355476	381997.56	410412.1	107.44%	0.028415	0
97.	Solapur NTPC	Maharashtra	1320	2.37	758118	743579	98.08%	0.000461	0.015
98.	JSW Ratnagiri, Nandiwade	Maharashtra	1200	2.54	286287	286287	100.00%	0.049625	0.049625
99.	Mihan, Abhijeet	Maharashtra	246	0	0	0	-	-	-
100.	Mouda, NTPC	Maharashtra	2320	4.49	1706152	2196867	128.76% (110.80%)	1.53	1.04
101.	Bela, Purti Grpoup	Maharashtra	270	0	0	0	-	-	-
102.	Amarawati, RattanIndia	Maharashtra	1350	1.63769	528556	603461	114.17%	0.745269	0.670367
103.	Nashik RattanIndia, Sinnar TPS	Maharashtra	1350	0	0	0	-	-	-
104.	GMR Warora Energy Ltd.	Maharashtra	600	2.498498	834199	1120158	134.28%	0.648	0.263
105.	Butibori, Vidarbha Ind. Power	Maharashtra	600	0	0	0.03	-	0.03	0
106.	Tirora, Adani Power	Maharashtra	3300	11.47015	3780001	4540392	120.12%	7.64	6.8902
107.	Dhariwal, Dhariwal Infrast. Ltd	Maharashtra	600	2.744739	931326	945976	101.57%	0.01465	0
108.	GEPL TPP Gupta Energy Pvt. Ltd	Maharashtra	120	0	0	0	-	-	-
109.	Vedanta Jharsuguda TPS	Odisha	2400	11.47	4873137	5998863.575	123.10% (106.88%)	7.523	6.397

110.	Kamalanga, GMR	Odisha	1050	5.166811	2060592.321	2382151	115.61%	1.075	1.075
111.	Talcher Kaniha, NTPC	Odisha	3000	16.49	6844278	4808775	70.26% (29.59%)	85.77	87.54
112.	Talcher, NTPC	Odisha	460	3.05	1187122	1189164	100.17%	2.471	2.471
113.	IB Valley, Jharsuguda (U-1,2)	Odisha	420	2.468	1096385	730990	66.67%	7.624	9.94
114.	IB Valley, Jharsuguda (U-3,4)	Odisha	1320	4.76	2125576	484577	22.80%	1.019	0.928
115.	Derang , JIPL Jindal India TP Ltd.,	Odisha	1200	4.348308	1782120	1034711	58.06% (30.23%)	3.83	4.577409
116.	Ind Bharath TPP	Odisha	350	0	0	0	-	-	-
117.	Darlipalli STPP, NTPC Ltd.	Odisha	800	3.329238	1365977	54618	4.00%	0	1.311359
118.	Ropar PPCL, Guru Gobind Singh TPS	Punjab	840	0.610447	216957.51	1721216.62	793.34%	22.12	20.62
119.	Lehra Mohabbat,PPCL	Punjab	920	0.606079	231423	244161	105.50%	6.644	6.631
120.	Rajpura, Nabha Power	Punjab	1400	4.23676	1420316	1426963	100.47%	0.02	0.01
121.	Talwandi sabo TPS, Vedanta	Punjab	1980	4.883791	1935129	1167432	60.33%	2.499	3.266698
122.	Goindwal Sahib, GVK Power	Punjab	540	0.854497	288491	245487	85.09%	0.288	0.332023
123.	Kota, STPS RRVUNL	Rajasthan	1240	3.67829	1376549.51	1766447.3	128.32%	0.336225	0.336225
124.	Suratgarh, RRVUNL	Rajasthan	1500	0.656021	235960	1414288.8	599.38%	9.07	7.897
125.	Chhabra TPS, RRVUNL	Rajasthan	1000	4.013017	1292030	1127284	87.25%	0.273854	0.43845
126.	Chhabra STPS, RRVUNL	Rajasthan	1320	4.508651	1485205.2	741548.25	49.93%	0.815786	1.559443
127.	Barsing Sagar Lignite, NLC	Rajasthan	250	1.258991	184309.35	184309.35	100.00%	0	0
128.	Giral Lignite TPP, RRVUNL	Rajasthan	250	0	0	0	-	-	-
129.	JSW Energy Barmer (Raj West Power) Jalippa-Kapurdi,	Rajasthan	1080	5.942559	889480.05	915367.4	102.91%	0.167	0.142
130.	Kalisindh TPP, RRVUNL	Rajasthan	1200	3.539528	1113162.21	1324647	119.00%	0.277014	0.054445
131.	Kawai, Adani Power	Rajasthan	1320	4.846916	1413446	1612183	114.06%	0.3512298	0.152114
132.	Tuticorin , Tangedco	Tamilnadu	1050	3.438814	1052489	735430	69.88%	40.620905	40.937964
133.	North-Chennai, Tangedco, NCTPS	Tamilnadu	630	2.332509	908477	2332848	256.79%	2.594	1.15

134.	North-Chennai, Tangedco, Stage -II	Tamilnadu	1200	2.945551	1110023	1775993	160.00%	3.72	3.05403
135.	Mettur TPS, Tangedco	Tamilnadu	840	2.7602	902507.929	1345906.15	149.13%	19.19	18.746
136.	Mettur Extn. Tangedco	Tamilnadu	600	1.031769	305653.115	305653.115	100.00%	0	0
137.	Neyveli Lignite, NLC TPS-1	Tamilnadu	500	0.81175	39208	28468	72.61% (71.35%)	0	0.01123
138.	Neyveli Lignite, NLC TPS-1 Expn	Tamilnadu	420	2.842	176533.74	176533.74	100.00% (95.79%)	0	0
139.	Neyveli Lignite, NLC TPS-2	Tamilnadu	1470	7.618978	455667.6	1611252.6	353.60% (333.49%)	9.31	8.15
140.	Neyveli Lignite, NLC TPS-2 Expn	Tamilnadu	500	2.0314	135634	135633.59	100.00%	0	0
141.	Neyveli New TPS, NLC	Tamilnadu	1000	3.36723	208854	208854	100.00% (94.20%)	0	0
142.	NLC Tamilnadu Power Ltd, JV	Tamilnadu	1000	3.509459	1144904.71	1144904.71	100.00%	0	0
143.	Vallur, NTPC	Tamilnadu	1500	3.222	1276783	1567903	122.80%	5.098	3.648
144.	TAQA Neyveli (ST-CMS)	Tamilnadu	250	0.899534	50340	114060	226.58%	0.308727	0.245007
145.	Mutiara, Coastal Energy	Tamilnadu	1200	1.457818	63182	66562	105.35%	0.00015	0
146.	IL&FS TPP, Cuddalore	Tamilnadu	1200	2.389612	125951.74	112302.57	89.16%	0.02105	0.0346992
147.	Ind Bharath Thermal Power Ltd, Tuticorin	Tamilnadu	300	0	0	0	-	-	-
148.	Ramagundem, NTPC	Telangana	2600	10.54	3857530	4285024	111.08% (106.65%)	69.65	69.22
149.	Ramagundam B, TSGENCO	Telangana	62.5	0.210412	88966.84	101500	114.09%	0.9	0.887466
150.	Kothagudem O&M TPS, TSGENCO (1-4 stage)	Telangana	720	0	0	0	-	22.73	22.73
151.	Kothagudem V Stage TPS, TSGENCO	Telangana	500	2.15126	1005094.9	456614.32	45.43% (34.30%)	77.7	78.24848
152.	Kothagudem VI Stage TPS, TSGENCO	Telangana	500	1.933165	684584.01	508285.71	74.25%	0	0
153.	Kothagudem VII Stage TPS, TSGENCO	Telangana	800	2.794311	814163.65	442623.6	54.37%	0.803013	1.1745531
154.	SINGARENI TPP, SCCL	Telangana	1200	4.304218	1571274	1686450	107.33%	0.505	0.505

155.	Kakatiya, TSGENCO	Telangana	1100	3.305352	1128086.7	883697.49	78.34%	4.33519	4.5768795
156.	Singrauli, NTPC	U.P.	2000	9.483648	2984279	997051	33.41%	73.62	75.607228
157.	Anpara A, B & D, UPVUNL	U.P.	2630	9.895275	3360942.32	918990.1	27.34%	55.6764252	58.118377
158.	NCTPS, Dadri, NTPC	U.P.	1820	2.7	940543	941341	100.08%	0	0
159.	Rihand, NTPC	U.P.	3000	14.023336	3921761	2039947	52.02%	36.74	38.621814
160.	Unchahar, NTPC	U.P.	1550	5.17	1977162	3290260	166.41%	7.2	7.2
161.	Tanda, NTPC	U.P.	1760	4.01182	1674248	2810265	167.85%	3.58	3.58
162.	Paricha, UPVUNL	U.P.	920	2.622034	1084433.88	1085255	100.08%	8.5675	8.5675
163.	Obra B, UPVUNL	U.P.	1000	3.473854	1408922	80727	5.73%	1.027	2.355196
164.	Harduaganj, UPVUNL	U.P.	610	1.400699	558997	1390925	248.83%	8.512331	7.680403
165.	Rosa, Power Supply RPL	U.P.	1200	4.016799	1406092	5012037	356.45%	1.005423	1.005423
166.	Barkhera, Piliphit, Bajaj Energy	U.P.	90	0.139178	45939	45939	100.00%	0	0
167.	Khambarkhera, Lakhimpur, Bajaj Energy	U.P.	90	0.138986	43517	43517	100.00%	0	0
168.	Kundarkhi, Bajaj Energy	U.P.	90	0.1794348	58178	58178	100.00%	0	0
169.	Utraula, Balarampur, Bajaj Energy	U.P.	90	0.195644	62476	62476	100.00%	0	0
170.	Maqsoodpur, Bajaj Energy	U.P.	90	0.143237	44789	44789	100.00%	0	0
171.	Anpara C, Lanco Power	U.P.	1200	5.394845	1749338	295285	16.88%	12.128948	13.583
172.	Lalitpur, Bajaj Energy	U.P.	1980	4.266	1440171	1743024	121.03%	0.21	0.159
173.	Prayagraj Power Generation C, Ltd	U.P.	1980	6.384331	2002185	2007902	100.29%	1.962929	1.957212
174.	NTPC Meja, MUNL	U.P.	1320	2.7325	1024916	572211.6	55.83%	0.2487	0.69718
175.	Farakka, NTPC	West Bengal	2100	8.203905	2849588	3616166.71	126.90%	40.009	39.28
176.	Budge-Budge, CESCL	West Bengal	750	3.165809	1043093	1043093	100.00%	0	0
177.	Titagarh, CESCL	West Bengal	240	0	0	0	-	-	-
178.	Southern, CESCL	West Bengal	135	0.063913	21117	21117	100.00%	0	0
179.	Mejia TPS Bankura, DVC	West Bengal	2340	8.470244	3954689.39	2724786.21	68.90%	1.17484828	2.4047

180.	Durgapur Steel TPS, DVC Andal	West Bengal	1000	3.746896	1731184	1507283	87.07%	5.03	5.250289
181.	Durgapur, DVC	West Bengal	210	0.108646	53615.85	106715.95	199.04%	3.18135	3.12825
182.	Raghunathpur, DVC	West Bengal	1200	3.167467	1389251.152	193550.35	13.93%	1.214936	2.4106368
183.	Durgapur Projects Ltd.	West Bengal	550	1.732701	633486.87	564975.98	89.19%	0.699	0.767511
184.	Santaldih, WBPDC	West Bengal	500	2.279047	1042268	1207853	115.89%	3.97	3.805
185.	Sagardighi, WBPDC	West Bengal	1600	6.066456	2158236	1498730	69.44%	6.757118	7.416625
186.	Barkeshwar, WBPDC	West Bengal	1050	4.68827	1750143.15	1468440.95	83.90%	8.305	8.5703328
187.	Kolaghat, WBPDC	West Bengal	1260	1.387082	592095	954178	161.15%	0.327	0.024
188.	Bandel, WBPDC	West Bengal	335	0.808247	325022	329914	101.51%	0.196946	0.195819
189.	Hiranmaye Energy India Limited, Haldia Power	West Bengal	300	0.336531	146088.16	146088.16	100.00%	0	0
190.	Dishergarh TPS	West Bengal	12	0.30552	16092.9	16092.9	100.00%	0	0
191.	Haldia, Coastal Energen	West Bengal	600	2.811396	958691	958691	100.00%	0	0

Note: There are 27 TPPs which have mentioned the quantity of ash disposal in 'ash dyke raising' as utilization. In such cases % utilization excluding ash disposal in ash dyke raising has been mentioned under the brackets.

Summary of Ash Generation and Utilization during year 2020-21

- No. of Thermal Power Stations : 191
- Capacity (MW) : 2,13,030 MW
- Coal consumed : 672.130 Million Tonnes
- Fly Ash Generation : 222.789 Million Tonnes
- Fly Ash Utilization : 205.098 Million Tonnes
- Percentage Utilization : 92.06%
- Legacy based ash stored till 31.03.2021 : 1670.602 Million Tonnes

**Status report in compliance of the Hon'ble
NGT order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of
2014 w.r.to direction issued under Para 32
(f) & 32 (g) of earlier order dated 12.2.2020
in O.A. 117 of 2014**

Index

S.No.	Particulars	Page no.
1.	Status report in O.A. 117 of 2014 order dated 04.11.2020 by committee constituted under Para 32 (f) & (g) of earlier order dated 12.2.2020 in O.A. 117 of 2014	1-2
2.	<u>Annexure - 1 (NTPC, 32f)</u> The status submitted by M/s NTPC Vidhyanchal TPP in compliance of the above committee recommendations constituted under Para 32f of the order dated 12.2.2020 in O.A. 117 of 2014	3-64
3.	<u>Annexure-2 (Essar-32f)</u> The status submitted by M/s Essar TPP in compliance of the above committee recommendations constituted under Para 32f of the order dated 12.2.2020 in O.A. 117 of 2014	65-298
4.	<u>Annexure-3 (Essar-32g).</u> The status submitted by M/s Essar TPP in compliance of the above committee recommendations constituted under Para 32g of the order dated 12.2.2020 in O.A. 117 of 2014	299-307

Status report in compliance of the Hon'ble NGT order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of 2014 w.r.to direction issued under Para 32 (f) & 32 (g) of earlier order dated 12.2.2020 in O.A. 117 of 2014

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 4.11.2020 in Original Application No. 117/2014 in the matter of Shantanu Sharma Versus Union of India & Ors. directed as:

"The CPCB, the MoEF&CC and the joint Committees may file their further status reports with regard to the status as on 30.4.2021 before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee is at liberty to take assistance of such other experts as they find necessary".

Hon'ble NGT vide its earlier order dated 12.2.2020 directed to constitute 02 joint committee under Para 32 (f) & (g) as:

32 (f) A Committee comprising of CPCB and IIT Roorkee may assess the environmental damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP an Essar TPP in Singrauli area and submit its recommendation within three months. CPCB shall be at liberty to engage any other technical expert for this purpose.

32(g) The Committee comprising of Collector , CPCB and Member Secretary of MP State Pollution Control Board may assess the damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP and Essar TPP in Singrauli area to the crop and agricultural productivity and ensure effective restoration/remediation of affective sites within three months.

The joint committee of IIT Roorkee & CPCB constituted in compliance of the direction given under Para 32(f) has submitted its report on 06.09.2020 regarding Environmental Compensation for M/s NTPC Vidhyanchal TPP and M/s Essar TPP. The Committee has assessed the environmental damage based on the available monitoring reports, field reports and literature. The brief on damage cost is as tabulated below:-

Industrial Unit	GHG emission damage cost in Crore Rs.	Water pollution/environmental property/other damage cost in Crore Rs.	Total in Crore Rs.
M/s Essar Power MP Ltd	0.0711	7.28	7.3511
M/s NTPC Vindhnapur	0.0384	104.13	104.1684



The recommendations in the report are as follows:-

- i. Industrial units have engaged professional institute NEERI, Nagpur to assess the damage; the institute needs to assess the site specific long term direct or indirect impact on the flora fauna, human health and consumptive cost.
- ii. Industrial units need to comply for 100 % fly ash utilization to avoid such incidence in future.
- iii. To install monitoring stations on the affected sites, to continuously monitor the movement of plume underground or the leaching of toxic heavy metals from the sediment
- iv. Industrial units need to take care for the health of workers employed for spill clean-up working.”

The status submitted by M/s NTPC Vidhyanchal TPP and M/s Essar TPP in compliance of the above committee recommendations are enclosed as Annexure - 1 (NTPC, 32f) and Annexure-2 (Essar-32f) respectively.

-----0-----0-----0-----
The joint committee of Collector , CPCB and Member Secretary of MP State Pollution Control Board constituted in compliance of the direction given under Para 32(g) has submitted its report with following recommendations

- a. The Essar Power M.P. Ltd. Village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P) shall be directed to compensate for indirect loss of Rabi Crop of Rs. 2014200/-
- b. The Essar Power M.P. Ltd. Village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P) may depute an agricultural institute for the assessment of damage to the crop productivity w.r.t. the Kharif and Rabi crop cultivated in 41 Ha of Village Karsualal and Karsuaraja for 2020-21 & 2021-22.”

The status submitted by M/s Essar TPP in compliance of the above committee recommendations are enclosed as Annexure-3 (Essar-32g).



(Sunil Kumar Meena)
Scientist-D

Central Pollution Control Board, Bhopal



A Maharatna Company

Annexure - 1 (NTPC, 32f)

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

विंध्याचल/ VINDHYACHAL

Ref.No.060/EMG/2021/0313

Date: 13.03.2021

To
Sh. Sunil Kumar Meena,
Scientist – D,
Central Pollution Control Board,
Bhopal.

Sub. Status Report in connection with NGT order dated 04.11.20 (OA 117/2014)

Ref. Your letter no. RD-Bhopal/NGT OA 117/2014/156 dtd 18.01.21

Dear Sir,

With reference to your letter on the subject matter, following is the status of the recommendations of the said committee:

S.No.	Recommendation	Status
1.	Industrial Units have engaged NEERI, Nagpur to assess the damage; the institute needs to assess the site specific long term direct or indirect impact on the flora fauna, human health and consumptive cost.	NEERI has submitted the pre-lim report in Nov'20. Final draft of the report is expected by 31 st Mar'21.
2.	Industrial units need to comply for 100 % fly ash utilisation to avoid such incidence in future.	Road map for achieving 100% ash utilisation has been prepared and is attached as Annexure 1 . May please note that NTPC Vindhyachal is making all efforts to comply with all the provisions of the MoEF notification on fly ash for TPPs, like doorstep delivery of fly ash to fly ash based industry and for road construction work and has even gone beyond that by providing financial incentive to cement industry to lift ash from its premises. Due to the continuous efforts of NTPC Vindhyachal, fly ash filling in the abandoned coal mine of GORBI of NCL, which was declared abandoned sometime in 1996-97, and which is now filled with about 14-17 Million m3 of acidic water, may soon be started. The endeavor will not only enhance ash utilisation of NTPC Vindhyachal but will mitigate a major environment hazard created due to acidic water in the mine pit and will eventually help in reclamation of a vast expanse of abandoned land. But in spite of its efforts, the non-fulfillment of consumption-side provisions of the fly ash

VINDHYACHAL SUPER THERMAL POWER STATION, P.O.-VINDHYANAGAR, DISTT: SINGRAULI (M.P.) - 486 885



Maharatna Company

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

विंध्याचल/ VINDHYACHAL

		notification like mandatory mixing of 25 % flyash in over-burden by coal mines (which alone is enough for ensuring 100 % ash utilisation), mandatory use of fly ash based construction material within 300 kms of the TPPs, mandatory use of fly ash in road construction within 300 kms of TPPs, mandatory use of fly ash in reclamation and compaction of low lying areas etc has seriously affected the actual ash utilisation.
3.	To install monitoring stations on the affected sites, to continuously monitor the movement of plume underground or the leaching of toxic heavy metals from the sediment.	Regular monthly monitoring of the ground water quality around the site of ash spill is being done. First monitoring was done in November.
4.	Industrial Units need to take care for the health of workers employed for spill clean-up working.	Complied.

With regard to the damage cost deposition, Hon'ble NGT under Para 25 of order states the following:

“Let further steps be taken in terms of the above reports subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court in matters pending therein. Further progress report may be compiled by the MoEF in terms of direction (i) in the order dated 12.2.2020. CPCB may finalise the issue of compensation determination. We approve the reports of the joint Committees. Recovery of compensation will be as per directions of the Hon'ble Supreme Court wherever there is stay.”

The committee report placed before the Hon'ble NGT did not state that the Environmental Damage was of Rs. 104 Crores. The report specifically mentions that in as much as the environmental damages at 104 crores was concerned, the same contains a specific limitation that it is just preliminary in nature and further discussion/vetting is to be initiated once a report by NEERI is received.

The limitation clause of the report is reproduced below:

“4. Limitations

- i. The above assessment is just preliminary for a guidance purpose. As per the information, NEERI has been professionally engaged by both the industrial units to perform a detailed assessment. **Further discussion/vetting on such report may be initiated when the same is made available to the committee.**
- ii. In absence of long term site specific studies in Indian context, one-time monitoring, sampling is not adequate to assess the damage cost.”



Aaharatna Company

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

विंध्याचल/ VINDHYACHAL

Moreover, NTPC Vindhyachal has also filed an Appeal before the Hon'ble Supreme Court challenging the order passed by Hon'ble NGT and the reports submitted therein; listing is awaited.

Regards.

(M.K.Jain)
Addl. General Manager,
(Env. Management),
NTPC-Vindhyachal

100% ASH UTILIZATION PLANUOM: LMT

	2021-22	2022-23	2023-24
Expected Ash Gen	80	80	80
Transportation cost sharing Incentive Scheme for Cement Plants	6	6	4
Supply to Cement Plants through rail transportation	3	10	13
Utilisation in OB mixing	4	13	32
Mines Filling	4	5	7
Waste land development	10	15	8
Brick Manu. & other Fly ash based industry	2.5	3	3
Road Construction	10	15	10
Ash Dyke Raising	8	2	0
Ash Park (Rewa)	0.2	0.5	1
Ash Mound	0.3	1.5	2
Total AU	48	71	80
AU%	60%	90%	100%

Expected Ash Utilization in 2020-21: 38 %**EXTERNAL SUPPORT REQUIRED**

- Implementation of Demand side provisions of MoEF notification on fly ash utilization including mandatory use of fly ash bricks and OB mixing with fly ash.
- Creation of requisite rail/road infrastructure to support ash evacuation from the region to ensure 100 % ash utilization.
- Clearance for ash filling in GORBI mines.
- Early clearance of Waste Land Development proposals.

Initiatives & Measures taken by NTPC Vindhyachal to improve ash utilization

1. Efforts are being made to start GORBI mine filling within a short period of time. Since the mine void is filled with water of very low pH, all care has to be taken to ensure that no environmental hazard is created and clearances from regulatory/statutory authorities are obtained before start of work. MPPCB has given elaborate and detailed terms and conditions for allowing permission for ash filling. Based on the interim Environment Study reports, NTPC Vindhyachal has approach MPPCB again on 23.01.21 for interim clearance. MoEF has already clarified that no separate clearance from them is required as long as the CPCB guidelines on mine filling are followed and the same will be complied with. Work is also in progress to comply with DGMS requirements.
2. Supply of fly ash to Cement Manufacturers started in July'20 under Incentive scheme for making it financially viable for them to lift ash from VSTPS.
3. VSTPS is regularly taking up the work of Waste Land Development of Govt/Public/Private land using fly ash at various locations within 100 kms of Plant radius. Total ash utilisation in these contracts is expected to be around 8.5 LMT in the financial year 2020-21. Contract for the works have already been awarded.
4. VSTPS has been continuously following up with NHAI for getting requirement for ash in road construction. A requirement of about 10 lac MT has now been received from NHAI, Varanasi and supply of ash has been started in Aug'20. VSTPS is committed to provide ash to all projects under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna and asset creation programmes of the Government involving construction of buildings, road, dams and embankments within 300 kms of the Plant as and when the requirement is received.
5. Fly ash transportation by rail to Satna/Rewa region and other places for reducing transportation cost is planned. NTPC is procuring 3 rakes of BTAP wagons for the purpose at a cost of ~ 60 crores. Rail loading facility is expected to become functional by June'21. However, in the meantime, rail transport of fly ash filled in bags is being done on trial basis.
6. Ash park has been set up at Rewa where fly ash transported in 50 kg bags from VSTPS is made available to the ash based industries in the region. Vindhyachal has been the first Plant in the region to start such an initiative. Ash bagging machines have been installed for the purpose in the SILOs at Vindhyachal. Bagging machines for Jumbo bag filling (1-1.5 T) are also planned to be installed.
7. VSTPS has started supplying fly ash to the ash based industries within 100 kms from the Plant. Free of cost Door step delivery is being made. Again, Vindhyachal is the first Plant in the region to start such an initiative
8. Contract for door step delivery of fly ash to ash based industries up to 300 kms distance from the Plant has been awarded.
9. VSTPS is actively following up with Distt Administration for awarding any abandoned quarries which can be developed using ash. One no. of stone quarry was awarded to VSTPS in Makrohar region where ash filling has been completed.
10. VSTPS has approached IIT-Roorkee, IIT-Delhi and other vendors for construction of Ash Mound as a pilot project.
11. VSTPS is making around 75,000 ash bricks/day for its own use. No red brick is used for any construction activity within Plant or township.
12. Consistent efforts are being made by VSTPS requesting NCL for mixing of fly ash with OB but so far the efforts have not yielded fruit.

*Environmental damage cost assessment due to Ash
dyke breach at NTPC, Vindhyachal*

Sponsor

NTPC, Vindhyachal, Madhya Pradesh



ISO 9001:2008

**CSIR-National Environmental Engineering Research
Institute (CSIR-NEERI)**

(Under Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi)

Nehru Marg, Nagpur – 440 020

November 2020

CONTENTS

ABBREVIATION.....	Error! Bookmark not defined.
Chapter I Introduction.....	2
1.1 Background:.....	3
1.2 Objectives:	4
1.3 Report Layout:	4
CHAPTER II Study area.....	5
2.1 Location	6
2.2 Topography	7
2.3 Geology.....	8
2.4 Hydro-Meteorology	9
2.4.1 Temperature	9
2.4.2 Rainfall.....	9
Chapter III Methodology for data collection	11
3.1 General.....	12
3.2 Land-use/Land-cover classification	12
3.3 Delineation of the watershed and selection of water sampling locations	13
3.4 Groundwater level measurement	15
3.5 Groundwater sampling and analysis	16
3.6 Soil sampling:	16
3.6.1 Background information	16
3.6.2 Field study and observation	16
3.6.3 Method of Sampling	17
3.6.4 Sampling of soil	18
3.6.5 Analysis of Soil Samples and Analytical Methods.....	19
3.6.6 Soil Processing:.....	20

3.6.7 Grinding & Sieving.....	20
3.6.8 Sieving	20
3.6.9 Analytical methods of soil samples:	21
3.7 Bioaccumulation of Heavy metals in Flora	23
3.7.1 Plant Sampling.....	23
3.7.2 Sample preparation	24
3.7.3 Plant sample analysis	24
3.8 Ash characterization.....	25
Chapter IV Results & Discussion	26
4.1 Remote sensing Analysis:	27
4.2 Ground water level.....	29
4.3 Water quality.....	29
4.4 Soil Analysis	38
4.5 Results of Bioaccumulation analysis of Heavy metals in Flora	46
References.....	50
Annexure I	53

LIST OF FIGURES

Figure 2.1: Proposed study area at Vindhyanchal, Singrauli District, Madhya Pradesh.....	6
Figure 2.2: Topography map of the study area	7
Figure 2.3: Geological map of the study area	8
Figure 2.4: Average, Maximum & Minimum Temperature (2009-2019) of the study area.....	9
Figure 2.5: Cumulative rainfall (2009-2019) of the study area	10
Figure 3.1: Basemap of the study area.....	13
Figure 3.2: Water level measurements in the study area	15
Figure 3.3: Sampling by Hand Augur.....	19
Figure 3.4: Prominent plant samples collected in and around the study area (A- Calamagrotis acutiflora, B- Cyperus rotundus).....	24

Figure 4.1: Satellite imageries of May 17 2019 (left image) and October 12 2019 (right image) showing the before and after ash-dyke breach respectively.27

Figure 4.2: Satellite imageries showing the before and after ash-dyke breach, i.e., June 10 2019 (left image) and October 12 2019 (right images) respectively28

LIST OF TABLES

Table 1.1: Details of the Ash dykes of NTPC-Vindhyanchal.....3

Table 3.1: Sampling details of water samples 14

Table 3.1: Details of soil samples collected from the NTPC, Vindyanchal 17

Table 3.2: List of 35 parameters with their standard methods for analysis 19

Table 3.3: Particle size of soil components21

Table 3.4: Category of Heavy metals as per their toxicity25

Table 4.1: Area of ash-spillage on different LU/LC Classes.....28

Table 4.2: Water level details in observation well network.....29

Table 4.3: Concentration of major cations/anions for the collected water samples (February, 2020)32

Table 4.4: Concentration of heavy metals for the collected water samples (February 2020) .35

Table 4.5: Concentration of heavy metals for the collected water samples (August 2020)37

Table 4.6: Cation exchange capacity (CEC), Exchangeable Cations Content and Exchangeable sodium percentage (ESP) of soil.....40

Table 4.7: Cation exchange capacity (CEC), Exchangeable Cations Content and Exchangeable sodium percentage (ESP) of soil.....42

Table 4.8: Heavy Metal Concentration in samples collected from fly ash target sites.....43

Table 4.9: Heavy Metal Concentration in samples collected from control sites44

Table 4.10: Analysis of heavy metals in plant samples during August 202047

Table 5.1: List of Plants collected in and around the study area53

Abbreviation

MCM	<i>Million Cubic Metres</i>
CPCB	<i>Central Pollution Control Board</i>
MPPCB	<i>Madhya Pradesh Pollution Control Board</i>
CSIR-NEERI	<i>Council Of Scientific And Industrial Research National Environmental Engineering Research Institute</i>
CGWB	<i>Central Groundwater Board</i>
LULC	<i>Land Use Land Cover</i>
FCC	<i>False Colour Composite</i>
NIR	<i>Near Infrared</i>
ISODATA	<i>Iterative Self-Organizing Data Analysis</i>
USEPA	<i>United States Environmental Protection Agency</i>
CEC	<i>Cation Exchange Capacity</i>
ESP	<i>Exchangeable Sodium Percentage</i>
BGL	<i>Below Ground Level</i>
AMSL	<i>Average Mean Sea Level</i>
BDL	<i>Below Detection Limit</i>
BIS	<i>Bureau Of Indian Standards</i>
DW	<i>Dugwell</i>
EC	<i>Electrical Conductivity</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
HP	<i>Hand Pump</i>
ICP-OES	<i>Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy</i>
ICP- MS	<i>Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy</i>
ND	<i>Not Detected</i>
MP	<i>Measuring Point</i>
DTW	<i>Depth to water</i>
SW	<i>Surface water</i>

Chapter I Introduction

1.1 Background:

The Vindhyachal Thermal Power Station operated by National Thermal Power Corporation (NTPC) is in the Singrauli district of Madhya Pradesh, India. The power plant was commissioned in 1987. It is the largest coal-fired power station in India, having an installed capacity of 4,760 MW (Stage I: 1260 MW, Stage II: 1000 MW, Stage III: 1000MW, Stage IV: 1000MW, and Stage V 500 MW). It is the world's 9th largest coal-based power plant in terms of installed capacity.

The coal for this power plant is sourced from Nigahi mines, which is approximately 0.5 km north of the power plant. The power plant generates approximately 7.311 MT of fly ash annually. The water for the power plant is obtained from the NTPC Shaktinagar canal. The contractual quantity of water is 149 MCM/year, and the actual consumption is 112 MCM/year. The ash is hydraulically disposed of in the form of water-slurry in the six ash dykes., namely V1, V2, V3A, V3B, V4A and V4B; the details are given in Table 1.1. These ash dykes are located in Shapur and Baliyari and are approximately 3 km from the power plant.

Table 1.1: Details of the Ash dykes of NTPC-Vindhyanchal

Ash dyke	Area (Starter Dyke)	Raising in Service	Operating area (Acre)
V-1	474	4 th raising exhausted, Buttreassing in progress	227 (After Buttreassing)
V-2	600	4 th raising in progress	308 (After 4 th raising)
V-3A	315	3 rd raising in service	218 (After 3 rd raising)
V-3B	172	2 nd raising in service	126
V-4A	184	Starter dyke in service	184
V-4B	165	1 st raising in progress	148 (After 1 st raising)

On October 6 2019, there was a breach failure in the ash dyke V-1, that resulted in the spillage of ash slurry in the nearby surrounding areas. The officials from Central Pollution Control Board (CPCB) and Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) inspected the site on 09.10.2019 to assess the initial impact of spillage on soil and water bodies due to the breach failure in the ash dyke V-1. CPCB and MPPCB submitted the joint inspection report to NTPC. The key features of the report are listed below:

- *“The ash dykes breached due to heavy rains”*

- *“In total 53 hectares came under verse of the ash slurry”*
- *“M/S NTPC Vindh nagar shall collect back the ash spread over 53 hectares with minimal fugitive emission and dispose it back in the operating dyke”*

NTPC-Vindyachal approached CSIR-NEERI to conduct a study on Damage cost assessment due to the ash dyke breach with the following objectives:

1.2 Objectives:

- Demarcation of the contaminated site and analysis of samples for contamination
- Environmental damage cost assessment due to spillage of ash and remediation

1.3 Report Layout:

Chapter II: This chapter describes the regional Geology, Topography, Hydrometeorology and climate of the study area.

Chapter III: This chapter outlines the methodology for sampling and analysis.

Chapter IV: This chapter presents the results and discussions on environmental damage.

Chapter V: Future plan of work

CHAPTER II Study area

2.1 Location

The study area is in Singrauli district in the state of Madhya Pradesh, India (**Figure 2.1**).

The nearest Railway station, Shaktinagar terminal is 5 km and the nearest Airport (Lal Bahadur Shastri International Airport of Shahaganj, District Babatpur), is 207 km from the study area.

The Ash dyke of NTPC Vindhyachal is adjacent to Rihand reservoir. The study area lies between latitudes of $24^{\circ}1'54.17''$ N and $24^{\circ}7'56.9''$ N, and longitudes of $82^{\circ}36'11.61''$ E and $82^{\circ}43'32.23''$ E.

The study area is covered in Survey of India Toposheet No. 63 L/16 (1:50,000 scale). The Ash dyke, V-1 breached at coordinates $24^{\circ}3'54.49''$ N and $82^{\circ}41'6.55''$ E.




Figure 2.1: Proposed study area at Vindhyachal, Singrauli District, Madhya Pradesh

2.2 Topography

The elevation of the study area ranges from 190 m to 417 m and is slightly sloping towards South-East direction (**Figure 2.2**). The Drainage Pattern observed is dendritic. The elevation in the North-West direction is higher and goes up to a maximum of 417 m, whereas a minimum of 190 m elevation is in the South-East direction, which is adjacent to Rihand reservoir.




Figure 2.2: Topography map of the study area

2.3 Geology

The geology of the study area covers the ages such as Early Permian, Proterozoic, Pleistocene – Holocene, Late Carboniferous - Early Permian (**Figure 2.3**). The following lithologies are present in the study area:

- Sandstone With Coal
- Granitic Gneiss
- Gravel, Pebble, Sand, Silt & Clay
- Fine Grained Sandstone




Figure 2.3: Geological map of the study area
(Source: <http://bhukosh.gsi.gov.in/Bhukosh/MapViewer.aspx>)

2.4 Hydro-Meteorology

Hydro-Meteorology and its details are essential for any hydrological studies to establish the various controlling factors, as they govern the occurrence and movement of the surface as well as groundwater in the study area.

2.4.1 Temperature

The climatic condition of the region is Tropical. The average temperature during the period 2009-2019 was 27.55°C (Figure 2.4). Temperatures can range from a minimum of 9°C during the winter season (January), and can maximum go up to 45°C during the summer season (April-May).




Figure 2.4: Average, Maximum & Minimum Temperature (2009-2019) of the study area
(Source: <https://www.worldweatheronline.com/lang/en-in/vindhyaal-weather-history/uttar-pradesh/in.aspx>)

2.4.2 Rainfall

The monsoon usually begins from June and lasts till the end of October. During the period 2009-2019 (Figure 2.5), the annual average rainfall was approximately 550 mm, with minimum rainfall on 2013 (258 mm) and the maximum rainfall on 2009 (1512 mm). The maximum rainfall takes place during July, with an average value of 280 mm. The average rainy season lasts up to 74 days.




Figure 2.5: Cumulative rainfall (2009-2019) of the study area

(Source: <https://www.worldweatheronline.com/lang/en-in/vindhyachal-weather-history/uttar-pradesh/in.aspx>)

Chapter III Methodology for data collection

3.1 General

The objective of the present study is to demarcate the contaminated site and analyse the suitable samples for contamination and assess the environmental damage cost due to spillage of ash. Accordingly, primary data were collected by an extensive field survey during December 2019, February 2020 and August 2020. Secondary data were collected from NTPC-Vindhyanchal, District Collectorate, CGWB and taken from the public domain (Internet).

3.2 Land-use/Land-cover classification

The land-use/land-cover (LULC) classification and change detection for the study area was carried out using Sentinel-2 satellite imagery of 10-meter resolution (earthexplorer.usgs.gov/) for the dates: June 10 2019 and October 8 2019. Erdas Imagine 15 and ArcGIS 10.5 software were used for the LULC classification. The coordinate system of the data is the Universal Transverse Mercator projection (Zone 44 N). The red, blue, green and near-infrared (NIR) bands of a particular dataset were stacked for identification of different classes. The classification was done for the predominant LULC classes. Vegetation and shrubs were identified by the NIR band being placed at the top layer of False Colour Composite (FCC) because vegetation reflects more of NIR than any other wavelength range. Since there were distinguishable 7 different classes, the unsupervised image classification gave satisfactory accuracy, followed by recoding of classes for some parts of the study area (wherever required). Erdas Imagine which use the algorithm 'ISODATA' (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) to perform unsupervised classification or clustering image pixels into different spectral clusters. Each cluster gives a representation of pixel groups that are similar in terms of spectral characteristics. The criteria of minimum-distance is used for assigning each pixel the nearest cluster. The options, 'Initialise from statistics' and 'K-means' were selected, where the output number of classes was set to 70, with 10 iterations. After the initial output, these 70 classes were converted to the final 7 classes by verifying with the natural colour image and also by connecting the software with the Google Earth image (with respect to the acquired image date). Every class was given a specific colour code and were named; Vegetation, Waterbodies, Built-up, Barren, Agriculture, Shrubs and Ash Dyke. The area of the reservoir had increased over time, from June to October due to the monsoon, which resulted in a decrease of other classes. The satellite data used in analysis was of **October 8 2019**, two days after the breach took place (October 6 2019). The image captured the spread of the ash spill.

To detect the classes underneath the ash-spilled area, the pixels of classes from the LULC of June 10 2019 were used. In addition, the ash-spill area was also delineated with a colour code which was digitised from the Google Earth Pro image of October 12 2019. The digitised

polygons of ash-spill were superimposed on the LULC map of October 2019 and classes below these polygons were recoded to 'Ash' class.

3.3 Delineation of the watershed and selection of water sampling locations

The study area (watershed) is shown in **Figure 3.1**. Eleven observation wells (11 nos.) were selected in the study area to form a network for recording the water level and sampling, whereas, for surface water sampling, seventeen locations were chosen (**Table 3.1**).




Figure 3.1: Basemap of the study area

Table 3.1: Sampling details of water samples

Sr.No.	Code	Type	Latitude	Longitude	Location
1	VGW-1	HP	24° 4' 54.800" N	82° 41' 3.400" E	Juwadi village
2	VGW-2	HP	24° 4' 34.695" N	82° 40' 23.230" E	Gahilgarh (East)
3	VGW-3	HP	24° 3' 54.100" N	82° 40' 38.700" E	Judi village
4	VGW-4	HP	24° 4' 26.300" N	82° 40' 25.100" E	Gahilgarh (East), Opposite to Primary School
5	VGW-5	HP	24° 5' 10.700" N	82° 39' 56.200" E	Hanuman Temple, Vindhyanagar
6	VGW-6	HP	24° 5' 53.300" N	82° 41' 51.100" E	Middle School, Telgawan
7	VGW-7	HP	24° 6' 43.100" N	82° 39' 0.500" E	Dudhichuna Colony
8	VGW-8	HP	24° 6' 14.900" N	82° 39' 5.100" E	Pipralal gate
9	VGW-9	HP	24° 5' 6.600" N	82° 39' 17.300" E	Navjeevan Vihar
10	VGW-10	HP	24° 4' 32.500" N	82° 40' 26.200" E	Semra baba Temple
11	VGW-11	DW	24° 4' 46.000" N	82° 41' 13.200" E	Juwadi village
12	VNS-1	SW	24° 4' 38.900" N	82° 41' 12.400" E	Surya Nala (Downstream), before confluence point to reservoir
13	VNS-2	SW	24° 5' 9.526" N	82° 39' 40.672" E	Surya Nala (Upstream), near Yamuna Bhawan, NTPC
14	VNS-3	SW	24° 5' 58.200" N	82° 42' 1.900" E	Baliya Nala (Upstream), MP Border
15	VNS-4	SW	24° 3'33.100"N	82°40'41.200"E	Canal intake point
16	VR-1	SW	24° 2' 44.400" N	82° 41' 6.900" E	Reservoir (Near confluence of canal)
17	VR-2	SW	24° 4' 40.100" N	82° 41' 58.050" E	Reservoir
18	VR-3	SW	24° 4' 41.710" N	82° 42' 2.280" E	Reservoir
19	VR-4	SW	24° 4' 37.200" N	82° 41' 59.200" E	Reservoir
20	VR-5	SW	24° 4' 36.780" N	82° 42' 2.580" E	Reservoir
21	VR-6	SW	24° 4' 37.060" N	82° 42' 6.220" E	Reservoir

22	VR-7	SW	24° 4' 38.440" N	82° 42' 9.050" E	Reservoir
23	VR-8	SW	24° 4' 37.977" N	82° 42' 11.616" E	Reservoir
24	VR-9	SW	24° 4' 41.000" N	82° 42' 14.606" E	Reservoir
25	VR-10	SW	24° 4' 38.560" N	82° 42' 16.500" E	Reservoir
26	VR-11	SW	24° 4' 33.590" N	82° 42' 14.400" E	Reservoir
27	VR-12	SW	24° 4' 32.980" N	82° 42' 14.300" E	Reservoir
28	VR-13	SW	24° 4' 37.630" N	82° 41' 17.750" E	Reservoir

Note: DW: Dugwell, HP: Handpump, SW: Surface water.

3.4 Groundwater level measurement

The observation well network consisted of India Mark II hand-pumps as well as open wells. The water levels from observation well network were obtained using Electric Contact Gauze (KL010) manufactured by M/S OTT Pvt. Ltd (Germany).



Figure 3.2: Water level measurements in the study area

3.5 Groundwater sampling and analysis

Surface and groundwater samples were collected from the identified sources (**Table 3.1** and **Figure 3.1**) in the study area during the sampling campaign in February 2020. The samples were analysed for physico-chemical and heavy metal parameters. The coordinates of the observation wells were recorded using hand-held GPS (Garmin make). Additional samples (limited number) were collected in August 2020 for heavy metal analysis.

For physico-chemical parameters and heavy metal analysis, the samples were collected in pre-cleaned 500 ml and 100 ml polyethylene bottles, respectively. Ultra-pure HNO₃ was added to the heavy metal samples for preservation. Parameters, namely pH and temperature were measured in the field.

The physico-chemical parameters were analysed by following the standard protocols (APHA, 2012). The heavy metal analysis was done by using ICP-OES (Model: iCAP 6300 DUO, Make: Thermo Fischer). The detection limit for Fe, Mn, Zn, Pb, Cd, Cr and Cu are 0.0062 ppm, 0.0014 ppm, 0.005 ppm, 0.05 ppm, 0.002 ppm, 0.02 ppm and 0.005 ppm respectively. The parameters Na and K were analysed by Flame Photometer (Model: CL361, Make: ELICO).

3.6 Soil sampling:

3.6.1 Background information

A site visit was made between August 10th and 11th. The samples were collected in the presence of NTPC officials from the areas where fly ash spillage had taken place. The fly ash in the target areas (where ash spillage took place following the ash dyke breach on October 6, 2019) was also excavated to the maximum possible extent. The samples were collected based on the approachability of the site due to monsoon. However, few areas were unexplored, and samples could not be collected due to water-logging at the site.

3.6.2 Field study and observation

The fly ash discharged on soil from ash dyke has affected the quality of surface water that is utilized for agricultural purposes.

Therefore, sampling locations have been selected based on field survey and the spillage area. Location of soil sampling and field monitoring are given in **Table 3.2** and **Figure 3.1**.

Table 3.1: Details of soil samples collected from the NTPC, Vindyanchal

Sample Code	Depth of Sample	Sampling Locations	Latitude	Longitude
Target Site				
T-1	0-30cm	Fly Ash Spill Area	N 24°04'23.3"	E082°41'09.1"
	30-60cm			
	60-90cm			
T-2	0-30cm	Fly ash Spill area	N 24°04'23.7"	E082°41'11.7"
	30-60cm			
	60-90cm			
T-3	0-30cm	Fly Ash Spill Area	N 24°04'27.4"	E082°41'19.5"
	30-60cm			
	60-90cm			
T-4	0-30cm	Fly ash Spill area	N 24°04'28.0"	E082°41'18.0"
	30-60cm			
	60-90cm			
Control Site				
C-1	0-30cm	Juwari Village Paddy Field	N 24°04'47.5"	E082°41'14.6"
	30-60cm			
	60-90cm			
C-2	0-30cm	Near Neharu Hospital	N 24°06'10.8"	E082°38'52.5"
	30-60cm			
	60-90cm			

3.6.3 Method of Sampling

The sampling was carried out as per the well-established protocol (“*Description and Sampling of Contaminated Soils: A Field guide*”) prepared by US EPA (EPA/625/12-91/002). The sampling strategy involved three significant activities, as discussed below.

i. Visual and tactile observations of soil features

Soil samples were collected from six locations (**Figure 3.1**) and analysed during the site visit by the NEERI sampling team. The background information related to soil was collected from local authorities and published articles for evaluating the variability of soil properties and the directions and potential for transport of contaminant in the subsurface soil. This is because

visual and tactile observations and description of soil conditions at sampling locations can provide valuable information for interpretation of results from soil analysis in laboratory conditions. The soil horizons (a depth increment), colour, texture, and relationship to the water table and soil were also observed critically. Four samples were collected from the sites flooded with ash spillage following the breach at the ash dyke, and are categorised as Target Sites. Two samples were collected from locations away from the ash spillage area and likely to be away from any disturbance and are categorized as control samples.

ii. Methods for collection of undisturbed and minimally disturbed Sample for physical, chemical characterization in the laboratory

A. Target Site

A minimum of four locations were selected at each site for target sites, and the samples were taken at different depths (0-30cm; 30-60 cm and 60-90 cm). The site was selected according to the nature and distribution of fly ash, whether they cover a large area or localised. Background information was collected from local authorities, available reports and a site visit by NEERI team.

B. Reference/ Baseline Site

Site selection for generating baseline data was made considering the areas having agricultural activity with no prior source of pollution or disturbance reported in that area, i.e. with nil or least anthropogenic influences. Samples were collected from two locations in and around the target site but do not have ash spillage.

3.6.4 Sampling of soil

Soil sampling was done with the help of both digging and soil sampling equipments like Steel Corer, Hand augur and Spiral Augur (Figure 3.3). Approximately, 1-1.5 kg of samples were collected for physico-chemical analysis.



Figure 3.3: Sampling by Hand Augur

3.6.5 Analysis of Soil Samples and Analytical Methods

Samples collected from different locations were dried and processed for further analysis of various parameters (Table 3.2).

Table 3.2: Parameters (35 nos) with their standard methods for analysis

S. No.	Parameters of concern	Unit	Analysis Methodology
1.	pH	-	IS: 2720 (Part-XXVI, 1973)
2.	Conductivity	dS/m	IS 14767
3.	Texture	loam / clay Loam/ sandy loam / clay / sand	IS: 2720 (part 4) Hydrometer Method
4.	Bulk density	g/cm ³	Keen & Raczkowski, KR Box Method (1921)
5.	Available moisture	%	ASTM D2216
6.	Maximum water holding capacity	%	Keen & Raczkowski, KR Box Method (1921)
7.	Porosity	%	Keen & Raczkowski KR Box Method (1921)
8.	Cation exchange capacity (CEC)	C mol (+)/kg	IS: 2720(part-24) Ammonium acetate Method
9.	Organic carbon	%	Walkley and Black method,1979

10.	Total nitrogen	kg/ha	IS 14684, 1999
11.	Available nitrogen	kg/ha	IS 14684, 1999
12.	Available Phosphorus	kg/ha	Olsen et al., (1954) method
13.	Available potassium	kg/ha	IS 9497, 1980
14.	Total Cr	mg/kg	US EPA Method 3050B
15.	Ni	mg/kg	
16.	As	mg/kg	
17.	Pb	mg/kg	
18.	Cd	mg/kg	
19.	Hg	mg/kg	

3.6.6 Soil Processing:

The samples forming soil constituents are of widely varying size and composition. In well-aggregated soils, the inorganic soil constituents were present with the organic soil constituents in the form of aggregates contributing to heterogeneity. The whole heterogeneous mixture was prepared and sub-sampled for analysis in such a way that the analysis yielded the results that identify the soil property accurately. A well-established strategy was incorporated during sampling and sample preparation. The sample preparation involved the following steps:

3.6.7 Grinding & Sieving

The purpose of grinding is to remove heterogeneity and to provide maximum surface area for physical and chemical reactions. The larger coarse particles were reduced by crushers and the crushed Sample was further reduced by grinding. The choice of equipment for crushing and grinding the soil samples depends on the following factors:

- The amount of Sample
- The degree of fineness to be attained
- The contamination that can be tolerated
- The analysis in question

The soil deagglomerator equipment was used in order to remove stones, plant roots, etc. from the soil and to break down the clods to a size smaller than 2 mm.

3.6.8 Sieving

Sieving is an essential part of homogenising the sample after grinding operation. Not all samples were pulverised in single grinding operation; therefore, the bulk Sample was screened, and the rejected material was ground again and re-screened until the whole Sample passed

through the sieve. A 2 mm sieve was used generally for the sieving purpose (Jackson 1962; Soil Survey Staff, 1927). The ground sample was passed through the 2 mm sieve and collected and then stored as a stock sample. This procedure of passing the material with 2 mm sieve is an internationally accepted standard for chemical analysis (Table 3.3).

The 2 mm sieve was selected for sample preparation as it is considered that soil fraction less than 2 mm represents more accurately the total soil volume than the finer sieve size fractions. Soil particles greater than 2 mm are not considered good for chemical analysis. However, microanalysis requires the use of a minimal amount of Sample, for which the stock sample can be sub-sampled, ground and screened through a 1 mm or 0.5 mm sieve. Further, the selection of appropriate sieve can be made depending on the soil size desired for the type of analysis to be performed.

Table 3.3: Particle size of soil components

Name	Size (mm)
Very coarse sand	2.0-1.0 mm
Coarse sand	1.0-0.5 mm
Medium sand	0.5-0.25 mm
Fine sand	0.25-0.10 mm
Very fine sand	0.10-0.05 mm
Silt	0.05-0.002 mm
Clay	< 0.002 mm

3.6.9 Analytical methods of soil samples:

The processed soil samples were analysed for different parameters to assess the soil quality and inherent soil fertility status. There are various analytical methods available for physico-chemical and microbiological analysis of soil samples, as mentioned below:

i. pH

The pH of the soil was determined by pH meter probe (Make: Hach, USA). The soil suspension was prepared in water (1:2.5 ratio). The instrument was calibrated and the Sample was analysed by dipping the glass electrode in the soil suspension.

ii. Electrical Conductivity

The electrical conductivity of the Sample was measured using an Electrical Conductivity probe (Make. Hach, USA) using the soil suspension as prepared for pH.

iii. Texture (Particle Size distribution)

The texture was determined by Hydrometer method (IS: 2720 (part 4)). The soil samples were treated with Sodium hexametaphosphate (dispersion solution), and the volume was made up to 1000ml in the measuring cylinder. The system was then left undisturbed overnight. Next morning, the system was disturbed by plunging the contents for 30 seconds, and the first reading was taken by placing the hydrometer in the Sample after 40 seconds. The hydrometer reading was again recorder after 6 hours and 52 minutes for calculating clay content in suspension. Based on the clay and silt percentage calculated, the remaining was attributed to sand percent. The temperature was also monitored while taking the readings.

iv. Bulk density, Maximum water holding capacity and Porosity

The three parameters of soil were analysed by K. R. Box method as described by Keen & Raczkowski (1921). For bulk density, the soil was filled in the box with filter paper and the area of the cylindrical box was calculated, and bulk density was calculated as per the standard formula. For water holding capacity, the box was filled with soil and the setup was kept in the water bath overnight. Next, the final weight of the K. R. Box was taken, and WHC was as calculated. The porosity was calculated after oven drying the Sample which was kept for soaking overnight.

v. Available moisture

The available moisture of soil was determined by oven dry method (Constant weight gravimetric method) keeping the samples at 105°C.

vi. Cation exchange capacity (CEC)

The CEC of soil samples was determined by Ammonium acetate extraction method. The samples were mixed with ammonium acetate and were shaken for one hour and left undisturbed overnight. Next day, samples were extracted successively by ammonium acetate, followed by iso-propyl alcohol and potassium chloride.

vii. Organic carbon

The organic carbon proportion of soil was assessed using *Walkey and Black method*, where the soil samples were oxidised with Potassium dichromate and concentrated Sulphuric acid. Later on, the samples were titrated with ferrous ammonium sulphate using diphenyl amine (or ferroin) as an indicator of the end point.

viii. Total and Available nitrogen

The Total and available nitrogen tests were performed as per the standard method of IS 14684:1999 (i.e. Kjeldahl method). Test for total nitrogen includes two steps, i.e. digestion and distillation, where the soil samples were digested in the presence of concentrated H₂SO₄ and later on, subjected to distillation unit where the ammoniacal vapours were trapped in

boric acid under the action of alkali and further subjected to titration with dilute H₂SO₄. The available nitrogen test, however, included only the procedure for distillation.

ix. Available Phosphorus

The test was performed with Olsen method. The soil samples were treated with Sodium bicarbonate and were shaken for half an hour. Subsequently, the suspension was filtered with activated charcoal. Further, the extract was maintained at constant pH (at 7.9±0.1), and chloromolybdenic acid was added, later the solution was reduced with stannous chloride, and spectrophotometer reading was taken at 660 nm.

x. Available potassium

The available potassium test was performed by standard method IS 9497 (1980), where the samples were treated with ammonium acetate and shaken for 1 hour and kept overnight. The solution was filtered, and the reading was taken at flame photometer.

xi. Heavy metal (total Cr, As, Ni, Hg, Cd, Pb)

US EPA Method 3050B was used as the standard method for heavy metal analysis in soil samples. The samples were digested with a mixture of nitric acid and perchloric acid (9:4), filtered and subjected to dilution with ultra-pure water. The samples were run on ICP- MS.

3.7 Bioaccumulation of Heavy metals in Flora

Most of the human activities produce heavy metals into the environment. Plants are the primary biological absorbent of heavy metals as they are the producers in any food chain. These heavy metals may not be toxic to the plants, but there are evidences of bioaccumulation of heavy metals in plants which may cause blight, spots in leaves and stunted growth. These plants serve as food to various other herbivorous animals who eat them and indirectly take these heavy metals elements that may lead to biomagnification. The monitoring for heavy metals in plants was carried out in August 2020.

3.7.1 Plant Sampling

Stratified random sampling for biological material was performed to monitor and assess bioaccumulation of heavy metals in flora in the study area (Figure 3.4). The sampling was carried out in August 2020, and a detailed list of plants collected is presented in **Annexure I**.



A



B

Figure 3.4: Prominent plant samples collected in and around the study area (A- *Calamagrotis acutiflora*, B- *Cyperus rotundus*)

The plants after identification were collected in polyethene bags, dried using blotting paper to avoid fungal growth, contamination and were carried back to NEERI Nagpur for further analysis. Collected samples of plants were analysed after air drying.

3.7.2 Sample preparation

Heavy metal analysis in plants was carried out using the digestion technique. Samples were cleaned thoroughly to remove the dirt and dust from their surface, followed by air-drying of the samples for complete drying of the organic matrix to avoid any kind of fungal or microbial growth. Dried plant samples were stored in tight zip-lock plastic bags for further digestion and sample analysis. Pre-weighted plant samples of 1gm using a digital balance (AG204 Delta Range, METTLER TOLEDO) were digested using concentration HNO_3 and HClO_4 in the ratio of 2:1 inside the fume hood. The samples were digested till the clear solution was obtained, and white fumes subsided (APHA 2017, Rice *et al*, 2017).

3.7.3 Plant sample analysis

The digested samples were maintained up to the required volume of 15 ml and analysed by ICP-OES instrumentation techniques. The standards of different concentration (1ppm, 2ppm, 3ppm, 5ppm and 10ppm) from multi-element standard solution, for every metal, were prepared using the standard equation of normality calculation.

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

Where, N_1 = concentration of the stock solution

N_2 = concentration of solution to be prepared

V_1 = volume of solution to be calculated (Unknown)

V_2 = volume of solution to be prepared

Multiple element standards of various concentrations pertaining to each metal were prepared for heavy metal analysis by a single standard of various concentrations was prepared for heavy analysis (APHA, 2013). Sterilised, clean falcon tubes were used for storing the stock solution and the standards. Calibration curve plots of prepared standards were plotted with an accuracy of 99.999%. Heavy metal analysis of plant parts (root and shoot) are analysed for every heavy metal using ICP-OES (Thermo Fisher Model- iCAP6300 DUO). The heavy metals studied for understanding bioaccumulation in the Sample (A, B) were divided into 3 subgroups for ease of understanding *viz.* toxic, semi-toxic and non-toxic elements. Table 3.4 shows the classification of heavy metals in 3 subgroups.

Table 3.4: Category of Heavy metals as per their toxicity

Category of heavy metals	Metals
Non-toxic	B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn Se, Zn
Semi-toxic	Al
Toxic	As, Cd, Pb, Ni

(Source: Patil et al., 2013)

3.8 Ash characterization

To understand the characteristics of fly ash, samples are to analysed for the heavy metal concentrations (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn), Inductively coupled plasma - optical emission spectrometry (ICP-OES) and mass spectrometry (ICP-MS) are the standard methods used for the analysis of heavy metals. Ash samples have been collected and are being processed.

Chapter IV Results & Discussion

4.1 Remote sensing Analysis:

Satellite imageries were used to analyse the area affected due to the breach of the ash-dyke. **Figure 4.1** shows the comparison between the images captured before and after the breach of ash-dyke. Accordingly, LULC maps (**Figure 4.2**) were generated for the month of June 2019 and October 2019.



Figure 4.1: Satellite imageries of May 17 2019 (top image) and October 12 2019 (bottom image) showing the before and after ash-dyke breach respectively (Source: Google Earth Pro)




Figure 4.2: Satellite imageries showing the before and after ash-dyke breach, i.e., June 10 2019 (left image) and October 12 2019 (right images) respectively (Source: Google Earth Pro and Sentinel 2 imagery)

The findings emerging from the LULC classification of June 2019 and October 2019 were that a total of 0.7139 km² ash spillage area had been detected out of which, the spillage area on Vegetation, Agriculture, Waterbodies and Shrubs were 0.1637 km², 0.2956 km², 0.2049 km² and 0.0497 km² respectively (**Table 4.1**).

Table 4.1: Area of ash-spillage on different LU/LC Classes

Classes	Area (Km ²)
Vegetation	0.1637
Agriculture	0.2956
Waterbodies	0.2049
Shrubs	0.0497
Total Spillage Area	0.7139

4.2 Ground water level

The Groundwater level (Below Ground Level-BGL) measured for 10 observation wells in the study area ranged from 2.66 m (VGW-5) to 10.73 (VGW-1).

Table 4.2: Water level details in observation well network

Sr.No.	Code	Type	DTW (m)	M.P (m)	BGL (m)
1	VGW-1	HP	10.73	0	10.73
2	VGW-2	HP	2.71	0.4	2.31
3	VGW-3	HP	3.55	0.4	3.15
4	VGW-4	HP	3.59	0.35	3.24
5	VGW-5	HP	3.06	0.4	2.66
6	VGW-6	HP	4.9	0.53	4.37
7	VGW-7	HP	4.44	0.56	3.88
8	VGW-8	HP	4.77	0.58	4.19
9	VGW-9	HP	6.31	0.56	5.75
10	VGW-11	DW	6.91	0	6.91

Note: DTW: Depth to Water, MP: Measuring Point, BGL: Below Ground Level.

4.3 Water quality

The major cations, anions and heavy metals of the water samples are presented in **Tables 4.3-4.5**.

pH: pH is an important parameter for water quality assessment that indicates the acidic or basic nature of water. The pH ranged between 6.9 (VNS-4) to 7.6 (VR-8, 9, 10 and 11) for surface water samples, whereas it ranged between 7 (VGW-11) to 7.4 (VGW-4) for ground water samples. All the samples have pH values well within the permissible limit of BIS 10500:2012.

TDS (Total Dissolved Solids): The TDS ranged between 110 mg/L (VR-1) to 271 mg/L (VNS-2) for surface water samples, whereas it ranged between 300 mg/L (VGW-2) to 620 mg/L (VGW-1) for ground water samples. All the samples have TDS values well within the permissible limit of BIS 10500:2012.

Nitrate: The Nitrate concentration ranged between 0.9 mg/L (VR-12) to 8.8 mg/L (VNS-2) for surface water samples, whereas it ranged between 0.2 mg/L (VGW-2 and 3) to 11.8 mg/L (VGW-11) for ground water samples. All the samples have Nitrate concentration well within the permissible limit of BIS 10500:2012.

Chloride: The Chloride concentration ranged between 20 mg/L (VR-1, 6, 7, 9 and 10) to 50 mg/L (VNS-2) for surface water samples, whereas it ranged between 28 mg/L (VGW-10) to 102 mg/L (VGW-11) for ground water samples. All the samples have Chloride concentration well within the permissible limit of BIS 10500:2012.

Fluoride: The Fluoride concentration ranged between 0.09 mg/L (VR-1, 6, 7, 9 and 10) to 0.2 mg/L (VNS-1 and 2, VR-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 12) for surface water samples, whereas it ranged between 0.04 mg/L (VGW-11) to 0.2 mg/L (VGW-1, 5, 7, 8, 9 and 10) for ground water samples. All the samples have Fluoride concentration well within the permissible limit of BIS 10500:2012.

Heavy Metal: The heavy metal parameters are within the BIS drinking water limit in the groundwater samples during the sampling campaign in Feb, 2020 (Table 4.4). However, during August 2020, Arsenic was present in few samples (Table 4.5). Arsenic was also present in the sample collected from the Rihand reservoir (VR13) in August 2020.

Table 4.3: Concentration of major cations/anions for the collected water samples (February, 2020)

Sr. No	Sample Code	pH	EC	TDS (mg/l)	Turbidity	Total Hardness as CaCO ₃	Calcium as Ca ²⁺	Magnesium Mg ²⁺	Sodium	Potassium	Total Alkalinity as CaCO ₃	Phosphate as PO ₄ ²⁻	Fluoride as F ⁻	Nitrate NO ₃ ⁻	sulphate	chloride
Units	-	-	µS/cm	mg/L	NTU	mg/L										
BIS 10500:2012 (Acceptable/Permissible limit)		6.5/8.5	-	500/2000	1/5	200/600	75/200	30/100	-	-	200/600	-	1.0/1.5	45	200/400	250/1000
1	Ash Pond	6.7	379	227	2	108	24	12	18.0	6.5	72	0.2	0.9	5.40	55.0	42
2	VNS-1	7	351	211	3.3	168	35	19	20.6	4.6	148	0.1	0.2	7.2	38	42
3	VNS-2	7.4	451	271	0.6	240	26	42	24.6	5.1	184	0.5	0.2	8.8	60	50
4	VNS-3	7.4	294	176	1	156	26	22	14.1	4.7	108	0.6	0.09	7.9	55	30
5	VNS-4	6.9	280	168	0.6	124	32	11	9.5	2.3	80	0.3	0.09	1.2	45	34
6	VR-1	7.5	184	110	0.7	112	35	6	10.4	2.3	108	0.9	0.1	1.9	24	20
7	VR-2	7.4	279	167	1.2	140	14	25	14.6	3.5	124	0.2	0.2	3.6	44	26
8	VR-3	7.4	307	184	1.4	152	35	15	16	3.6	120	0.3	0.2	3.3	51	36
9	VR-4	7.5	263	158	1.9	144	32	15	13.7	3.5	124	0.4	0.2	3.7	50	30
10	VR-5	7.5	267	160	1.8	148	48	7	30	4.2	152	0.6	0.2	3.7	52	26
11	VR-6	7.5	269	161	1.4	100	26	9	15.1	4.1	164	0.8	0.2	3.2	40	20
12	VR-7	7.5	215	129	2.5	128	32	12	12.9	3.7	124	0.3	0.2	2.7	39	20
13	VR-8	7.6	216	130	3.2	200	18	37	13.6	3.8	128	0.4	0.2	2.1	42	22

Sr. No	Sample Code	pH	EC	TDS (mg/l)	Turbidity	Total Hardness as CaCO ₃	Calcium as Ca ²⁺	Magnesium Mg ²⁺	Sodium	Potassium	Total Alkalinity as CaCO ₃	Phosphate as PO ₄ ²⁻	Fluoride as F ⁻	Nitrate NO ₃ ⁻	sulphate	chloride
Units	-	-	µS/cm	mg/L	NTU	mg/L										
BIS 10500:2012 (Acceptable/ Permissible limit)		6.5/8.5	-	500/ 2000	1/5	200/ 600	75/200	30/100	-	-	200/600	-	1.0/1.5	45	200/400	250/ 1000
14	VR-9	7.6	220	132	2.1	148	32	16	14.1	3.9	140	0.2	0.2	2.7	35	20
15	VR-10	7.6	205	123	2.2	128	32	12	13.7	3.7	120	0.1	0.2	3.6	43	20
16	VR-11	7.6	232	139	2.6	152	40	12	14.3	3.8	144	0.4	0.1	5.6	43	24
17	VR-12	7.5	230	138	3.6	156	38	14	14.1	3.8	152	0.5	0.2	0.9	42	26
18	VGW-1	7.2	1033	620	0.3	196	62	10	49.5	2.7	220	0.3	0.2	1.2	18	90
19	VGW-2	7.4	500	300	0.8	208	11	43	27.9	14.9	280	0.7	0.09	0.2	6	40
20	VGW-3	7.2	772	463	0.4	84	24	6	26.9	2.6	100	0.7	0.08	0.2	15	42
21	VGW-4	7.4	514	308	0.9	180	24	29	18.3	2.7	120	0.4	0.09	2.2	10	36
22	VGW-5	7.3	641	385	1.7	184	21	32	21.8	2.5	164	0.5	0.2	2.2	10	76
23	VGW-6	7.3	907	544	3	360	18	76	27	2.4	348	0.3	0.09	1.2	47	64
24	VGW-7	7.3	663	398	2.5	244	14	50	31.2	5.6	200	0.2	0.2	1.2	15	30
25	VGW-8	7.2	667	400	0.6	120	14	20	14.8	3	100	0.3	0.2	3	12	50
26	VGW-9	7.3	603	362	5	172	26	26	25.7	2.4	180	0.4	0.2	2.2	8	54
27	VGW-10	7.3	595	357	5	164	14	31	37.9	2.2	240	0.5	0.2	2.2	7	28

Sr. No	Sample Code	pH	EC	TDS (mg/l)	Turbidity	Total Hardness as CaCO ₃	Calcium as Ca ²⁺	Magnesium Mg ²⁺	Sodium	Potassium	Total Alkalinity as CaCO ₃	Phosphate as PO ₄ ²⁻	Fluoride as F ⁻	Nitrate NO ₃ ⁻	sulphate	chloride
Units	-	-	µS/cm	mg/L	NTU	mg/L										
BIS 10500:2012 (Acceptable/ Permissible limit)		6.5/8.5	-	500/2000	1/5	200/600	75/200	30/100	-	-	200/600	-	1.0/1.5	45	200/400	250/1000
28	VGW-11	7	879	527	0.6	292	48	41	44	1.9	312	0.4	0.04	11.8	14	102

Results mentioned in Table as **Bold and Underlined** are Above BIS 10500-2012 Acceptable and permissible limits
Results mentioned in **BOLD** are above BIS 10500-2012 Acceptable Limit

Table 4.4: Concentration of heavy metals for the collected water samples (February 2020)

Sr.No	Sample code	Al	As	Cd	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Zn
	BIS Limit (ppm)	0.03-0.2	0.01	0.003	0.05	0.05-1.5	0.3-1.0	0.10-0.30	0.02	0.01	5.0-15
	ICP detection Limit (ppm)	0.00001	0.007	0.0001	0.01	0.0004	0.0003	0.0001	0.005	0.009	0.001
1	Ash Pond	0.07	ND	ND	0.01	0.002	1.0	0.05	0.006	ND	0.05
2	VNS-1	5.4	ND	ND	0.02	0.01	3.1	0.1	0.007	BDL	0.09
3	VNS-2	0.03	ND	ND	BDL	0.003	1.4	0.1	BDL	ND	0.07
4	VNS-3	0.008	ND	ND	BDL	0.006	1.1	0.08	BDL	ND	0.06
5	VNS-4	0.009	ND	ND	BDL	0.008	0.7	0.02	BDL	BDL	0.5
6	VR-1	0.006	ND	ND	0.01	0.006	0.6	0.06	BDL	BDL	0.08
7	VR-2	0.004	ND	ND	BDL	0.002	0.3	0.03	BDL	BDL	0.04
8	VR-3	0.03	ND	ND	ND	0.002	0.06	0.001	BDL	ND	0.003
9	VR-4	0.0004	ND	ND	BDL	0.004	0.3	0.03	BDL	BDL	0.04
10	VR-5	0.002	ND	ND	BDL	0.008	0.6	0.04	BDL	BDL	0.08
11	VR-6	0.01	ND	ND	BDL	0.004	0.5	0.03	BDL	BDL	0.04
12	VR-7	0.02	ND	ND	BDL	0.004	0.2	0.06	BDL	BDL	0.06
13	VR-8	0.02	ND	ND	BDL	0.003	0.2	0.03	BDL	BDL	0.04
14	VR-9	0.008	ND	ND	BDL	0.006	0.4	0.03	BDL	BDL	0.04
15	VR-10	0.09	ND	ND	BDL	0.009	1.0	0.04	BDL	ND	0.1
16	VR-11	0.03	ND	ND	BDL	0.007	0.3	0.03	BDL	BDL	0.05
17	VR-12	0.03	ND	ND	BDL	0.005	0.2	0.09	BDL	BDL	0.05
18	VGW-1	0.03	ND	ND	BDL	0.006	1.0	0.01	BDL	BDL	0.2

19	VGW-2	0.03	ND	ND	BDL	0.004	<u>1.0</u>	0.03	ND	BDL	0.3
20	VGW-3	0.03	ND	ND	BDL	0.004	0.9	0.01	BDL	ND	2.0
21	VGW-4	0.03	ND	ND	BDL	0.005	<u>1.0</u>	0.03	BDL	BDL	0.3
22	VGW-5	0.03	ND	ND	BDL	0.004	<u>3.0</u>	0.05	BDL	BDL	0.9
23	VGW-6	0.03	ND	ND	BDL	0.01	<u>3.0</u>	<u>0.3</u>	BDL	ND	0.1
24	VGW-7	ND	ND	ND	BDL	0.0005	0.04	0.08	BDL	BDL	0.4
25	VGW-8	0.009	ND	ND	BDL	0.002	0.1	0.1	ND	ND	0.2
26	VGW-9	0.03	ND	ND	BDL	0.006	<u>3.0</u>	0.05	BDL	BDL	0.3
27	VGW-10	0.03	ND	ND	BDL	0.001	<u>3.4</u>	0.03	BDL	BDL	0.1
28	VGW-11	0.008	ND	ND	BDL	0.004	0.2	0.04	BDL	BDL	0.1

All the values are expressed in mg/L

1. Results mentioned as **Bold and Underlined** are **Above** BIS 10500-2012 (Acceptable and permissible limits)

2. Results mentioned in **BOLD** are above BIS 10500-2012 Acceptable Limit.

BDL- Below Detection Limit.

ND- Not detected

Table 4.5: Concentration of heavy metals for the collected water samples (August 2020)

Sr.no	Sample code	Al	As	Cd	Cr	Co	Cu	B	Fe	Mn	Ni	Pb	Zn
BIS Limit (ppm)		0.03-0.2	0.01	0.003	0.05	-	0.05-1.5	0.5-1.0	0.3-1.0	0.10-0.30	0.02	0.01	5.0-15
ICP detection Limit (ppm)		0.00001	0.007	0.0001	0.01	-	0.0004	-	0.0003	0.0001	0.005	0.009	0.001
1	VR-13	<u>1.4</u>	<u>0.16</u>	0.001	BDL	ND	0.009	0.2	0.6	0.1	0.01	<u>0.02</u>	0.02
2	VGW-1	ND	<u>0.08</u>	0.001	BDL	ND	0.006	0.05	<u>1</u>	0.01	BDL	0.01	0.11
3	VGW-4	<u>0.4</u>	<u>0.04</u>	ND	BDL	0.002	0.01	0.1	<u>5</u>	<u>0.6</u>	BDL	0.01	0.4
4	VGW-10	0.03	<u>0.06</u>	ND	BDL	ND	0.003	0.1	<u>1.5</u>	0.1	BDL	0.01	0.7
5	VGW-11	0.09	0.3	0.002	0.01	0.001	0.008	0.03	0.5	0.1	BDL	<u>0.10</u>	0.04

Note:

Results mentioned in Table as **Bold and Underline** found to be **Above** BIS 10500-2012 (Acceptable and permissible limits)

BDL: Below Detection Limit.

ND: Not detected

4.4 Soil Analysis

The particle size distribution presented in **Table 4.6** with respect to percentage of sand, silt and clay varied from 8.9 (T-1) to 21.5 % (C-1), 28.3 (C-1) to 47.9 % (C-2), and 34.2 (C-2) to 52.1 % (C-1) respectively. These results indicated that the soil samples T-1 (Transmission Tower), T-2 (Fly ash spillage poelain), T-3 (Dam catchment) and T-4 (Far dam catchment) belong to “Silty Clay” texture class, whereas C-1 (Juwari) and C-2 (Hospital Control) belong to “Silty Clay loam”. Similarly, the results of bulk density and maximum water holding capacity varied between 1.07 (T-1) to 1.15 g/cc (C-1 and C-2), and 40.51 (C-1) to 58.62 % (T-3) respectively. The results show that the pH, concentration of soluble salts in terms of electrical conductivity, nutrients (nitrogen, phosphorus, and potassium) and organic carbon of the soil sample profiles collected in and around the target site. The pH of the soil was neutral to alkaline in nature (7.1-7.9) with an electrical conductivity (EC) ranging from 0.25 (C-1) -0.86 mS cm⁻¹ (T-1) respectively. The nutrients status with respect to nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) is in the range from 2-6.21 %, 0.10-0.35%, and 0.03-0.020% respectively.

The results presented in **Table 4.7** shows the concentrations of exchangeable calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na), potassium (K), cation exchange capacity (CEC) and exchangeable sodium percentage (ESP) of the profiles soil samples. Amongst the exchangeable cations, sodium was predominant followed by potassium, magnesium, and calcium. The concentrations of Ca, Mg, Na and K ranged from 8.2-15.4 cmol (p+) Kg⁻¹, 12-23.8 cmol (p+) Kg⁻¹, 102-271 cmol (p+) Kg⁻¹ and 138-224 cmol (p+) Kg⁻¹ respectively.

The samples analysed for heavy metals revealed that few of the elements which was primarily not available in the fly ash is also of higher concentration which may be attributed to geogenic or parent rock of that area.

The analysis shows that Chromium, Zinc and Nickel exceeded the Dutch Standards in agriculture soil (**Table 4.8 and 4.9**). The concentration limits set by Dutch Standards for Chromium, Zinc and Nickel are 64 ppm, 200ppm and 50 ppm respectively.

The Chromium concentration exceeded the standard value at the locations: T-1, T-2, T-4 and C-1. At location T-2 and T-4, Chromium concentration exceeded at the depth range of 60-90 cm (66.896 ppm and 82.696 ppm respectively). At location T-1, the highest concentration of Chromium was found at the depth range of 30-60 cm (101.696 ppm).

The Zinc concentration exceeded the Standard value (200 ppm) at two location; T-1 at the depth range of 0-30 cm (203.4 ppm) and C-2 at the depth range of 0-30 cm (281.4 ppm). Zinc was found to be higher in the fly ash as well as in the target site.

The Nickel concentration exceeded the Standard value (50 ppm) at all the locations. The highest concentration of Nickel was found at T-1 at the depth range of 30-60 cm (93.6 ppm) followed by C-1 at the depth of 0-30 cm (81.6 ppm).

Based on the heavy metal analysis of target site and control site, it was observed that Nickel contamination was predominant. To ascertain the same, or to attribute to the fly ash spill, another sampling is required from sites with no agricultural activity or human intervention, preferably, *forest areas to know the reference of the background level of metals in that area.*

Zinc is also found predominantly in the target sites and needs to be checked with the undisturbed control soil, as mentioned earlier. This recheck was done since Zinc is a micro-nutrient used in agriculture, and it has been used in recent past may be seen interfering the analysis.

The analysis of the soil was compared with the Dutch soil standards. This standard has various categories based on the land-use pattern of agriculture, residential and industrial use. Here since the fly ash spill has occurred in the farming/agriculture land, the standard for same has been adopted.

Targetted Sampling is required again in the places where it was not possible in August 2020 due to water stagnation and accessibility.

Table 4.6: Cation exchange capacity (CEC), Exchangeable Cations Content and Exchangeable sodium percentage (ESP) of soil

Sr. No	Sample Code	Description of Site	Depth, cm	pH	Bulk Density (Mg m ⁻³)	MWHC	Total P (%)	Particle Size Distribution			Texture Class	Available Nitrogen	Total K (%)	Na meq/l	K meq/l	Electrical Conductivity EC (mS/cm)
								Kg/Ha	Sand %	Silt %		Clay %				
1	T-1	Fly ash spill area in the dam catchment	0-30	7.1	1.08	50.30	5.03	9.6	40.3	50.1	Silt Clay	439.04	0.54	256.07	138.45	0.86
			30-60	7.3	1.08	50.58	5.06	9.5	41.1	49.4	Silt Clay	326.144	0.90	249.06	229.78	0.66
			60-90	7.8	1.07	51.05	5.11	8.9	39.2	51.9	Silt Clay	62.72	1.11	258.16	284.55	0.45
2	T-2	Fly ash spill area in the dam catchment	0-30	7.9	1.11	54.52	5.45	11.0	41.2	47.8	Silt Clay	301.056	0.70	221.14	180.17	0.75
			30-60	7.5	1.12	53.74	5.37	10.5	38.2	51.3	Silt Clay	200.704	0.80	271.94	204.91	0.85
			60-90	7.4	1.11	54.67	5.47	9.2	42.2	48.6	Silt Clay	100.352	0.86	328.71	220.41	0.74
3	T-3	Fly ash spill area in the dam catchment	0-30	7.2	1.14	56.86	5.69	9.8	42.1	48.1	Silt Clay	338.688	0.76	247.76	193.27	0.78
			30-60	7.5	1.14	57.15	5.72	10.3	43.1	46.6	Silt Clay	225.792	0.75	249.63	192.33	0.65
			60-90	7.7	1.13	58.62	5.86	11.2	44.1	44.7	Silt Clay	50.176	0.76	260.85	193.43	0.45
4	T-4	Fly ash spill area in the dam catchment	0-30	7.8	1.14	51.01	5.10	12.1	43.8	44.1	Silt Clay	326.144	0.78	137.10	199.05	0.86
			30-60	7.9	1.12	52.81	5.28	11.2	41.2	47.6	Silt Clay	263.424	0.74	219.23	188.10	0.62
			60-90	7.5	1.12	53.04	5.30	10.3	42.0	47.7	Silt Clay	87.808	0.80	217.92	204.86	0.35
5	C-1	Control: Juwari village Paddy field	0-30	7.9	1.15	40.96	4.10	19.2	28.7	52.1	Clay loam	238.336	1.10	224.66	282.32	0.68
			30-60	7.5	1.15	40.51	4.05	21.2	29.3	49.5	Clay Loam	188.16	0.80	209.96	205.24	0.25
			60-90	7.4	1.14	41.58	4.16	21.5	28.3	50.2	Clay Loam	50.176	0.81	161.46	207.06	0.36

6	C-2	Control : Near Neharu Hospital	0-30	7.6	1.15	44.25	4.43	16.2	47.6	36.2	Silt clay loam	263.424	0.63	102.44	160.55	0.61
			30-60	7.4	1.14	45.78	4.58	17.5	47.3	35.2	Silt clay loam	163.072	0.72	226.75	183.12	0.45
			60-90	7.8	1.12	47.13	4.71	17.9	47.9	34.2	Silt clay loam	100.352	0.69	218.31	177.13	0.35

Table 4.7: Cation exchange capacity (CEC), Exchangeable Cations Content and Exchangeable sodium percentage (ESP) of soil

Sr. No.	Sample Code	Depth, cm	Parameters Cmol (P ⁺)Kg ⁻¹			
			Ca	Mg	Na	K
1	T-1	0-30	10.4±0	18±0	256.07	138.45
		30-60	16.4±0	13.6±0	249.06	229.78
		60-90	16.2±0.28	20.6±0.28	258.16	284.55
2	T-2	0-30	11±0.28	11±0.28	221.14	180.17
		30-60	10.8±0	16.4±0	271.94	204.91
		60-90	19.2±0	8.4±0	328.71	220.41
3	T-3	0-30	9.2±0	4.4±0	247.76	193.27
		30-60	14±0	13.2±0	249.63	192.33
		60-90	10.8±0	12±0	260.85	193.43
4	T-4	0-30	13.8±0.28	13.4±0.28	137.10	199.05
		30-60	9.2±0	15.2±0	219.23	188.10
		60-90	9.8±0.28	18.6±0.28	217.92	204.86
5	C-1	0-30	10.28±0.17	21.72±0.17	224.66	282.32
		30-60	14.4±0	17.6±0	209.96	205.24
		60-90	8.2±0.28	23.8±0.28	161.46	207.06
6	C-2	0-30	14.8±0	18±0.57	102.44	160.55
		30-60	14.8±0	21.8±0.28	226.75	183.12
		60-90	15.4±0.28	17.2±0	218.31	177.13

Table 4.8: Heavy Metal Concentration in samples collected from fly ash target sites

Sr No	Sample Code and corresponding location name		Dept h (cm)	Heavy Metals (ppm)													
				As	Ag	Ba	Be	Cd	Cr	Co	Cu	Ni	Mn	Pb	Se	V	Zn
	Fly ash			5.714	2.94	615.8	1.09894	0.1708	22.696	6.4016	43.02	21.2	506.388	1.246	29.234	357.4	
1	T-1	Transmission tower	0-30	6.734	1.22	151.8	1.71094	0.9468	55.696	17.0616	26.62	46.6	580.388	0.974	61.234	203.4	
			30-60	9.334	0.864	247.8	2.86894	0.2068	101.696	40.1616	44.62	93.6	1294.38	46.388	0.558	94.834	128.4
			60-90	7.974	1.72	159.8	2.24894	0.1328	80.696	26.1616	38.82	76.4	692.388	30.788	0.48	75.434	197.4
2	T-2	Fly ash spillage poclairn	0-30	6.094	0.468	87.6	1.81894	0.1248	54.896	19.3616	31.02	52	604.388	28.188	0.52	55.234	101.6
			30-60	6.714	14.28	87.8	1.88094	0.1488	54.496	21.5616	32.22	53	670.388	28.788	0.658	52.034	84.6
			60-90	8.854	0.234	84	1.71094	0.0848	66.896	20.7616	35.62	65	720.388	22.588	0.238	52.634	93.6
3	T-3	Dam catchment	0-30	5.694	2	54.6	1.48094	0.0558	57.096	14.4816	29.42	52.6	532.388	17.068	0.304	41.434	85.4
			30-60	7.094	1.284	71.2	1.56094	0.0668	59.696	16.9416	29.82	56.2	678.388	21.188	0.348	45.834	101.8
			60-90	5.794	0.58	78	1.47494	0.0808	56.896	15.2616	30.42	53.8	610.388	18.008	0.294	42.434	86.8

4	T-4	Far dam catchment	0-30	5.474	2.48	119.8	2.10894	0.0418	62.496	21.9616	36.22	57.4	644.38	24.788	0.568	45.834	89.8
			30-60	4.734	1.488	65.4	1.67494	0.1448	63.496	11.2216	28.02	44	412.38	20.188	0.288	37.434	80.4
			60-90	6.914	0.474	113	2.08894	0.2948	82.696	25.5616	35.82	65.6	786.38	32.188	0.498	48.834	94.2
Dutch standard for agriculture soil				12				1.4	64		63	50		70			200

Note: Results mentioned in Table as **Bold** are found to be **Above the Dutch Standards for agriculture soil.**

Table 4.9: Heavy Metal Concentration in samples collected from control sites

Sr. No.	Sample Code and corresponding location name		Depth (cm)	Heavy Metals (ppm)													
				As	Ag	Ba	Be	Cd	Cr	Co	Cu	Ni	Mn	Pb	Se	V	Zn
	Fly ash			5.714	2.94	615.8	1.09894	0.1708	22.696	6.4016	43.02	21.2	506.38	19.788	1.246	29.234	357.4
1	C-1	Juwari	0-30	8.714	2.2	335.8	2.24894	0.2488	68.296	158.9616	32.82	81.6	2796.38	63.388	0.47	67.634	80
			30-60	4.454	1.52	59.2	1.56894	0.0808	67.896	14.8416	25.22	39.2	502.38	18.588	0.464	40.434	57.2
			60-90	9.554	0.378	93.8	1.86894	0.0748	58.096	27.9616	29.82	50.8	768.38	36.788	0.404	50.834	70.6
2	C-2	Hospital control	0-30	3.314	0.38	67	0.69094	0.0298	27.296	6.7416	37.22	19.44	238.38	19.188	0.348	24.434	281.4
			30-60	5.334	10.62	65.6	1.59094	0.1128	54.296	11.7816	26.82	41	650.38	16.368	0.432	40.034	76
			60-90	6.774	14.44	88.2	1.87894	0.1488	55.096	21.5616	32.22	53	676.38	28.988	0.5	51.834	85.2
Dutch standard for agriculture soil				12				1.4	64		63	50		70			200

Note: Results mentioned in Table as **Bold** are found to be **Above the Dutch Standards for agriculture soil.**

4.5 Results of Bioaccumulation analysis of Heavy metals in Flora

Table 4.10 shows heavy metal analysis in plant samples collected around the study area during the sampling period of August 2020. In all the samples, the concentration of metals is below the detection limit except Sample 1 (i.e. roots of *Cyperus rotundus*). It might be due to the fact that *Cyperus rotundus* accumulate more heavy metals in roots than in other parts (Nafea and Sera, 2020).

Table 4.10: Analysis of heavy metals in plant samples during August 2020

Sample Code	Heavy metals	Al	As	B	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Zn
	ICP Detection Limit (ppm)	0.0001	0.007	0.001	0.0001	0.0001	0.01	0.0004	0.0003	0.0001	0.005	0.009	0.001
	Permissible Limit	-	-	-	1.5	10	20	200	1.5	10	-	50	-
Sample 1		30.560	27.500	0.276	0.005	0.029	0.495	0.203	99.330	2.666	0.241	0.098	1.526
Sample 2		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Sample 3		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Sample 4		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Sample 5		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Sample 6		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Sample 7		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL

Sample 8	BDL											
Sample 9	BDL											
Sample 10	BDL											
Sample 11	BDL											
Sample 12	BDL											
Sample 13	BDL											

Chapter 5 : Future Plan of Work

5.1 Future Plan of Work : A targetted sampling of soil and water will be undertaken in December 2020/January 21 in view of the last sampling being carried out during the rainy season wherein the dilution effect is observed on the concentration of the solutes in the soil and water. .Besides, many locations were inaccessible due to the rainy season.

Based on the findings from the additional sampling to be carried out and the analysis, the Damage cost assessment will be worked out and incorporated in the Final Report.

References

1. APHA (2013), Standard methods for analysis of the water and waste water analysis, 22nd edition
2. Patil, Y., Pawar, S., Jadhav, S., and Kadu, J. (2013). Biochemistry of metal absorption in Human Body: Reference to check Impact of Nano Particles on Human Being. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3(4).
3. Rice, E., Baird, R., and Eaton, A. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (23rd Ed.). American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation Publications: Water Environment Federation Publications.
4. Nafea, E., and Šera, B. (2020). Bioremoval of heavy metals from polluted soil by *Schoenoplectus litoralis* (Schrad.) Palla and *Cyperus rotundus* L.(Cyperaceae). *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 24(5), 217-226.
5. The European parliament and the council of the European Union (2002), Directive 2002/32/EC of the European parliament and the council of the European Union of May 7 2002 on on undesirable substances in animal feed, OJ L 140, 30.5.2002, p. 10.
6. World Health Organization (1998), *Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials*, WHO, Geneva, Switzerland.
7. World Health Organization (2005), *Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials*, WHO, Geneva, Switzerland.
8. Walkley A and Black I A 1934, *An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method*. *Soil Sci.* 37, 29–38.

Annexure I

Table 5.1: List of Plants collected in and around the study area

Sl. No.	Plant Species	Sample Code	Plant Part /soil/ Fly Ash
1	<i>Cyperus rotundus</i>	Sample 1	Root
		Sample 2	Leaves
		Sample 3	Flower
		Sample 4	Shoot
		Sample 5	Fly Ash
2	<i>Calamagrostis acutiflora</i>	Sample 6	Root
		Sample 7	Shoot
		Sample 8	Leaves
		Sample 9	Fly Ash
3	<i>Cynodon dactylon</i>	Sample 10	Root
		Sample 11	Shoot
		Sample 12	Leaves
		Sample 13	Soil



Annexure-2 (Essar-32f)

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
Regional Directorate (Central), Bhopal
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
Government of India)

RD-Bhopal/NGT OA 117/2014/ 161

Dated: 18.1.2021

To

Shri Jay Shanker Saran
Senior Manager-HSE&F
Essar Power MP Ltd-Mahan Power,
Village - Bandhora, Post-Karsualal, Tehsil-Mada,
Dist-Singrauli, Waidhan-486886
Madhya Pradesh, India

Subject: Submission of status report in NGT Principal Bench order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantanu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg.

Sir,

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench vide order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of 2014 directed to joint committees (constitute vide order dated 27.01.2020 in O.A. No. 117/2014 under Para 32 (f) to submit the status report as on 30.4.2021 before the next date i.e. 19.5.2021.

The joint committee constitute under Para 32 (f) of order 27.1.2020 states:

A Committee comprising of CPCB and IIT Roorkee may assess the environmental damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP an Essar TPP in Singrauli area and submit its recommendation within three months. CPCB shall be at liberty to engage any other technical expert for this purpose.

In compliance of the Hon'ble Tribunal direction under Para 32(f), a committee of Prof Dr Sudipta Sarkar, Dept of Civil Engineering, IIT Roorkee and Sh Sunil Kumar Meena Scientist 'D', CPCB, Regional Directorate, Bhopal was constituted. The committee submitted its report to Hon'ble Tribunal. Hon'ble NGT approved the reports under Para 25 of order dated 4.11.2020; the Para 25 states as:

*Let further steps be taken in terms of the above reports subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court in matters pending therein. Further progress report may be compiled by the MoEF in terms of direction (i) in the order dated 12.2.2020. CPCB may finalise the issue of compensation determination. **We approve the reports of the joint Committees.** Recovery of compensation will be as per directions of the Hon'ble Supreme Court wherever there is stay.*

The committee has assessed the environmental damage cost of **7.3511 Cr** for M/s Essar Power MP Ltd and also recommended following:

- i. Industrial units have engaged professional institute NEERI, Nagpur to assess the damage; the institute needs to assess the site specific long term direct or indirect impact on the flora fauna, human health and consumptive cost.
- ii. Industrial units need to comply for 100% fly ash utilization to avoid such incidence in future.
- iii. To install monitoring stations on the affected sites, to continuously monitor the movement of plume underground or the leaching of toxic heavy metals from the sediment.
- iv. Industrial units need to take care for the health of workers employed for spill clean-up working.

As in compliance of the Tribunal order dated 4.11.2020, joint committee have to submit the status report (as on 30.4.2021) before the next date i.e. 19.5.2021. In this regard you are kindly requested to please submit the status report to this office and on email of Sh Sunil Kumar Meena, Sc-D (Email: sunil.cpcb@gov.in) by **1st Week of the May, 2021** on the above four recommendations and status of damage cost deposition.


(Sunil Kumar Meena)
Scientist-D
Committee Member

Copy to:

1. Prof Dr Sudipta Sarkar, Dept of Civil Engineering, IIT Roorkee
2. Sh H. K Sharma, Director Environment, MPPCB, Bhopal


(Scientist-D)

Ref. No. : EPMP/LA/ 6257/10
Dated : 17.05.2021

To,
Shri SK Meena
Scientist-D
Central Pollution Control Board
Paryawaran Parisar
E-5, Arera Colony (M.P.)
Bhopal-462 016

Essar Power M.P. Limited
Village: Bandhora,
Post Karsualal,
Tehsil Mada,
Dist. - Singrauli,
Waidhan - 486 886
Madhya Pradesh.
India

Corporate Identity Number
U40100DL2005PLC201961

T +91 89669 02954 / 89669 02955

www.essar.com

Subject: Submission of status report in NGT Principle Bench order date 04.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantnu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg.

Reference: 1) Your Letter No. RD-Bhopal/NGT O A 117/2014/161, dated 18. 01.2021

Dear Sir,

With reference to your captioned letter bearing reference No. RD-Bhopal/NGT OA No. RD-Bhopal/NGT O A 117/2014/161, dated 18. 01.2021 with subject matter of status report in NGT Principle Bench order date 04.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantnu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg., here is our point wise reply.

Essar Power MP Limited (the "Corporate Debtor" or "EPMPL"), is operating 2x600 MW Mahan Thermal Power project in Singrauli District of Madhya Pradesh. EPMPL was admitted into Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP"), in terms of Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC"), and Sh. Ashish Chhawchharia was appointed as the Interim Resolution Professional ("IRP") of the Corporate Debtor, pursuant to the order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("Hon'ble NCLT") vide Order dated 29 September 2020. Subsequently the appointment of Sh. Ashish Chhawchharia was confirmed as Resolution Professional ("RP") by the Committee of Creditors ("CoC") at its first meeting held on 05 November 2020.

- i) NEERI commenced their study and carried out sampling of fly ash, soil, surface water and ground water on 26 November 2019 i.e for prior to collection of ash from spilled area and similar sampling were carried out on 18 February 2020 i.e for post ash collection from spilled area. The samples were analyzed at the NEERI laboratory at Nagpur. As we understand the final report submission was delayed as their laboratory facilities were used as a Covid-19 testing facility and the staff entry to the laboratory was severely restricted. Further some of the team members who were working on this assignment were infected with Covid-19 and the report submission was inordinately delayed. EPMPL had requested a meeting for clarifications and supporting for the conclusions of the report on 26 September 2020. Although the clarifications were received on 16 October 2020, these were not satisfactory. Since EPMPL is not in consensus with the conclusions of the report it has been decided to appoint a reputed institute to evaluate the report prepared by NEERI. Hence EPMPL has awarded work order to IIT Roorkee for validation of NEERI report, which WO No. EPMP/LA/9610010708 adherence with Indian standards. It is expected that additional sampling analysis along with the report validation may take another 12 to 15 weeks post Pandemic.

We have earlier submitted the report totally rejected by us, and are submitting again herewith the NEERI report for your perusal.

- ii) Hon'ble NGT and CPCB is well aware that non-utilization 100 % of fly ash is pending in Honourable Supreme Court and wherein stay of recovery (Order dated 06th December 2019 in Civil Appeal No.9035/2019) is operating for the collection of any Environmental Compensation is attached in **Annexure-I**.

Apart of that As per MoEF notification on fly ash utilization and its amendment dated 25.01.2016, the company is taking concrete efforts.

EPMPL has entered in a MoU with M/S ASHTECH for 100% ash utilization. Further the company has made a 10 years agreement with M/s ASHTECH (India) Private Ltd. The parties through this agreement agree that ASHTECH shall be responsible for arranging transportation of fly ash from Plant end to the End users location and will ensure utilization of fly ash in compliance of extant notifications, order, circulars etc. from MoEF & CC and Pollution Control Board. Clearance to do so is awaited from MPPCB, refer letter No EPMP/LA/6065/10 as **Annexure II**

Ash utilization agreement with M/S ASHTECH has been already shared with MPPCB. ASHTECH agreement copy is attached in **Annexure-II A**.

- iii) The total loss of Crop area was estimated to be around 44.039 ha out of which, 24.383 ha was owned by EPMPL and 19.656 Ha was owned by Villagers. There was a loss of one crop i.e., Kharif Crop, but thereafter the situation was normalized and the landowners already started agriculture work in their land.

The Photos of present situation of land along with the condition of crop are attached as **Annexure-III** and we have done continuously monitoring in that area, which data is attached in **Annexure-IV** for reference. NOC provided by the Villagers after the ash cleaning is attached as **Annexure- V (199 Pages)**.

- iv) EPMPL had planned health camp for the workers and villagers but due to surge in COVID 19, the health camp has been deferred. Once the COVID 19 recedes, health camp will be organized as recommended. Presently EPMPL is helping the surrounding areas through regular sanitisation, distribution of Mask, distribution of food etc.

We hereby submit this letter for your kind information please.

Yours sincerely,

For Essar Power M.P. Ltd.



Authorized Signatory

ITEM NO.21+55

COURT NO.4

SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Civil Appeal No. 9035/2019

CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR,
NORTHERN COALFIELDS LTD. & ORS.

Appellant(s)

VERSUS

ANJANI JAISWAL & ORS.

Respondent(s)

(With IA No.180164/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.180163/2019-EX-PARTE STAY and IA No.182314/2019-EX-PARTE STAY and IA No.180165/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.182315/2019-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/ FACTS/ ANNEXURES)

Diary No. 42957/2019

(FOR ADMISSION AND I.R. and IA No.186437/2019-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.186442/2019-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, I.A. No. 186439/2019-EX-PARTE STAY and IA No.186443/2019-EXEMPTION FROM FILING O.T. and IA No.186446/2019-PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/ FACTS/ ANNEXURES)

Date : 06-12-2019 These matters were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE ROHINTON FALI NARIMAN
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT

For Appellant(s) Mr. Tushar Mehta, SG.
Mr. Anip Sachthey, Sr. Adv.
Ms. Anjali Chauhan, Adv.
Ms. Ria Sachthey, Adv.
Ms. Kalpana Chauhan, Adv.
Mr. Ankur Gupta, Adv.
M/s. ARS Associates, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Delay condoned.

Issue notice.

There shall be stay of recovery in the meantime.

Tag the matters along with Civil Appeal Nos. 4251-4252

Signature valid of 2019.

Digitally signed by R
NATHANAJI
Date: 2019.12.07
14:59:04 GMT
Reason:

(NIDHI AHUJA)
COURT MASTER (SH)

(NISHA TRIPATHI)
BRANCH OFFICER

Ref. No. : EPMP/LA/6065/10
Dated : 15.01.2021

To,
Regional Officer
Bhakuar, Naugarh, Waidhan
District- Singrauli- (M.P.)
Pin-486887

Essar Power M.P Limited
Village: Bandhora,
Post Karsualal,
Tehsil Mada,
Dist. - Singrauli,
Waidhan - 486 886
Madhya Pradesh,
India

Corporate Identity Number
U40100DL2005PLC201961

T +91 75090 61540 / 89669 02954
www.essar.com

Subject: Regarding Ash filling in Low lying area by our Vendor M/s ASHTECH.

Reference: Your office letter no. 3001/RO/PCB/2020, dated: 26.12.2020.

Dear Sir,

This is with reference to your captioned letter received through e mail on 26.12.2020 regarding Ash filling in Low lying area by our Vendor M/s ASHTECH. We would like to draw your kind attention to below mentioned details:

1. Essar Power MP Limited (EPMP) is operating 2x600 MW Mahan Thermal Power project in Singrauli, District of Madhya Pradesh. Because of various business constraint the station is operating at around 30% load.
2. As per MoEF notification on fly ash utilization and its amendment dated 25.01.2016, the company is taking various efforts for 100% Ash Utilization. EPMP has agreements with few cement manufactures on transportation cost sharing basis however the ash lifting has remained very low due to low demand from cement companies in the area. Hence it was necessary to engage specialized entity having expertise in Ash Utilization from the power plants.
3. In view of this the company contacted M/s ASHTECH (India) Private Ltd. (established in year 1992) who is providing consultancy services on fly ash utilization. M/s ASHTECH is also one of India's largest service provider as processor, distributors and exporter of fly ash and fly ash based value added products and they are handling around 7.0 Million tons of Fly ash from

various power plants each year. They are having a strong fleet of more than 550 number of Heavy commercial vehicles and other requisite machinery to handle fly ash.

4. EPMPL has entered in a MoU with M/S ASHTECH to act as aggregator of all efforts towards achieving 100% Ash utilization. Further the company has made a 10 years agreement with M/s ASHTECH (India) Private Ltd. The parties through this agreement agree that ASHTECH shall be responsible for arranging transportation of fly ash from Plant end to the End users location and will ensure utilization of fly ash in compliance of extant notifications, order, circulars etc. from MoEF & CC and Pollution Control Board.
5. Ash utilization agreement with M/S ASHTECH has been already shared with the MPPCB, board wide TOR dated 12.11.20

As per this agreement, M/s ASHTECH will provide a proposal to EPMPL. Further, EPMPL will evaluate the proposal and after completing its internal due diligence and a work order will be awarded for utilization of a defined ash quantity. It is also to be noted that all compliances related to utilization of ash as per various notifications, orders and circulars from statutory bodies i.e. MoEF & CC and Pollution Control Board will be taken care by M/S ASHTECH as per terms of the agreement.

We here by submit this letter for your kind information and approval please.

Yours sincerely,

For Essar Power MP Ltd.



(Authorized Signatory)

- Encl.: (i) Agreement copy issued to M/s ASHTECH.
(ii) MPPCB Letter 3001/RO/PCB/2020.
(iii) TOR Dated 12-11-20 submitted to MPPCB.

CC: Director- Environment, MPPCB, Bhopal



Essar Power M.P. Limited
Village: Bandhora,
Post Karsualal,
Tehsil Mada,
Dist. - Singrauli,
Waichan - 486 886
Madhya Pradesh,
India

Corporate Identity Number
U40100DL2005PLC201961

T +91 75090 61540 / 89669 02954

www.essar.com

AGREEMENT FOR MANAGEMENT AND UTILIZATION OF FLY ASH

BETWEEN

Essar Power M.P. Limited

AND

ASHTECH (India) Private Limited

This Agreement for management and utilization of Fly Ash ("Agreement") is made and entered into this, 2019 at Mumbai by and

BETWEEN

Essar Power M.P Limited (CIN :U40100DL2005PLC201961), a company within the meaning of the Companies Act, 2013, having its Plant at Village Bandhaura, Madhya Pradesh, and having its Head Office at Essar House, 11 K K Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400034, hereinafter referred to as "EPMPL", which expression shall, unless it be repugnant to the subject or context hereof, include its successors and assigns of the FIRST PART.

AND

ASHTECH (India) Private Limited (CIN: U74999MH2002PTC135081), a company within the meaning of the Companies Act, 2013, having its registered office at 30, Ashtech House, Popatwadi, Kalbadevi Road Mumbai-400002, Maharashtra, India and corporate office at "Ashford Centre", 9th Floor, Lower Parel (W), Mumbai-400013, hereinafter referred to as "ASHTECH",

1

Essar Power M.P Limited
Registered Office : Ground Floor, Hotel Conclave Boutique, A-20, Kailash Colony, New Delhi – 110048, India



STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



which term or expression unless excluded by or repugnant to the context or the meaning thereof, shall include its successors and permitted assigns of the SECOND PART.

EPMPL and ASHTECH are hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as a "Party".

WHEREAS:

- a) Essar Power Limited owns and operates Coal based and Natural Gas based power plants in India through its various subsidiaries. EPMPL is a subsidiary of Essar Power Limited and is currently operating and maintaining 2 x 600 MW coal based thermal power plant located at Village Bandhora, Singrauli District, Madhya Pradesh ("Power Plant").
- b) ASHTECH, established in 1992, an ISO 9001:2008 certified company, is engaged in the business of providing consultancy services to various organizations for utilization of Fly Ash (which includes all ash generated such as Electrostatic Precipitator (ESP) ash, dry fly ash, bottom ash, pond ash and mound ash, Cenosphere and any other associated material) in the manufacture of many value-added products (like fly ash – Super Pozz , Ultra-fine fly ash, Cement, Gypsum Powder, Ready Mix Plaster, Blocks & Uni pavers, Aggregates, Construction Chemicals, Bonding Agents etc.) .
- c) ASHTECH has further represented to EPMPL that it is India's largest service provider as processor, distributor and exporter of fly ash and allied products with a commitment towards non compromising quality, responsive service, competitive pricing through continuous innovation in process, productivity, motivated workforce, efficient marketing and wide distribution network.
- d) On the basis of representations made by ASHTECH, EPMPL has agreed to engage it for providing various ash management services for utilization and disposal of Fly Ash generated in its Power Plant described above. Now, therefore, the Parties enter into this Agreement to provide a framework for cooperation between them on a mutually beneficial basis to ensure 100% utilization of Fly Ash generated and the ash currently stored in the ash pond from the Power Plant as per broad scope of work and on such terms and conditions as detailed hereinafter.

NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. Definitions:

In this Agreement, the following terms shall be interpreted as:

- 1.1 The "Agreement" shall mean the issuance of award letter which will constitute the formation of the Agreement.



STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



- 1.2 “The Agreement Value” means the consideration payable by EPMPL/ASHTECH under the Agreement for the full and proper performance of EPMPL/ASHTECH’s obligations under this Agreement.
- 1.3 “Day” means calendar day.
- 1.4 “Effective Date” means the date on which this Agreement becomes effective (i.e. execution date of the Agreement).
- 1.5 “The Party” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns.
- 1.7 Awarded Quantity / Annual Agreement Quantity / Annual Allocated Quantity - is the quantity of fly ash as finalized by EPMPL for award during the period and shall be expressed in Metric Tonne (MT) per annum.
- 1.8 “Arbitration Act” means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 enacted in India, as amended and modified from time to time, including any re-enactment thereof.
- 1.9 Metric Ton (MT) means 1000 Kilograms.
- 1.10 “Agreement Term / Period” means duration of the Agreement together with any extension period.
- 1.11 Dispute / Dispute Notice Refers to Dispute clause of the Agreement.
- 1.12 “Engineer in charge” means the officer appointed in writing by Essar Power M.P Limited to act as an engineer from time to time.
- 1.13 “First Off take” means the date of first off take of Fly Ash, by ASHTECH from Delivery Point in accordance with this Agreement.
- 1.14 “Force Majeure” shall have the meaning ascribed to it under clause 19 of the Agreement document.
- 1.15 “Governmental Instrumentality” means any central / state ministry, agency, inspectorate, department, authority, commission or any regional or municipal authority thereof, which exercises any sovereign/state function in India or otherwise in relation to the performance of this Agreement by either Party including any licensing authority.
- 1.16 “Law(s)” means applicable laws, rules, regulations, judgments, decrees, or other legislative measures having the force of law or issued by any government agency, instrumentality, body or legislature, national, state or local authority or a court of competent Jurisdiction.



Signature



1.17 "Quarter" shall mean a period of 3 months and shall be calculated from the Effective Date of the Agreement.

2. Scope of Collaboration:

2.1 The Parties agree that ASHTECH shall act as an aggregator of all efforts towards 100% Fly Ash generated and/or stored at the EPMPPL Power Plant.

2.2 The Parties through this Agreement agree that ASHTECH shall be responsible for ensuring 100 % utilization of Fly Ash from the Power Plant owned and operated by EPMPPL, i.e. from source to user end, in compliance of extant notifications, orders, circulars, etc. of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Pollution Control Boards, etc. with respect to utilization of Fly Ash (hereinafter referred to as "Purpose"). ASHTECH agrees that in the afore-mentioned arrangement, EPMPPL shall incur any expense as per the gazette notification dated 25th Jan' 16 on case to case basis and as per Annexure 1. Revenue generated from sale / utilization of Fly Ash shall be shared between ASHTECH and EPMPPL as per Annexure 1/ clause 3.3 of the Agreement.

2.3 The utilization/disposal of Fly Ash from EPMPPL shall be undertaken in and through a transparent process with proper documentation including user certificate as proof of utilization of Fly Ash, agreements / contract for transportation of Fly Ash in a pollution free manner, compliance of all necessary approvals and consents which shall be obtained as per applicable laws, extant notifications, rules and regulations.

2.4 ASHTECH shall endeavor to add value added products viz. aerated autoclaved concrete blocks, cement, construction chemicals etc. to the avenues of Ash utilization. EPMPPL shall extend all possible support to ASHTECH in manufacturing and proliferation of such value added products. EPMPPL shall have the option at all times to have commercial interests in such value added products, the terms and agreements of which shall be detailed out as and when these are identified. ASHTECH represents that it will always keep EPMPPL informed with respect to any development and decision with respect to such value added products.

2.5 ASHTECH shall also explore opportunities for establishment of brick plants / cement grinding units' / RMC plant or any other such facility for utilization of Fly Ash inside or nearby the Power Plant and shall incur expenditure involved in setting up such a facility in a proportionate ratio. EPMPPL shall extend all possible support to ASHTECH in establishment of such facility. EPMPPL shall have the option at all times to have an equity share in such facility. ASHTECH and EPMPPL shall enter into a separate agreement for such a facility as and when it is deemed appropriate.

3. Roles and Responsibilities of the Parties:

3.1 Parties mutually agree and understand to co-operate, extend all required assistances, exercise all reasonable efforts and undertake to perform the following roles and responsibilities for

4



STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



achievement of the Purpose: -

- (i) Attend negotiation or other meetings with the end user of Fly Ash, identified pursuant to this Agreement;
- (ii) Preparation of strategy and implementation/action plan for utilization of Fly Ash.; and
- (iii) Implementation of the existing contracts for utilization of Fly Ash.

3.2 Responsibilities of ASHTECH:

ASHTECH shall undertake and perform the following responsibilities for the achievement of the Purpose:

- (i) To act as an aggregator of all efforts towards achieving 100% utilization of Fly Ash generated and/or stored at the Power Plant including but not limited to the following:
 - a. To depute supervisory staff for smooth management;
 - b. To develop short, medium and long term measures to meet the target in a consistent manner;
 - c. To identify low lying / quarry / mine for disposal of additional quantity of ash;
 - d. To ensure that all fly ash is utilised / disposed of from the fly ash silos to avoid transportation of fly ash to ash dyke, to avoid unwanted cost;
 - e. To provide in house technical expertise for smooth operation of pneumatic conveying system, ash segregation, etc. where ever required;
 - f. To deploy equipment like excavators, backhoe loaders, bulkers, tippers, etc. to ensure smooth and around the clock disposal of fly ash from the Power Plant, at agreed terms and conditions;
 - g. To find avenue to vacate / dispose available pond ash on immediate basis;
 - h. To set up manufacturing units of value added products such as Aerated Autoclave Concrete / Block (AAC), Cement Grinding / Blending Unit, Cenosphere Collection. The modalities of the value added products shall be discussed and implemented accordingly.
- (ii) Arranging for transportation including loading and unloading of Fly Ash from the Power Plant to the end user / ASHTECH's location;



Santhosh

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



- (iii) Comply and ensure compliance with extant guidelines / notifications, as may be amended from time to time by Government of India and / or various statutory bodies including but not limited to Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Central Electricity Authority (CEA), Central Pollution Control Board (CPCB), State Pollution Control Board (SPCB) and any other government bodies or agencies and to follow all the stipulated guidelines of safety management, environment management and plant specific rules and regulations / guidelines;
- (iv) Comply and ensure compliance with the various orders pronounced by competent courts and tribunals, from time to time, for utilization of Fly Ash;
- (v) To provide, and ensure wherever required and applicable that the end user of the Fly Ash provides, necessary undertaking or certificate as proof of compliance of the extant guidelines, notifications, rule, regulations, etc.;
- (vi) To provide all MIS
 - a) To submit weekly and monthly report; and
 - b) To submit monthly sale / report along with rate charged / derived from sale of fly ash on Ex-plant basis.
- (vii) To manage stakeholder
 - a) To hold technical seminars for educating the local brick manufacturers, users as required; and
 - b) To maintain healthy & cordial relation with all the stake holders in Ash Management.

3.3 Baseline, Timeline and Revenue Mode:

ASHTECH to complete the aforementioned scope of work as per below completion schedule with committed delivery.

- a. Target for Utilisation along with pricing :
Enclosed under Annexure -1
- b. Target for new avenues for pond ash utilisation:

Sl. No	Value Added Product	Current Mode of Utilization	Duration for establishment	Remarks
1	Collection of Cenosphere	Nil	Immediate	From the date of giving mandate to establishment. Ashtech Shall pay Rs 20,000 Per MT to EPMPPL

6



STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



2	Aerated Autoclave Concrete block (AAC)	Nil	12 - 15 months	From the date of giving mandate to establishment
3	Cement grinding / blending unit	Nil	12 - 15 months	From the date of giving mandate to establishment
4	Any other value added product	Nil	To be decided later	As per mutual consent
5	Conventional brick with Fly Ash Manufacturing	Nil	To be discussed under Separate Proposal .	

3.3 Responsibilities of EPMPL:

EPMPL shall be responsible for the following: -

- (i) Ensure availability of Fly Ash from its Power Plant for supply to ASHTECH;
- (ii) To provide reasonable assistance to obtain all approvals, consents, etc. for supply, transportation of Fly Ash, etc.
 - a) To inform the current users and help ASHTECH for a smooth transition. ASHTECH to take up the responsibility of Fly Ash, Bottom Ash, and Pond Ash disposal on exclusive basis.
 - b) To arrange round the clock despatch / weigh bridge, facilities etc. required for ash utilization / disposal
- (iii) Preparation, submission, obtaining of approval of the strategy and implementation/ action plan for utilization of Fly Ash from the relevant Authority including the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards, etc.

4. Costs and Expenses:

- 4.1 Any revenue generated from the utilization of Ash shall be shared equally between ASHTECH and EPMP. Priority shall be given to generated ash utilization, followed by pond ash.
- 4.2 Any utilization of ash through cement & RMC shall be off loaded to ASHTECH.
- 4.3 Entire utilization of ash to brick manufactures shall be done by ASHTECH within the radius of 300 KMs. EPMP to share the details of potential brick manufacturer in the vicinity of EPMP plant and currently taking ash from the plant.
- 4.4 Any utilization of ash through road development work shall be either based on revenue sharing mode or transportation to be done through ASHTECH.

7



S. Madhan

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



- 4.5 Parties agree that expenses, if any, incurred towards transportation of Fly Ash shall be borne by EPMPPL and invoices shall be in the name of EPMPPL unless otherwise specified, as required by extant guidelines/ rules/ notifications issued by Central Electricity Regulatory Commission under CIL.

5. Indemnity

ASHTECH agrees to indemnify EPMPPL from any and/or all liabilities, claims or expenses resulting from:

- 5.1 a breach of their obligations under this Agreement;
- 5.2 infringement of any Intellectual Property of any third party;
- 5.3 Any act or omission constituting negligence or willful misconduct or breach of any fiduciary duty by its officer, director, agent, or employee.
- 5.4 any violation by ASHTECH or by end user of Ash of the extant guidelines/ notifications, applicable laws, as may be amended from time to time by Government of India and various statutory bodies including but not limited to Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Central Electricity Authority (CEA), Central Pollution Control Board (CPCB), State Pollution Control Board (SPCB) and any other government body.

6. Duration, Termination and Modification

- 6.1 This Agreement shall come into full force and effect when it has been signed by both the Parties and shall remain valid for a period of Ten (10) years unless extended by mutual consent or unless terminated earlier for any of the following reasons:
- Mutual consent of both the Parties; or if either Party is in material breach of this Agreement and has failed to cure such breach within fifteen (15) days after its receipt of written notice of such breach provided by the non-breaching Party,
 - such notice shall be provided by the non-breaching Party within thirty (30) days after the non-breaching Party becomes aware of the material breach;
 - or due to insolvency, receivership or winding up of either Party;
 - Either party can terminate the Contract giving 30 days notice period.
- 6.2 This Agreement may be reviewed periodically and amended only by mutual agreement of the Parties in writing and duly executed by the authorized representatives of the Parties.



6.3 Notwithstanding the above, termination shall not prejudice any obligation that has arisen prior to the termination between the parties and/or obligation of either party to any other third party.

6.4 Clause 7 (Information Sharing and Confidentiality), Clause 8 (Governing Law and Jurisdiction), Clause 10 (Arbitration) and Clause 12 (Limitation of Authority) shall survive termination and shall continue to be applicable.

7. Information Sharing and Confidentiality:

7.1 The discussion, communications, pursuit and development of the scope of the collaboration under this Agreement by the Parties, including all related documentation and negotiations, may involve the exchange of data, concepts, ideas and other information considered proprietary to and by the Parties. Any commercial, technical, financial, marketing or other information of a proprietary and/or confidential nature received or obtained by any Party hereto from the other Party hereto, which shall be conspicuously marked by such disclosing Party as proprietary and/or confidential, (the "Confidential Information"), shall be treated by the receiving Party as strictly confidential. The receiving Party shall not, without the prior written consent of the disclosing Party, disclose any Confidential Information to any person, firm or company, except to its directors, officers, employees and advisors or those of its affiliates having a need to know (an "Authorized Person"), and the receiving Party shall ensure that it and any such Authorized Person shall not use the Confidential Information for any purpose other than for the matters set forth in this Agreement. Confidential Information shall not include any information which:

- (i) is known to or possessed by the receiving Party at the time of disclosure; or
- (ii) is now or hereafter becomes available to the public through no fault of the receiving Party; or
- (iii) may hereafter be acquired by receiving Party from any third party without any restriction of disclosure; or
- (iv) in the event that a receiving Party is required to disclose Confidential Information under any applicable law or regulation or any judicial order or the rules of any recognized stock exchange, such disclosure shall not constitute a breach of this Clause provided that the receiving Party does not affect any disclosure that is more extensive than required by such applicable law or regulation, judicial order or stock exchange rules, and the receiving Party shall inform the other Party in advance of making any such disclosure.

7.2 This Agreement, the terms of this Agreement and all subsequent agreements made between the Parties shall remain confidential, unless as required to be disclosed under the laws



Santhosh



applicable to the relevant Party. Confidentiality obligations under this Clause shall remain valid for three (3) years after the termination of this Agreement.

8. Governing Law and Jurisdiction:

This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of India and shall be subject to exclusive jurisdiction of the courts and tribunals in Mumbai, India.

9. Amicable Settlement:

9.1 In the event of any disputes or claim of any kind whatsoever that may arise between the Parties as a result of construction, interpretation or application of any of the terms and conditions of this Agreement or performance of it ("Dispute") either Party shall issue a written notice informing the other party of a Dispute ("Dispute Notice").

9.2 The Parties shall within thirty (30) Days from the date of receipt of Dispute Notice by such other Party meet and endeavor to settle Dispute in an amicable manner through good faith and negotiations. In the event of failure of the Parties to settle Dispute amicably within such 30- Days period, either Party may refer Dispute for resolution by arbitration, in accordance with the provisions mentioned hereunder.

10. Arbitration:

10.1 In the event that the Parties are unable to resolve the disputes, controversy or claim relating to or arising out of this Agreement, such disputes, controversy or claim shall be finally settled by a panel of arbitrators ("The Arbitral Tribunal"), in accordance with the provisions mentioned hereunder.

10.2 Either party may by written request notify the other Party of its intent to refer such Dispute to arbitration. Within 30 Days of receipt of such notice by such other Party, the Parties shall each appoint one arbitrator. Within 30 Days of the appointment of the arbitrators, the two arbitrators so appointed shall appoint a third arbitrator (who shall be the presiding arbitrator). In case the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, the third arbitrator shall be appointed as per the provisions of the Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996.

10.3 The third Arbitrator will be the presiding Arbitrator and Arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time and read with rules framed there under.

10.4 The seat of arbitration shall be Mumbai or such place as may be determined by the arbitrators. The language of the Arbitration proceedings will be in English.

10.5 The Party initiating arbitration shall specify the dispute or disputes being referred to arbitration under this clause together with the amount or amount claimed in respect of each

10



Sandhanis

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



such dispute. The arbitrators shall make the award within reasonable time from the date of entering in the reference.

- 10.6 The arbitrators shall be deemed to have been appointed on the date they issue notice to both the Parties fixing the date of the first hearing. Arbitral Tribunal shall give a reasoned award. The decision or award shall be final and binding upon the Parties, and judgement for execution and enforcement of any award may be entered upon in any court of competent jurisdiction permitted under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
- 10.7 The cost of Arbitrators shall be borne equally by the Parties to the dispute.
- 10.8 Notwithstanding the subsistence of any arbitration proceedings, the Parties shall continue to perform their respective obligations under this Agreement.

11. Notice:

- 11.1 Any notice required or permitted to be given under this Agreement by one of the Parties to the other Party shall be given for all purposes by delivery in person, or by registered or certified mail, postage prepaid with return receipt requested, or by facsimile or email addressed to the other Party at its address set forth below, or at such address as a Party shall hereafter furnish in writing to the other Party.

If to EPMPL:

Essar Power M.P Limited (EPMPL)
Essar Power Limited
Essar House.
11, K K Marg, Mahalaxmi
Mumbai - 400034
Kind Attention: /Arup Banerjee (Head – Contracts & Material procurement)

If to ASHTECH:

ASHTECH (India) Private Limited
Ashford Centre, Opp. Peninsula Corporate Park
Lower Parel (W)
Mumbai – 400 013
Kind Attention: Sanjay Mandhanian (Director)

- 11.2 Otherwise specifically provided herein, such notice shall take effect upon delivery to the addressee, provided, however, that such notice shall be deemed to have been delivered upon the expiration of seven (7) days from the date of sending if sent by registered or air mail, and twenty-four (24) hours if sent by facsimile or email.



Sanjay Mandhanian

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



11.3 In the event a notice is sent by facsimile or email, a confirmation copy shall be sent on the same day by registered or certified mail.

12. Limitation of Authority:

Subject to and to the extent of the scope of this Agreement as stated in Clause 2 herein, the Parties undertake, during the validity of this Agreement, that either Party shall:

- (i) not negotiate or conclude any contract or agreement with the end user on behalf of the other Party except when expressly agreed in writing by such Party;
- (ii) not give any guarantees or warranties to any prospective clients and third parties except those authorized in writing by the other Party;
- (iii) not commit the other Party to any financial obligation or responsibility except when expressly authorized by the other Party;
- (iv) not pledge any credit on behalf of the other Party;
- (v) not describe itself as an agent or representative of the other Party or bind or commit the other Party or hold itself out, or permit any person to hold it out, as being authorized to bind the other Party in any way or do any act which might reasonably create the impression that it is so authorized except as expressly authorized by this Agreement;
- (vi) not to engage in any business in the other Party's name or commit the other Party contractually to any third party.
- (vii) not make any illegal payment, promises or gifts which are illegal under any applicable law in the performance of its obligations under this Agreement or in pursuing the scope of the collaboration hereunder which could in any way and any manner whatsoever and howsoever implicate the other Party;
- (viii) not to exceed the authority contained in instructions and/or request issued by the other Party, in the performance of its obligations under this Agreement or in pursuing the scope of the collaboration hereunder.

13. Representations and Warranties:

Each Party hereby represents and warrants that:

- (i) It is able and willing and has the requisite experience, skills and business connections to fulfill its obligations under this Agreement;
- (ii) It shall perform its obligations in accordance with the best Industrial Practices and all applicable standards and law. Any work that is not in compliance with the requirements

12



Handwritten signature

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



will not be accepted and shall be re-performed by the Party concerned at no additional cost or consequences to the other Party;

- (iii) It shall perform its obligations in accordance with all the requirements set out in this Agreement;
- (iv) It is not in default under any agreement to which it is a party or by which it is bound and/or no litigation, arbitration or administrative proceedings are currently present or pending or threatened with such actions, as the case may be, which might materially affect its ability to enter into and/or to perform its obligations under this Agreement;
- (v) It has the necessary authorization to enter into and execute this Agreement; and
- (vi) No petition has been presented for its winding up and no winding up order has been passed by a court having competent jurisdiction;
- (vii) No work/product delivered under this Agreement or any delivery order will infringe any patent, trademark, copyright, design or any other intellectual property rights (Intellectual Property) of any third party and any claim arising from any such infringement will be to the account of the Party infringing such Intellectual Property.

14. Assignment:

This Agreement shall not be assignable by a Party without the prior approval of the other Party in writing.

15. Binding:

This Agreement represents the sole understanding between the Parties and the express obligations arising here from are binding upon the Parties. Each Party to this Agreement shall act as independent Party.

16. Security Deposit

ASHTECH to submit a Bank guarantee of INR.1,00,000 (Rupees One Lac only) towards non-compliance of statutory pollution norms during collection, transportation and handling of ash from EPMP plant premises to destination as the case may be. The same will be returned back on completion of the Agreement period or termination of the Agreement.

17. Working Hours

Delivery of ash is intended to be given for 24 hours on all days including Sundays and holidays and as per the direction of Engineer – In – Charge. Entry and exit of the vehicles will be allowed as per the norm of the plant working hours as per site conditions.



Sandhan

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



18. Miscellaneous:

- 18.1 Parties shall at any time as is deemed appropriate, may request and convene meetings for reporting and/or reviewing the progress of activities being carried out under this Agreement and for planning and implementing future activities and for forming coordination committees for such purpose. Such meetings and consultations could also be held over teleconference or videoconferences as may be appropriate.
- 18.2 In no event shall either Party be liable to the other party for indirect or consequential loss or damage, loss of profits, business, revenue, goodwill or anticipated savings suffered by the other Party during the term of this Agreement. Direct loss suffered by one Party as a result of the breach of this Agreement by the other Party, shall be compensated by the default Party alone.
- 18.3 Neither Party shall use the name, logo, trade name or trademark of the other Party or its subsidiaries, and/or affiliates, or any abbreviation of the aforesaid, for whatever purposes and in whatever manner, whether or not it is in connection with its business or otherwise, unless express prior written consent of the other Party is obtained.
- 18.4 This Agreement supersedes and replaces all prior understandings, commitments and other agreements (whether committed to writing or not) among the Parties and represents the entire understanding of the Parties in relation to its subject matter
- 18.5 If any provision of this Agreement or any other agreements or arrangements entered into pursuant hereto or in consequence hereof, shall become invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not affect the interpretation, application, or validity of any of the other provisions of this Agreement.
- 18.6 The failure by any Party to exercise any right assigned thereto or its tolerance in relation to any non-compliance of the terms and conditions of this Agreement by the other Party shall not imply, anytime or under any circumstance, waiver to exercise such right by that Party.
- 18.7 Each of the Parties shall comply with all the laws applicable to it. No Party, in connection with the performance of this Agreement, shall be required to do or refrain from doing anything which would cause it to violate any law to which it is subject.
- 18.8 This Agreement may be signed in multiple English counterparts, each of which shall be deemed as original and all of which duly executed shall constitute one entire document.
- 18.9 The Parties hereto hereby agree and undertake to take all such steps as may be necessary to give effect to the provisions contained in this Agreement.

19. Force Majeure:



Santhosh

STEEL | ENERGY | INFRASTRUCTURE | SERVICES



19.1 "Force Majeure" shall mean any event beyond the reasonable control of the Party which is unavoidable notwithstanding the reasonable care taken by the party affected. Force Majeure shall include but not be limited to the following events and circumstances:

- (i) Flood, cyclone, lightning, storm, tidal wave, hurricane tornado, earthquake, landslide. Epidemic or other acts of God.
- (ii) War (whether declared or not), riot, civil war, blockade, insurrection.
- (iii) Illegal strike or Illegal lockout; and
- (iv) Acts of the Government Instrumentality having jurisdiction occurring after the date of this Agreement, including the issuance of promulgation of any court order, law, statute, ordinance, rule, regulation or directive, the effect of which would prevent, delay or make unlawful a Party's performance herein, provided that executive acts of a Governmental instrumentality in the capacity of a shareholder or seller of either party shall not for the purpose of this Agreement be considered as a Force Majeure event.

19.2 If either Party is prevented, hindered or delayed from or in performing any of its obligations under the Agreement by an event of Force Majeure, then it shall notify the other upon the occurrence of such event and the circumstances thereof within fourteen (14) days after the occurrence of such event.

19.3 The Party who has given such notice shall be excused from the performance or punctual performance of its obligations under the Agreement for so long as the relevant event of Force Majeure continues and to the extent that such Party's performance is prevented, hindered or delayed. The Tie-up period of the Agreement shall be extended after mutual discussion.

19.4 The Party or Parties affected by the event of Force majeure shall use reasonable efforts to mitigate the effect therefore upon its or their performance of the Agreement.

19.5 Delay or non-performance by either Party hereto caused by the occurrence of any event of force majeure shall not constitute a default or breach of the Agreement.

19.6 If the performance of the Agreement is substantially preened, hindered or delayed for a single period of more than thirty (30) days or an aggregate period of more than ninety (90) days on account of one or more event of Force Majeure during the term of the Agreement, the Parties will attempt to develop a mutually satisfactory solution, failing which the dispute shall be resolved in accordance with GCS clause.



15



19.7 In the event of prohibition imposed by Government of India/Competent authorities due to change in policies making impossible to perform the Agreement, may be termed as Force Majeure and neither Party shall be liable for compensations or damages due to non-performance.

19.8 Any notification issued due to change of policy by Government of India/State Government/any Statutory body after the date of issue of award for allocation of Fly ash quantity to the fly ash user shall also be applicable for this Agreement and will be binding on either Parties, as per the applicable law/rules and neither Party shall be liable for compensations or damages due to non-performance.

20. Insurance & Liability:

The Parties will take full responsibility for maintaining all the related insurances as per law of land at its own cost.

21. Taxes, Duties & Levies:

EPMPL shall be liable and responsible for payment of all statutory levies in the form of taxes, duties, etc. for the transportation of ash as applicable by government rules or local statutory bodies.

22. Safety Requirements:

ASHTECH shall ensure safety and security of all its personnel, working at different locations in connection with lifting, transportation and handling of ash.

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HERETO HAVE EXECUTED THIS AGREEMENT AS OF THE EFFECTIVE DATE FIRST ABOVE WRITTEN.

For and on behalf of EPMPL



 Name : ARUN BOVERJEE
 Designation : Authorized Signatory

For and on behalf of ASHTECH (India) Private Limited



 Name : _____
 Designation : Authorized Signatory

ANNEXURE- 1

Ash Utilisation Plan:

Type of Ash	Areas of Utilisation	Remarks
Dry Fly Ash / Pond Ash	<ul style="list-style-type: none"> • Supply to Brick Manufactures • Cement Industries • Road Projects • Filling Low Lying areas • RMC Units • Any other application 	<p>Currently EPMPPL is incurring a cost of Rs 75 per MT but the Ash Utilisation through the same is in the range of 10 – 15% .</p> <p>Ashtech shall analyse the market Supply and Demand, Strategy / Policy of other Power Plants in the vicinity and then forward a plan towards achieving 100% Fly Ash utilization from Silos and also to start emptying Pond Ash deposit.</p> <p>Till then the prevailing freight support shall continue.</p> <p>Timeline: - 3 months</p>



Annexure-III

Agriculture photographs post recovery of ash from farm field (Place – Karsualal and Karsuaraja)



Paddy Crop



Paddy Crop



Arhar (Pigeon pea)



Maize

Issued to :

M/s. Essar Power M.P. Ltd.,
Village Bandhaura, Karsualal,
Tehsil: Mada-486886
Distt: Singrauli (MP)



ABC Techno Labs®
India Private Limited

Corporate Office & Lab :
ABC TOWER
#400, 13th Street,
SIDCO Industrial Estate - North Phase,
Ambattur, Chennai - 600 098.
Ph : +91-44-2625 7788, 2625 7799
Helpline : +91 94442 60000, 95661 87777



lab@abctechlab.com
www.abctechlab.com

(An ISO : 9001, ISO : 14001, OHSAS : 18001 & ISO : 22000 Certified Company)

ACCREDITED BY NABET, QUALITY COUNCIL OF INDIA
RECOGNISED BY MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE (MoEFCC), GOVERNMENT OF INDIA
&
RECOGNISED BY BUREAU OF INDIAN STANDARDS

TEST REPORT

REPORT NUMBER : ABCTL/C/200106/AAQ/1962
SAMPLE DESCRIPTION : AMBIENT AIR QUALITY MONITORING(24HOURS)
DATE OF SAMPLING : 06-01-2020-07-01-2020
REPORT DATE : 03-02-2020

Page 1 of 6

S. No.	Parameters	Downward of New Ash Dyke Cell No 3	Test Method	Limits*
1	Particulate Matter size less than 10 µm (PM ₁₀), µg/m ³	81.3	IS 5182 Part-23 : 2006 (Reaff. 2017)	100
2	Particulate Matter size less than 2.5 µm (PM _{2.5}), µg/m ³	49.0	EPA- 40 Appendix L To Part 50	60

*National Ambient Air Quality Standards prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, vide Gazette Notification G.S.R. 826(E) dated 18.11.2009



Contd...




S. Ravi
Vice President - Labs

Terms and conditions :

• The test results relate only to the items tested. • The test report shall not be reproduced in full or part without the written approval of ABC. • The test items will not be retained for more than 15 days from the date of issue of test report in the case of perishable items unless otherwise requested by the customer. • The laboratory's responsibility under this report is limited to proven willful negligence and will in no case be more than the invoiced amount. • The report is issued for the purpose of identifying the characteristic and not intended to use for any publicity / litigation purpose.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में उमेश सिंह

पिता जगधारी सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 783, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 4/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम जगधारी सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सुभाष चन्द गुप्ता

पिता मुकुन्द लाल गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० २५५/१ २३३ २३५ ३३७ ३३९ ३४१
३४२ ३५४ ४२६

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एन० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-09/04/2020

सुभाष चन्द गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सुभाष चन्द गुप्ता

पिता का नाम मुकुन्द लाल गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में विनोद कुमार गुप्ता

पिता मुकुन्दलाल गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 255|1 233 235 337 339 341
342 354 426

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 18/4/2020

Vinod Kumar Gupta

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राममनोहर गुप्ता

पिता कपूर-चन्द गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 506/1, 506/2, 512/1, 512/2

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 17-02-2020

राममनोहर गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम राममनोहर गुप्ता

पिता का नाम कपूर-चन्द गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं बबलु सिंह

पिता चमनलाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 13/2/2020

बबलु सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में मोहर सिंह

पिता परसोत्तम सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 29/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम मोहर सिंह

पिता का नाम परसोत्तम सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (स०प०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में मुन्निदा सिंह

पिता W/O जगदीश सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-- 29/04/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम मुन्निदा सिंह

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में मटुक सिंह

पिता धर्मपाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/01/2020

मटुक सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम मटुक सिंह
पिता का नाम धर्मपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं लज्जनाशक सिंह

पिता सुकाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बॉध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/01/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम लज्जनाशक सिंह

पिता का नाम सुकाल सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में ~~कलमलीया~~ मिहं ~~पति~~ मिता ठाकुरदयाल मिहं
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 809, 808,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 11/2/2020

~~किसमती~~ टीट्ट

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

~~पति~~ मिता का नाम ~~पति~~ ठाकुरदयाल मिहं
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कौमल सिंह

पिता अजमेर सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809.

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफ़ाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

 कौमल सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम कौमल सिंह

पिता का नाम अजमेर सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं लालू सिंह

पिता अजमेर सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफ़ाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

लालू सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम अजमेर सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में देवमति सिंह

पिता जगधारी सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-3/9/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम देवमति सिंह
पिता का नाम जगधारी सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जीरधावल सिंह

पिता साधु सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/12/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम जीरधावल सिंह
पिता का नाम साधु सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं भजन सिंह

पिता सुकाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/01/2020

भजन सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम भजन सिंह

पिता का नाम सुकाल सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में कुन्ती सिंह पिता चर्मपाल सिंह
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 13/02/2020


(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम कुन्ती सिंह
पिता का नाम चर्मपाल सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं छांदूलाल जाधवराव


पिता महानन्द जाधवराव

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 418 439 445 450 452 458 459 460

516/4 516/5 516/6 517/1 517/2 518 523 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 25/03/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ^{११} ~~अनादीकाल~~ ^{११} ~~कुल~~ पिता ~~अनादीकाल~~ ^{११} ~~कुल~~ ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 761,393 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 23/11/2019

अनादीकाल ^{११} ~~कुल~~
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम ^{११} ~~अनादीकाल~~ ^{११} ~~कुल~~
पिता का नाम ^{११} ~~अनादीकाल~~ ^{११} ~~कुल~~

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं नाशराज प्रसाद कुंवर पिता श्यामजीकुंवर कुंवर ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 762, 393 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 23/11/2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम नाशराज प्रसाद कुंवर

पिता का नाम श्यामजीकुंवर

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राधेश्याम प्रसाद जायसवाल पिता सुरज लाल जायसवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 802/1, 804/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 7/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम राधेश्याम प्रसाद जायसवाल
पिता का नाम सुरज लाल जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

एक शर्त उठ गया है दूसरा पसल
उस शर्त से आयदनी होने बायके है - तो
दूसरा शर्त नहीं मिला है

कृषक राधेश्याम प्रसाद जायसवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं चमरे लु उमर उमर पिता मा लती उमर उमर ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 710/1, 710/1 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 18/11/19

मा लती उमर उमर

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम चमरे लु उमर उमर

पिता का नाम मा लती उमर उमर

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. मममममम गुला

प्रदेश नितीश्वर भगवती

2. चमरे लु

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ~~अनिलकुमार प्रसाद~~ पिता ~~अनिलकुमार प्रसाद गुप्ता~~ ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 530, 532, 328 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/11/19

खसरा नं० 410, 409, 753, 754,
718

~~अनिलकुमार प्रसाद गुप्ता~~
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम ~~अनिलकुमार प्रसाद गुप्ता~~

पिता का नाम ~~अनिलकुमार प्रसाद गुप्ता~~

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सोहनलाल गुप्ता पिता लखेश्वर गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 530, 339 एवं 338 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। खसरा नं० 328 532 410 एवं 409

दिनांक:- 12/11/19


(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम सोहन लाल गुप्ता
पिता का नाम श्री लखेश्वर गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पट्टेदार 1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता
2. देवेन्द्र कुमार गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं तरुणेंद्र कुमार गुप्ता पिता भगवती प्रखर गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 791/1, 797/1 का भूमिस्वामी / सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वारा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 22/11/19



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम तरुणेंद्र कुमार गुप्ता
पिता का नाम भगवती प्रखर गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. AS

2. Byadur

पट्टेवाल, कर्मचारी शिव भगवती प्रखर गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कृष्ण कन्द्यापति पिता श्री जाल जी जाठ ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 804/3, 804/2, 807/2, 808 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बॉध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जांच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/11/19

कृष्ण कन्द्यापति

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम कृष्ण कन्द्यापति

पिता का नाम श्री जाल जी जाठ

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

पद्म लाल जी सो मुन्नेवा जायठ

1. श्री कृष्ण प्रसाद पाजठकान्त

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सैकर प्रसाद प्रजापति पिता श्री गुलशार प्रसाद प्रजापति ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 208/209/287 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 8/12/2019

सैकर

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सैकर प्रजापति
पिता का नाम गुलशार प्रजापति
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. जगत

2. सुरेश गुला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कृष्णाप्रसाद भाई पिता मंजी प्रसाद भाई ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 423, 425 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

24.11.2019

मंजी प्रसाद भाई
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर) पट्टेदार बदन कुश्रामती
भू-स्वामी का नाम

पिता का नाम मंजी प्रसाद भाई

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

खसरा नं०

51, 350, 339, 348, 423, 478/1, 480, 503, 482, 484, 486, 487, 495, 496, 197, 499, 375, 374, 376, 494, 407, 404, 402, 401, 367, 366, 363, 362, 132, 233, 234,

कुल 86 किता हिस्से का रकवा 0.143

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं श्री अनिल प्रताप लाल पिता श्री गजमोहन लाल
 कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 506, 733, 740, 739, 741, 742 को भूमिस्वामी /
 भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बॉध
 एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि
 बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि
 सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका
 तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस
 सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वा
 किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न
 है। 1982/3, 748/3, 738/3, 265/3, 248/3, 301/3, 237/3, 240/3, 241/3, 242/
 243/3, 275/3, 244/3, 245/3
 दिनांक:- 22/11/19

अनिल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम श्री अनिल प्रताप लाल
 पिता का नाम श्री गजमोहन लाल
 ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)
 जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. मोहित शर्मा

2. चक्रवर्त

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं श्री प्रदीप दास जी, पिता ए० श्री मोती लाल जी का भूमिस्वामी/ कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 732 का भूमिस्वामी/ भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड, बाँध एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न है।

दिनांक: 22/11/19

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम श्री प्रदीप दास जी
पिता का नाम ए० श्री मोती लाल जी
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल सि० राजभन
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. श्री लाल जी

2.

पट्टार गोपालदास सि० राजभन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं संतधारी पिता नान्हक यादव ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 551 का भूमिस्वामी/सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/11/2019

संतधारी
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम संतधारी
पिता का नाम नान्हक
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र


मैं श्री 107-5000 पिता श्री राधेश्याम, ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 557 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7/11/2019 श्री 107-5000 पृष्ठ संख्या
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम श्री राधेश्याम
पिता का नाम श्री राधेश्याम
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ~~कुरुआ~~ प्रताप गुप्ता पिता ~~श्री~~ गंगा प्रताप गुप्ता का भूमिस्वामी / कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 795 @ 797 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि बोर्ड हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न है।

दिनांक:- 22-11-19


(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम ~~कुरुआ~~ प्रताप
पिता का नाम ~~श्री~~ गंगा प्रताप
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं दोटे लाल गुहा पिता रुं श्री रामधिलाश गुहा
 कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 714/715/716/717 का भूमिस्वामी/
 भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध
 एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि
 बोर्ड हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि
 सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका
 तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस
 सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वा
 किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न
 है। आराजी नं० 756 508

दिनांक:- 22/11/19

दोटे लाल गुहा

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम दोटे लाल गुहा
 पिता का नाम रुं श्री रामधिलाश गुहा
 ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. मोहित गुहा

शंकर प्रेमदास मोती रफ

यन्देश


2. क्षेत्रेश उपधाय

श्री० रामधिलाश
गुहा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ~~चन्द्र प्रताप मिश्रा~~ पिता ~~श्री शनिन्द कृष्ण मिश्रा~~ ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 550/2 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 3/12/2019


(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम चन्द्र प्रताप मिश्रा
पिता का नाम श्री शनिन्द कृष्ण मिश्रा
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं मोहित कुमार गुप्ता पिता श्री राममनोहर गुप्ता
 कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 711/3/4/797/791/2 का भूमिस्वामी/
 भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध
 एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि
 बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि.
 सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका
 तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस
 सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वा
 किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न
 है।

दिनांक:- 22/11/19

मोहित कुमार गुप्ता
 (कृषक का हस्ताक्षर)
 कृषक का नाम मोहित कुमार गुप्ता
 पिता का नाम श्री राममनोहर गुप्ता
 ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. 

2. 

मोहित कुमार गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रमेश सिंह,

पिता जगधारी सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 783, 793, 808, 809.

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 4/2/2020

रमेश सिंह
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम जगधारी सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं संन्धारी सिंह

पिता त्रिभुवन सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 314, 315, 316,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम संन्धारी सिंह

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

त्रिभुवन सिंह

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं फुलशरिपा सिंह

पिता तिलक शरिपा सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 4/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम फुलशरिपा सिंह

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं धनी सिंह

पिता प्रबन्ध सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 7.87, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/01/2020

धनी सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम धनी सिंह

पिता का नाम प्रबन्ध सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम सिंह

पिता माकू सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 783, 793, 800, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05/02/2020

राम सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं भुलान पादव पिता जान्हक पादव ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 551 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/2019


(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम भुलान

पिता का नाम जान्हक पादव

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं शिवधारी पादव पिता नान्हक पादव ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 551 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफ़ाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 27/11/2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम शिवधारी

पिता का नाम नान्हक पादव

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में हरी प्रसाद शाह

पिता चतुर्गुन प्रसाद शाह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 395

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक: - 31/03/2020

अनापत्ति प्रमाण
(कृषक का हस्ताक्षर) कृषक
कृषक का नाम हरी प्रसाद शाह
पिता का नाम चतुर्गुन प्रसाद शाह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

कब्जाधारी का गवाह

1. शिवेश
2. [Signature]
3. अलाल लाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सुमुखेन्द्र गुप्ता

पिता भगवती प्रसाद गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० प्री० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 17/3/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सुमुखेन्द्र गुप्ता
पिता का नाम भगवती प्रसाद गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

सुमुखेन्द्र 9/0 मालवी प्रसाद गुप्ता

खसरा नं० 50710/1

मालवी प्रसाद गुप्ता

17-3-20

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं मानमति सिंह

पिता जगधारी सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 783, 793, 800, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक- 4/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम मानमति सिंह

पिता का नाम जगधारी सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राजेश कुमार गुप्ता, पिता बालराम गुप्ता
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 532 का
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का
ग्राम का भूमिस्वामी /सह
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 10/12/19

राजेश गुप्ता
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम
पिता का नाम
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में श्री/श्रीमती/का/की

पिता जी-ए.के.

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 551

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/01/2020


(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम श्री/श्रीमती/का/की
पिता का नाम जी-ए.के.
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ~~शमलकान्त पाण्डे~~ पिता ~~मन्त्री प्रसाद पाण्डे~~ ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 260 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हूँ एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

खसरा नं० 232 233 234 237।।
 238 239 240। 241। 242। 243। 244। 245। 260 261 262 263 270 275 279 280 281। 283। 297
 267 247 253 264 281 283 309 310 311 312 313 348 349 350 351 362 363 366 367 374
 दिनांक: 31.11.19

~~शमलकान्त~~
 375 376 401 402 407 407 422
 423 425 478। 480 482 484 486
 487 494 495 496 499 500 503
 361। 302 733 737। 737, 381।
 739 340 741 742 743 744 748।
 765। 286। 301। 304। 305 306
 308 307 303

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम ~~शमलकान्त~~

पिता का नाम ~~मन्त्री प्रसाद~~

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सत्यनारायण जाधव पिता शम्भुगुह जाधव ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 293 का भूमिस्वामी/सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 14.11.19

सत्यनारायण
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम शम्भुप्रसाद बेंखोर
पिता का नाम शम्भुगुह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जानपति पन्ना पिता अनोखेवलाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ४०५/१ ४०२/१ का भूमिस्वामी/सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

7.11.2019

अ.प्रि:
जानपती
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम जानपति
पिता का नाम अनोखेवलाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में अनुज कुमार जायसवाल

पिता दशरथ लाल जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 553, 419, 441, 521,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/01/2020

अनुज कुमार जायसवाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम अनुज कुमार जायसवाल

पिता का नाम दशरथ लाल जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामचंद्र लाल पिता श्री महादेव लाल
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 804/3/4/802B का भूमिस्वामी/
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि
बोर्ड हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न
है।

दिनांक:- 22/11/19

रामचंद्र

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रामचंद्र लाल
पिता का नाम श्री महादेव लाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. दिनेश गुप्ता

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं महेश प्रसाद जायसवाल पिता राम प्रसाद जायसवाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 134/804/3 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक: 22/11/19

महेश प्रसाद जायसवाल
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम महेश प्रसाद जायसवाल
पिता का नाम रामप्रसाद जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. कृष्णकुमार

2. विनयकुमार

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में दशमतिश गुला

पति- सहेदेव गुला

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 396

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/11/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम दशमतिश गुला
पति का नाम सहेदेव गुला
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं भागीरथी कृषक

पिता खड्गेत कृषक

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 396

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/11/2020

भागीरथी

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में देवल प्रसाद नाई

पिता मुन्दा नाई

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 392

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/01/2020

देवल नाई

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम देवल प्रसाद नाई

पिता का नाम मुन्दा नाई

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

देवल नाई

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अमरेंद्र कुमार लाल पिता रंजीत कौर लाल लाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 80/1/80/1 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19




(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. 

2. 

अनापत्ति प्रमाण पत्र


मैं राम गोविंद उपखण्ड पिता स्वामी दारी राम उपखण्ड ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 152 815 का भूमिस्वामी / सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19

राम गोविंद

(कृषक का हस्ताक्षर) श्री राम गोविंद उपखण्ड
कृषक का नाम राम गोविंद उपखण्ड
पिता का नाम स्वामी दारी राम उपखण्ड
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. 

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं किसई गुप्ता पिता श्री जगदमा गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 758/3 760/2 723/3 का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बॉंध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोर्ड हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 22/11/19

किसई

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम किसई गुप्ता
पिता का नाम श्री जगदमा गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. बृजेरा गुप्ता

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम अवेतार गुप्ता, पिता रू० श्री जगदेवदास गुप्ता
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 759/3 723/3 का भूमिस्वामी/
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बॉध
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि
बोर्ड हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जि
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फस
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति न
है।

दिनांक:- 22/11/19

राम अवेतार गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम राम अवेतार गुप्ता
पिता का नाम रू० श्री जगदेवदास गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. 

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं लक्ष्मणदास कुंभ

पिता दूरेशम कुंभ

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं०३२५

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 30/01/2020

लक्ष्मणदास राम कुंभ

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम लक्ष्मणदास कुंभ

पिता का नाम दूरेशम कुंभ

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रानेन्द्र कुमार मिश्रा

पिता राम हरी राम मिश्रा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 550/2

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 01/02/2020

रानेन्द्र कुमार मिश्रा
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (स0प0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में पार्वती गुप्ता

पति - पिता स्व. रामनारायण गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं०

756, 508, 514, 515

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 3/10/2020

पार्वती गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पार्वती गुप्ता का नाम स्व. रामनारायण गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं शमकूपाल जायक

पिता जंगल प्रसाद जायक

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 510, 262, 270, 275, 279, 277, 267, 264, 303, 305, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 313, 302, 280, 269, 271, 734, 746, 747, 750, 751, 766, 736, 752, 268, 356, 357, 498, 511 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/1/2020

शमकूपाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम शमकूपाल

पिता का नाम जंगल प्रसाद जायक

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में मानिकचंद जाप्रसवाम

पिता

महानन्द जाप्रसवाम

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 418 439 445 450 452 458 459 460 516/4
516/5 516/6 517/1 517/2 518 523 537 539 440 ,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 24/03/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रुनी माधव

पिता महानन्द माधव

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 439 445 450 452 458 459 460 516/4
516/5 517/1 517/2 518 523 537 539 440 418

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक- 24/03/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं हरिश्चन्द्र गुप्ता
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 74/1

पिता राममनोहर गुप्ता

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 19/02/2020

हरिश्चन्द्र गुप्ता
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम राममनोहर गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं श्री अशोक कुमार जायसवाल

पिता शमलाल जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० (143) 260, 261, 263, 310

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/1/2020

शमलाल जायसवाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम श्री अशोक कुमार जायसवाल

पिता का नाम श्री शमलाल जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में शमलाल जायसवाल

पिता गंगाप्रसाद जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० २१०, २६९, २७१, २६०, २६१, २६३, ३१०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/11/2020

शमलाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम शमलाल जायसवाल

पिता का नाम गंगाप्रसाद जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पट्टेदार (1) श्री अण्डायासबाहन श्री रामनरुण जायसवाल

(2) श्री अश्वनन्द जसि श्री गुरुदेव प्रसाद जायसवाल

(3) श्री बित्तिकाशन्द श्री रामनरुण जायसवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सुरेन्द्र जयि पिता राजेश्वर जयि ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 396 3611 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- ५/११/२०१९



(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ~~रामकृष्णपाल~~ पाप, पिता ~~गंगा प्रसाद पाप~~ ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 259, 509, 416 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

पाप,

दिनांक:- 30/1/2020

~~रामकृष्णपाल~~
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम ~~रामकृष्णपाल~~ पाप-2 रामकृष्णपाल

पिता का नाम ~~गंगा प्रसाद~~

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

खसरा नं० 514, 513, 511, 359, 463,

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम लाल (गोप)

पिता गंगा प्रसाद जयसवाल ग्राम

कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 411 262 270 275 ^{279 277 267 264 309 305} का भूमिस्वामी / सह-
^{306 308 303 307 311 312 313 302 282 269 271 734 746 747 750 757 766 736} भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड एवं गोप

का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

^{उपरोक्त के अलावे अण्डजी 752 268 356 357 498 501 509 416 414 413 411 359 463}
 दिनांक:- 5/11/2019 तथा 5/10

राम लाल
 (भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम राम लाल

पिता का नाम गंगा प्रसाद

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में रमाश्री लाल गुप्ता

पिता श्री श्री रामगुप्त प्रसाद गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 515, 514, 508, 756

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक- 26/2/20

रमाश्री लाल गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

उत्तर में जो मेरा भूखण्ड है वह निरक्षर है नही सिर्फ है
इसकीसे उत्तर भूखण्ड के भूखण्ड शरीर के बाकी राख उठेगा है
आर. श्री शरीर जो से निवेदन श्री सुवाण्डितान श्री श्री वाण्ड

रमाश्री लाल गुप्ता

ता० 26/2/20

श्री

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामसिंघा पन्डित

पिता महावीर पन्डित

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 329

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/2/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रामसिंघा पन्डित
पिता का नाम महावीर पन्डित
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में बिरधारी लाल कृषक पिता रामचरिच पतिरु
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 329

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 09/02/2020

बिरधारी

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रामचरिच

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में संकल्पिता सिंह

पिता पति देवी सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफ़ाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 04/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम संकल्पिता सिंह
पिता का नाम पति देवी सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में रमदीसिया सिंह

पिता व/० मुकलसिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-31/04/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रमदीसिया सिंह
पिता का नाम व/० मुकलसिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पट्टेदार - 1. अश्विक्का शि० नन्दलाल
 2. मोहनदास शि० नन्दलाल
 3. अश्विक्का शि० नन्दलाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अश्विक्का शि० नन्दलाल पिता नन्दलाल शि० नन्दलाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५१३ २८२/१ २८३/का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आराजी १३७/१३८/१ ७६५/१ २८६/१ ७३३ ७४० ७३९ ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ २८१/१ २८३/१ २५५ २८४/१ ३०० ४३६ ४७६ ४८९ ४९२ ५१३ दिनांक:- २८/१२/२०१९ २१८ ५७४ ५७८ ५८३ ५८५.

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम अश्विक्का शि० नन्दलाल

पिता का नाम नन्दलाल शि० नन्दलाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म०प्र०)

- पट्टेदार 1. अमिरकुंठ जाण०
 2. विदिन कुवंर
 3. प्रोम बनाइ जाण०
 4. शाररुहा जाण०

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अमिरकुंठ जाण० पिता चन्द्रिका प्रसाद ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 255 489 300 436 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आरात्री नं. 476 489

492 493 474
 दिनांक:- 22/12/2019


 (भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम अमिरकुंठ जाण०

पिता का नाम चन्द्रिका प्रसाद जाण०

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामलाल पिता शमानुग्रह जाप ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ~~294~~ 294 का भूमिस्वामी/सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

5.11.2019

रामलाल
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम रामप्रताप खैरखर

पिता का नाम शमानुग्रह जाप

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं धनपति सिंह

पिता परशोत्तम सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787,788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फ़ैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फ़ैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफ़ाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/4/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम धनपति सिंह

पिता का नाम परशोत्तम सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं तेज निवा सिंह अर्क खेतपती, पिता परशोत्तम सिंह

ग्राम कसुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 3/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम तेज निवा सिंह

पिता का नाम परशोत्तम सिंह

ग्राम व पोस्ट कसुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं श्री मती सिंह

पिता दामोदर सिंह के हयवान

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 11/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम श्री मती

पिता का नाम दामोदर सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)


अनापत्ति प्रमाण पत्र

में कृष्ण सिंह पिता दरबाराल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809.

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/2/2020


(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम कृष्ण सिंह
पिता का नाम दरबाराल सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अज्ञेय मिश्रा

पिता हरमन मिश्रा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

(कृषक का हस्ताक्षर) अं. नि.
कृषक का नाम अज्ञेय मिश्रा
पिता का नाम हरमन मिश्रा
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में कुसुम मिह

पिता रजपाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/02/2020

कुसुम मिह
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रजपाल सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अनूधारी सिंह

पिता परशोत्तम सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 551 787, 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/11/2020

अनूधारी सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम अनूधारी सिंह
पिता का नाम परशोत्तम सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं मंथारी सिंह पिता परशोत्तम सिंह ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019^{808, 809} को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 23/11/2019

मंथारी सिंह

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम मंथारी सिंह

पिता का नाम परशोत्तम सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अंजनी प्रसाद जाय

पिता मंजी प्रसाद जाय

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 262, 270, 275, 279, 277, 267, 264, 309, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 313, 302, 280, 260, 261, 263, 310, 282, 283, 737, 738, 765, 246, 733, 740, 739, 741, 742, 743, 744, 281, 283 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 20/12/2019

अंजनी

748/1, 304/1, 301/1, 263, 247, 361/1, 237/1

(कृषक का हस्ताक्षर)

238, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1

कृषक का नाम

245/1, 351, 350, 349, 348, 425, 423,

पिता का नाम

422, 478/1, 480, 503, 482, 484, 486,

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

487, 495, 496, 497, 499, 500, 375, 374, 376, 494, 407, 404, 402, 401,

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

367, 366, 363, 362, 232, 233, 234,

पट्टेदार ① अंजनी जायसवाल
 ② रमन जायसवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अजय कुमार जायसवाल पिता श्री अंजनी प्रसाद जायसवाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५२९, ५३३, ५२२ का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं

मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
 238 239 240 241 242 243 244 245 260 261 262 263 270 275 279 280 281 283 309 310 311 312 313 348 349 350 351 362
 283 277 267 247 253 264 281 283 309 310 311 312 313 348 349 350 351 362
 दिनांक:- 20/12/2019
 अजय कुमार

363 366 367 374 375
 376 401 402 404 407
 422 423 425 472 480
 482 484 486 487 494
 495 496 499 500 502
 361 302 733 737 738 1
 739 740 741 742 743 744
 745 286 301 307 305
 306 308 307 303

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम अंजनी प्रसाद जायसवाल

पिता का नाम अंजनी प्रसाद जायसवाल (पट्टेदार)

माला कट रोड रमन W/O अंजनी जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में उदयराज सिंह

पिता रुजपाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 14/2/2020

उदयराज सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रुजपाल सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं फुलमति सिंह

पिता रघुनाथलाल सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-/

फुलमति सिंह

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रघुनाथलाल सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं मानमती मिहें

पिता लाला मिहें

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809.

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-12/12/2020

 शं नि ०
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम मानमती मिहें
पिता का नाम लाला मिहें
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में **मानमति सिंह**

पिता **W. लल्ला सिंह**

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 787, 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/01/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम **मानमति सिंह**

पिता का नाम **W लल्ला सिंह**

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में केलाशप्रसाद जाट पिता सूरजलाल जाट
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ४०२/१, ४०५/१

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/02/2020

केलाश
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम केलाशप्रसाद जाट
पिता का नाम सूरज लाल जाट
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रमकलिया जाण

पिता रमरज जाण (जाण ल)

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ८०२/१, ८०५/१

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम रमकलिया जाण
पिता का नाम रमरज जाण
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सुभेसर पनिकां

पिता झटाबीर पनिकां

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 329

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/2/2020

सुभेसर

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सुभेसर पनिकां
पिता का नाम झटाबीर पनिकां
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम मनोहर जायसवाल पिता चूलू जायसवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५३०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

राम मनोहर जा०
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम चूलू जा०

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

वाचि जनकमिषा जायसवाल
W/O चूलू जायसवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं महुक लाल जायसवाल पिता पुल्लू जायसवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 430

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक--

06/02/2020

महुक लाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम महुक लाल जायसवाल

पिता का नाम

पुल्लू जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

वारिस जगन्मिथा जायसवाल
व/० चूल्लू जायसवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं दशमीबाल जायसवाल

पिता सूरज जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० दशमीबाल 802/1, 804/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

दशमीबाल
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम दशमीबाल जायसवाल
पिता का नाम सूरज जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामलाल पिता गंगाप्रसाद ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 320 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

5.11.2019

रामलाल
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम रामलाल
पिता का नाम गंगाप्रसाद
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पृष्ठकात्र 1. नरेन्द्र कुमार गुप्ता
2. योगिन गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं नरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता ए०/कमलेश्वर गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 755/2, 759/2, 719/2 का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 22/11/19



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम नरेन्द्र कुमार गुप्ता
पिता का नाम ए०/कमलेश्वर गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. नरेन्द्र कुमार गुप्ता

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राजनाथ पिता पुधान ग्राम
 कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 281/2-76/2-3-74 का भूमिस्वामी/सह-
 भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
 का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
 राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
 एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
 है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
 मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ख० क्र० 246/2-748/2-सख०
 304/2 304/2 367/2 237/2 240/2 241/2 244/2 244/2
 दिनांक:- 21/11/19

17.11.2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम राजनाथ S/o पुधान मय०

पिता का नाम पुधान

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 जिला सिंगरौली (म०प्र०)

- पट्टेदार 1. राम सजीवन गुप्ता
2. राविका गुप्ता (खून)
3. दिनेश गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम सजीवन गुप्ता पिता स्व. श्री नमीलन गुप्ता ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 755/2-759/2-719/2 का भूमिस्वामी / सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19

राम सजीवन गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम राम सजीवन गुप्ता
पिता का नाम स्व. श्री नमीलन गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (माडा जिला सिंगरौली)
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. रविन्द्र कुमार गुप्ता
- 2.

पट्टेदार - मायाबहादुर जाको
 शिववंश जाको (माई)
 फूलमती जाको (माता)
 पद्मपती जाको (बहन)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं लालबहादुर जायसवाल पिता शिववंश जायसवाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 266, 282 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 02/12/2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
 भू-स्वामी का नाम लालबहादुर जायसवाल
 माई का नाम शिववंश जायसवाल
 पिता का नाम शिववंश जायसवाल
 माता का नाम फूलमती जायसवाल
 ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)
 जिला सिंगरौली (म0प्र0)

खसरा नं० 262, 270, 275, 289,

271, 275, 267, 264, 309, 305, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 302, 313, 280, 261, 263, 310, 242/1, 243/1, 737/1, 738/1, 765/1, 246/1, 733, 740, 739, 741, 74, 743, 744, 281/1, 283/1, 748/1, 304/1, 301/1, 253, 247, 361/1, 237/1, 238, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 351, 350, 349, 348, 425, 423, 422, 478/1, 480, 505, 482, 484, 486, 487, 495, 496, 497, 499, 500, 375, 374, 376, 194, 407, 404, 402, 401, 367, 363, 362, 233, 234,

कुल 86 किता हिस्से का रकवा 0.143

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं ^(पिता) अनिलाल प्रजापति पिता ^(पुत्र) (अंजनी कुमल-प्रजापति) का भूमिस्वामी/सह
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० १४५, १४६, १४७ का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- ३०/१२/२०१९

अंजनी कुमल
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम अनिलाल प्रजापति
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जीवन लाल गुप्ता पिता कुबेर गुप्ता ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 393, 764, का भूमिस्वामी/सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/11/2019

जीवन लाल गुप्ता
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम जीवन लाल गुप्ता

पिता का नाम कुबेर गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

शासकीय भूमी

मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता पिता रूमी सरजू प्रसाद गुप्ता ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 703/21 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19

सुरेश कुमार गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
पिता का नाम रूमी सरजू प्रसाद गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. महेशा प्रसाद राजसवाल

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामानुज जीयसवाल

पिता स्व. श्री गंगा प्रसाद जीयसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 270 275 279 277 275 267 264 309 305 306 308
303 307 311 312 313 302 380 735 736 737 746 747 750 751 766 752 736 356 492
501 509 416 413 414 411 359 520 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05.03.2020

रामानुज जीयसवाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रामानुज जीयसवाल

पिता का नाम स्व. श्री गंगा प्रसाद जीयसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल गंगा प्रसाद जीयसवाल


जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में आश्विका फसल जापलवाला पिता श्री नंदलाल जापलवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 300 (कैचल बलरा 300)

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/02/2020


(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम आश्विका फसल
पिता का नाम श्री नंदलाल जापलवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं आशुका मसाड पिता श्री नंदलाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 300 (तीन सौ) माग

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 20/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम आशुका मसाड

पिता का नाम श्री नंदलाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

खसरा नं० 300 (तीन सौ) के स्व. रामचंद्र का नाक जे
उनाज की त्रिभुज जिवीत नही है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विजय शंकर गुप्ता

पिता लखेश्वर नरसिंह गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 410, 409, 532, 332, 328, 718, 754

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-27/2/2020

विजयशंकर गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम विजयशंकर

पिता का नाम लखेश्वर नरसिंह गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं शत्रुघ्नलाल जायसवाल

पिता मालजी जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 745 749 713/2 712/2 804/3/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31.03.2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम शत्रुघ्नलाल जायसवाल
पिता का नाम मालजी जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राजेशचन्द्र लाल जयपाल पिता प्रधान जयपाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ३३, ७४०, २४२, ७४८, ७३४, ७६५, २४६, ३०१, ३६१, २३७, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९ का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक ०७.०८.२०१९ को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 13/3/2020

राजेशचन्द्र

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं देवचन्द्र अहिरा

पिता रामधनी अहिरा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 754, 753

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7/2/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम देवचन्द्र अहिरा

पिता का नाम रामधनी अहिरा

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जवाहर लाल जायसवाल पिता श्री राम जी जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० २६० २६२ २७० २७५ २७९ २७७ २६७ २६४ ३०९
३०५ ३०६ ३०८ ३०३ ३०७ ३११ ३१२ ३१३ ३०२ २८० ७३४ ७४६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६१ ७६६ ७५२ ७३६
३३४ ७३६ ४०० ३३८ ३७७ ३५६ ३५७ ४९८ ५०१ ५०९ ५१६ ४१३ ५११ ३५९
का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/01/2020

जवाहर लाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम जवाहर लाल जायसवाल
पिता का नाम श्री राम जी जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल (पट्टेदार)
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं गणेश दुबे

पिता शिवशंकर राम दुबे

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 325

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05/02/2020

गणेश दुबे

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जगन्नाथ डूबे

पिता शिवरुद्र

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 326, 325

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 30/01/2020

जगन्नाथ डूबे

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम जगन्नाथ डूबे

पिता का नाम शिवरुद्र डूबे

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला: सिंगरौली (म०प्र०)

पट्टेदार -> राजेश कुमार डूबे शिवरुद्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं आरिवलेश दुबे

पिता शिवउग्रद दुबे

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 329

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 4/2/2020

आरिवलेश दुबे
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में श्रीमती शरणा प्रजापति पिता श्रीमती लाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० २४५, २४६, २४७

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- ०५/२/२०२०

 अंगूठा
(कृषक का हस्ताक्षर) श्रीमती शरणा प्रजापति

कृषक का नाम

पिता का नाम

श्रीमती लाल प्रजापति

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में खेती

पिता त्रिवेणी प्रसाद भाग

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 262, 270, 275, 279, 277, 267, 264, 309, 305, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 313, 301, 280,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 14/2/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम त्रिवेणी प्रसाद भाग

पिता का नाम त्रिवेणी प्रसाद भाग

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अमरसिखा जामिलखान

पिता चिन्देजी जामल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 262, 270, 275, 279, 277, 267, 264, 309, 305, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 313, 302, 280

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 14/2/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम अमरसिखा

पिता का नाम

चिन्देजीजामल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जवाहर लाल जायसवाल पिता श्री राम जी जायसवाल ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 260, 261, 263, 310 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 25/11/19



(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम जवाहर लाल जायसवाल

पिता का नाम श्री राम जी जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जवाहर लाल जारखवाल पिता रामजी जाय खवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 260, 468/2, 469/2, 407, 404, 402, 401, 367,
366, 363, 362, 232, 233, 234,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 6/2/2020

जवाहर लाल
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम जवाहर लाल
पिता का नाम राम जी जाय खवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)
घरे दाल-1 अशोक कुवाल शे. रामजी
जारखवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं भगवती पुनिलाल पिता शमशेरकल जोधा ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५०७, ५०५, ५०२/५१ का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/11/2019

भगवती
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम भगवती पुनिलाल
पिता का नाम शमशेरकल जोधा
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

खसरा नं० :- 262, 270, 275,

19, 277, 278, 267, 264, 309, 305, 306, 308, 303, 307, 311, 312, 313, 302, 280,
60, 261, 263, 310, 282/1, 283/1, 737/1, 738/1, 765/1, 246/1, 733, 740, 739,
141, 742, 743, 744, 281/1, 283/1, ~~277, 278, 267, 264~~, 748/1, 304/1, 301/1
237/1, 238, 239, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 351, 350,
349, 348, 425, 423, 422, 482, 484, 486, 487, 495, 496, 497,
499, 509, 375, 374, 376, 401, 367, 366, 363, 362, 332, 233
234

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं शिव दाम लाल पिता श्री जागवली लाल ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० SO 748/1, 304/1, 304/1 का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बॉध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 22/11/19

शिव दाम लाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. अभि नंद

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में राजकुमारी दुबे

पति ५५० शिवउग्रह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ३२५

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- ३१/०८/२०२०

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम राजकुमारी दुबे

पति का नाम पति शिवउग्रह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

- पट्टेदार
1. राजकुमारी दुबे
 2. राजेश्वरी दुबे S।० शिवउग्रह
 3. मालबाबू S।० शिवउग्रह
 4. राधिका D।० शिवउग्रह

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में लाल बाबू दुबे
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 325

पिता शिवउग्रह दुबे

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 11/10/2020

लाल बाबू
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम शिवउग्रह दुबे
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०३१)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राधिका कुटुंबे
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 325

पिता शिवशंकर कुबे

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 11/02/2020

राधिका कुबे
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम शिवशंकर कुबे
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं एमनंद कुमार

पिता रामलाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 351, 350, 349, 348, 425, 423, 422, 234,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 14/9/2020

एमनंद
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रामलाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जालुआल खेत

पिता रमविष्णु खेत

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 756, 508, 514, 515,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 17/2/2020

जालुआल खेत

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम जालुआल खेत
पिता का नाम रमविष्णु खेत
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं तेजकुंवर गुप्ता पिता/पति कान्ति प्रसाद गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 755/1, 760/1, 758/1, 759/1, 719/1, 723/1 को भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 16/05/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम तेजकुंवर गुप्ता

पति/पत्नी का नाम कान्ति प्रसाद गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं चन्द्र प्रकाश गुप्ता पिता शुक्लनाथ गुप्ता मार्गेश्वर गुप्ता 460 ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 532, 580, 754, 718, 328, 332, 409, का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/12/2019

CPB
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम चन्द्र प्रकाश गुप्ता
पिता का नाम शुक्लनाथ गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. पट्टेदार 1. चन्द्र प्रकाश गुप्ता
510 शुकुनाथ
2. रतेश कुमार
510 चन्द्र प्रकाश गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में ब्रजेश कुमार गुप्ता

पिता मुकुन्दलाल गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 250|2 248 255|1 233-235 337
339 341 342 354 426

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 18/04/2020



(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामजियावन जाय खवाल पिता श्री श्री रामानुजु जाय खवाल
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 284/2 290

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05-03-2020

रामजियावन
(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम रामजियावन
पिता का नाम श्री रामानुजु जाय
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं गोपीचन्द गुप्ता पिता रघुनाथ गुप्ता ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 530, 532, 332 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/11/2019

गोपीचन्द

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

खसरा नं० 410, 409, 753, 754
718, 332,

भू-स्वामी का नाम गोपीचन्द गुप्ता

पिता का नाम रघुनाथ गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में द्विरमनिया डूब पति धनीराम डूब

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 353, 472,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7/3/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम द्विरमनिया
पिता का नाम कवल प्रसाद डूब
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं नन्द कुमार गुप्ता पितराम पारे गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 756, 514, 508, 515 का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कंपनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी द्वारा
किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 21/11/19

नन्द कुमार

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम नन्द कुमार गुप्ता
पिता का नाम राम पारे गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1. 

2. 

सहस्रोपास डाँजी श्री 0 शम्भु पारे गुप्ता
शिवपुरी श्री 0 मोहन चन्द
श्री 0 शम्भु पारे
गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में अंजनी प्रसाद गुप्ता पिता रामचंद्र गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 756, 508, 514, 515

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 11/2/2020

अंजनी प्रसाद गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम अंजनी प्रसाद गुप्ता
पिता का नाम रामचंद्र गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में शैलाल जाधववाल

पिता सुरज जाधववाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 802/1, 804/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक--10/2/2020

शैलाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम सुरज जाधववाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में मूल-वन्धु गुला

पिता श्री वलरंगी गुला

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05/02/2020

श्री वलरंगी गुला

(कृषक का इस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रुपल गुप्ता

पिता बजरंगी गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05/02/2020

रुपल गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम बजरंगी गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में शारवती कुमारी गुप्ता
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

पिता बजरंगी गुप्ता

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 05/02/2020

शारवती कुमारी गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

श्री बजरंगी गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कौमल चन्द्र शुक्ल

पिता बजरंगी प्रसाद शुक्ल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक- 05/02/2020'

कौमल चन्द्र
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम बजरंगी प्रसाद शुक्ल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं राम वदन प्रजापति

पिता नन्द लाल प्रजापति

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 729, 731

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7/2/2020

राम वदन प्रजापति

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम राम वदन प्रजापति

पिता का नाम नन्द लाल प्रजापति

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में शंकर प्रजापति

पिता तुलझार प्रजापति

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 287, 288,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 01/2/2020

शंकर प्रजापति
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)


अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामबाई सिंघ (W/O नन्दलाल) पिता छत्रपाल सिंघ

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 788, 789, 793, 808, 809,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक—

(कृषक का हस्ताक्षर)  W/O नन्दलाल
कृषक का नाम रामबाई
पिता का नाम छत्रपाल सिंघ
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में के शिल्पा प्रजापति प्रितापति रामलखन प्रजापति

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 729, 731

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-12/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम के शिल्पा प्रजापति
प्रितापति का नाम रामलखन प्रजापति
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं समयपाली जाणसवाल

पिता महादेव जाणसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 802/3

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-12/2/2020

समयपाली

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम समयपाली

पिता का नाम महादेव जाणसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विजय कुमार गुप्ता पिता राजमन गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 796/1, 798/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 12/2/2020

विजय गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम राजमन गुप्ता

ग्राम व पोस्ट: कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं अनमोहन गुप्ता पिता राजमणि गुप्ता ग्राम-
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 438 - 545, 547, 548 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 18.11.19

अनमोहन
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम

पिता का नाम राजमणि गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

सहस्रकेन्द्र 1. विजय कुमार
S/O राजमणि गुप्ता
2. विद्यारे गुप्ता S/O
राजमणि गुप्ता
4. सोहनलाल S/O
राजमणि गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में संगीला

पिता केशवप्रसाद लाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 712/4, 804/3

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/02/2020

संगीला
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम केशवप्रसाद लाल


ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र


मैं केशव प्रसाद लाल पिता राम अर्थात् लाल सोहन/1 ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० (807/1 सोहन) 794.79/4 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19


(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम केशव प्रसाद लाल
पिता का नाम राम अर्थात् लाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1.  1. पट्टेदार संगीत जी. केशव प्रसाद
जायज
- 2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विशालौराम दुबे पिता चारु राम दुबे ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५७५ का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

5/11/2019

विशालौराम
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विशाल राम दुबे

पिता चरक राम दुबे

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 499, 472 -

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 29/01/2020

विशालराम

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम विशाल राम दुबे

पिता का नाम चरक राम दुबे

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विजय कुमार जाय पिता हरदेवल जाय
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 282-420 650 440 241 449 53 457 455 456 ग्राम
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है। 457 513/1 513/2 525 527 529 419 417 415 412 231

दिनांक:- 22-11-2019

विजय कुमार जाय

(कृषक का हस्ताक्षर) हरदेवल जाय
कृषक का नाम विजय कुमार जाय
पिता का नाम हरदेवल जाय
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में देवीशारदा जायसवाल पिता छोटे लाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५५५, ५५७, ५५३, ५५४ ५५६

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माछा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-- 29/1/2020

देवीशारदा
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम देवीशारदा
पिता का नाम छोटे लाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं समपलाल सिंह

पिता अश्वगो सिंह

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 790, 792,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 06/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम समपलाल सिंह
पिता का नाम अश्वगो सिंह
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सहाय लाल / सिंह पिता सुन्दर गी / सिंह ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ७१०, ७१२ का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 25.11, 2019

सहाय लाल / सिंह
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम

पिता का नाम सुन्दर गी / सिंह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कुरुआला विहारिया पाप. पिता राम प्रोबलार पाप. ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ३१६(३१४) का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।


दिनांक:- ४/११/२०१९

KBW
(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम राम प्रसाद खैरवार
पिता का नाम राम प्रोबलार पाप.
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जगन्नाथ पुरा पिता शंश्री पुरा ग्राम
 कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ३१० का भूमिस्वामी / सह-
 भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
 का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
 राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
 एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
 है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
 मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक: 2377, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 260, 261, 262, 262, 270, 275, 279
 280, 284, 283, 277, 267, 247, 253, 264, 281, 283, 309, 310, 311, 312, 313, 348, 349, 350, 351, 362, 363


 14.11.2019 (भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

374 375 376 401 402 404 407 भू-स्वामी का नाम जगन्नाथ पुरा
 422 423 425 478, 480 482 484 पिता का नाम शंश्री पुरा
 486 487 494 495 496 499 500
 503 361, 302 733 737, 738, 739 ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
 741 740 742 743 748, 765, 286, जिला सिंगरौली (म०प्र०)
 301, 302, 305 306 308 309 303

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में बृजमोहन गुप्ता पिता श्री कुबेर प्रसाद गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 76th only for 393 Number का भूमिस्वामी/सह
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का
एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर
बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा त्रिधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं
है।

दिनांक:- 31/12/2019

बृजमोहन गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम Brijmohan Gupta
पिता का नाम Kuber Prasad Gupta
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं दलधर मुष्ठा पिता जगद्वैर मुष्ठा ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५७० का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

५.११.२०१९

दलधर मुष्ठा

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम दलधर मुष्ठा

पिता का नाम जगद्वैर मुष्ठा


ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सुरेश कुमार गुप्ता पिता केशव गुप्ता ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 758, 719, 723 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

7.11.2019


(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)
भू-स्वामी का नाम केशव गुप्ता
पिता का नाम जोगदत्त
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं लाल चन्द पिता शम्भु गृह ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 291 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 3.11.19

लाल चन्द

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम लाल चन्द

पिता का नाम शम्भु गृह

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं तुलसीदास, मागीर, दफतर्पिता सहदेव गुज्जरा, 101/1, 101/2, 101/3 का भूमिस्वामी / सह-भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

सहदेव गुज्जरा

04.11.2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम तुलसीदास

पिता का नाम सहदेव गुज्जरा

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं दुलेश्वर पिता महावीर ग्राम
कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 329 का भूमिस्वामी / सह-
भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड
का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी
राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर फैली हुई राख को
एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड के द्वारा पूरी तरह हटा लिया गया
है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट हैं एवं
मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

6.11.2019

(भू-स्वामी का हस्ताक्षर)

भू-स्वामी का नाम दुलेश्वर पन्ना

पिता का नाम महावीर पन्ना

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जलवन्त जी पिता स्वामी अनोखे लाल जी ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 802/1, 804/1 का भूमिस्वामी / सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19

जलवन्त जी
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम जलवन्त जी
पिता का नाम स्वामी अनोखे लाल जी
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गवाह:-

1. सुरेश कुमार शर्मा

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं मोहन लाल प्रजापति पिता रंजीत राम खखन पुजापति ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 714, 715, 716, 717, 718, का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये जा रहे राखड. की सफाई से संतुष्ट है एवं मुझे किसी भी-प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 22/11/19

श्री मोहन लाल पुजापति
(कृषक का हस्ताक्षर) श्रीदार शिवराज
कृषक का नाम मोहन लाल
पिता का नाम रंजीत राम खखन पुजापति
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

गवाह:-

मोहन लाल प्रजापति पुत्र शिवराज पुजापति

1.

2.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामसूरत जापसवाल

पिता महादेव जापसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 802/3

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-- 13/2/2020

रामसूरत

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम महादेव जापसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में राकेश मिश्रा

पिता वृजेन्द्र कुमार मिश्रा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 550/

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/2/2020

राकेश मिश्रा

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम वृजेन्द्र कुमार मिश्रा

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में आनन्द राजेश्वर
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 530

पिता विजयशंकर राव

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7-2-2020

राजेश्वर

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम विजयशंकर राव

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं शेषमन जायसवाल

पिता बन्धु जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ८३०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 7/02/2020

शेषमन

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम शेषमन जायसवाल
पिता का नाम बन्धु जायसवाल
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामदयाल जायं

पिता सुमेशल जायं

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ४०२/३

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-13/2/2020

रामदयाल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

सुमेशल जायं

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रावकुमार शर्मा

पिता विजय शंकर शर्मा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 530

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 27/2/2020

विजय शंकर शर्मा

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रावकुमार शर्मा

पिता का नाम विजय शंकर शर्मा

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में सुभाष चन्द लमछ

पिता महानन्द लमछ

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं०
342 354 426


§ 23, 255/1, 233, 235, 337, 339, 341

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

16/03/2020


(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सुभाष चन्द लमछ
पिता का नाम महानन्द लमछ
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं विक्रम गुप्ता

पिता श्री सुमेश्वर गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/2/2020

विक्रम गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम: सुमेश्वर गुप्ता

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में सुशील कुमार गुप्ता पिता सुभैरव गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 511

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/2/2020

सुशील कुमार गुप्ता
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं नरेन्द्र कुमार गुप्ता

पिता सुमेश्वर गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ५॥

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं छोटे लाल जायें

पिता राम अंगार जायें (साल)

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 504, 498, 416, 414, 413, 276, 502, 284,
356, 357, 498, 501, 509, 416, 414, 413, 411, 359, 510, 746, 736, 752,
962, 766, 270, 275, 279, 277, 267, 302, का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा
क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई
हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला
सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है
तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल
सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा
किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी
है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

307, 311, 312, 313, 387, 303, 308, 309
दिनांक:-- 31/01/2020

छोटे लाल

305, 306, 264, 751, 730, 747, 734 (कृषक का हस्ताक्षर)
746, 458, 498, 504,

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सिधनाथ जापलवाम पिता शैबमणि जापलवाम

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० ६४० आशुजी नं० ५३०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- ३०/१/२०२०

सिधनाथ

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सिधनाथ

पिता का नाम शैबमणि जापलवाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

(जट्टदास)

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं कृष्णा प्रसाद जाय

पिता श्री मंत्री प्रसाद जाय

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 425, 733, 740, 739, 741, 742, 744, 245, 260, 261, 262, 263, 270, 275, 279, 280 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पावर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

282, 283, 277, 267, 247, 253, 264, कृष्णा प्रसाद
दिनांक: 28/04/2020

281, 283, 304, 310, 311, 312, 313, 348 (कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम कृष्णा प्रसाद जायसवाल

349, 350, 362, 363, 366, 367, 374, पिता का नाम श्री मंत्री प्रसाद जायसवाल

375, 376, 401, 402, 404, 407, ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

422, 423, 425, 478, 480, 482, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

486, 487, 494, 495, 496, 499, 500, 503, 361, 364, 302, 733, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 748, 769, 286, 304, 304, 305, 306, 308,
307,

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामनारायण शर्मा

पिता चतुर्गुप्त शर्मा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 395, 736, 752, 268, 356, 357, 498, 501, 509, 516, 514, 513, 511, 359, 463, 510

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/02/2020

रामनारायण
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम चतुर्गुप्त शर्मा

ग्राम न पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में कान्दी लाम्पल्लेण पिता रामेश्वर लाम्पल्लेण

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 262, 270, 275, 279, 277, 267, 264, 309, 305,
का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 12/02/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम कान्दी लाम्पल्लेण

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

306, 303, 308, 307, 311, 312, 302, 280, 287, 261, 263, 316
282/1, 283/1, 737/1, 788/1, 763/1, 264/1, 733, 240/1, 739, 741,
742, 743, 744, 281/1, 283/2, 788/1, 304

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में देवकाजी गुला

पिता रामानुज ए गुला

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 508, 514, 515, 756.

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 20/02/2020

देवकाजी गुला

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम रामानुज ए गुला

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रामनिरीजन गुप्ता

पिता रामाबुम्ह गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 508, 514, 515, 756,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक - 18.2.2020

रामनिरीजन गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम रामनिरीजन गुप्ता
पिता का नाम रामाबुम्ह गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०३१०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं केशचन्द गुप्ता

पिता रामभुगुण्ड गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 508. ————— 756, 514, 515,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 18/2/2020

केशचन्द गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

केशचन्द गुप्ता

रामभुगुण्ड गुप्ता

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं सोनमती कुमारी

पिता W/ रामानुज सुब्बा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 756, 515, 514, 508

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-26/2/2020

(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम सोनमती
पिता का नाम W/ रामानुज सुब्बा
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

घर का पैसा नहीं मिला है

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में उदल प्रसाद गुप्ता

पिता क.पुरचन्द गुप्ता

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं०

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड, बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमे पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 17/3/2020

उदल गुप्ता

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम उदल प्रसाद गुप्ता
पिता का नाम क.पुरचन्द गुप्ता
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल उदल गुप्ता
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में रामजी, जगहरलाल पिता P.S. मन्वण्डेकर, रामजी
ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 422, 423, 425

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक-- 27-3-2020

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

नोट :- उपरोक्त लेख केवल खसरा नं० 422, 423, 425
में लागू होगा।
27-3-2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं बृजेश प्रजापति

पिता गुलशर प्रजापति

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 287288,

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ। दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 4/2/2020

बृजेश प्रजापति
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में

शुभ सुनिल जगप

पिता

अनोखे लाल जाटा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 8021, 8041/1

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक- 29/11/2020

सुनिल

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम शुभ सुनिल जगप

पिता का नाम अनोखे लाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में शिवलेश कुमार जाट पिता अश्वान दास जाट

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 555, 356, 357, 498, 501, 509, 416, 414, 413, 411
303 306 307 308 270 359 463 510 463 734 736 771 734 304 1268 262 746 764 752 747 750 751 275
 का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
 दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 28/11/2020

शिवलेश कुमार जाट
(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

पिता का नाम अश्वान दास जाट

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं जवाहर लाल जायसवाल

पिता श्री राम जी जायसवाल

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 355 358 462

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।

दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 31/03/2020

जवाहर लाल
(कृषक का हस्ताक्षर) वास्ते राम कृष्ण

कृषक का नाम जवाहर लाल

पिता का नाम श्री राम जी जायसवाल

ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में कृष्णविहारी जायत

पिता राम शर्मा जायत

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 59, 276

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम० पी० लिमिटेड का राखड बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 1-6-2020

K B W
(कृषक का हस्ताक्षर)
कृषक का नाम कृष्णविहारी जायत
पिता का नाम राम शर्मा जायत
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

नोट 775-776 324, 316, 317, 318, वलाकड़े
काल का वारस है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

में सुरेश कुमार गुट्टा

पिता राम भोहर गुट्टा

ग्राम कर्सुआलाल में भूमि खसरा नं० 711/2

का भूमिस्वामी/सह भूमिस्वामी हूँ।
दिनांक 07.08.2019 को एस्सार पॉवर एम0 पी0 लिमिटेड का राखड. बाँध का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उसकी राख मेरे निजी भूमि पर फैल गई थी। मेरे भूमि पर बोई हुई फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उपखण्ड अधिकारी, माडा जिला सिंगरौली के द्वारा विधिवत जाँच कराकर निर्धारित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है तथा मेरे भूमि पर फैली हुई राख को एस्सार कम्पनी के द्वारा हटाया जा चुका है। फसल सहित परिसम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति का निर्धारित प्रतिकर भी प्राप्त हो चुका है तथा कम्पनी द्वारा किये गये राखड. की सफाई पूर्ण हो चुकी है और मेरा भूमि वर्तमान में खेती योग्य हो चुकी है तथा वर्तमान में खेती की जा रही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:- 10/2/2020

सुरेश गुट्टा

(कृषक का हस्ताक्षर)

कृषक का नाम सुरेश कुमार गुट्टा
पिता का नाम राम भोहर गुट्टा
ग्राम व पोस्ट कर्सुआलाल
जिला सिंगरौली (म0प्र0)



Annexure-3 (Essar-32g)

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
Regional Directorate (Central), Bhopal
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
Government of India)

RD-Bhopal/NGT OA 117/2014/ 157

Dated: 18.1.2021

To

Shri Jay Shanker Saran
Senior Manager-HSE&F
Essar Power MP Ltd-Mahan Power,
Village - Bandhora, Post-Karsualal, Tehsil-Mada,
Dist-Singrauli, Waidhan-486886
Madhya Pradesh, India

Subject: Submission of status report in NGT Principal Bench order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantanu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg.

Sir,

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench vide order dated 4.11.2020 in O.A. 117 of 2014 directed to joint committees (constitute vide order dated 27.01.2020 in O.A. No. 117/2014 under Para 32 (g)) to submit the status report as on 30.4.2021 before the next date i.e. 19.5.2021.

The joint committee constitute under Para 32 (g) of order 27.1.2020 states:

The Committee comprising of Collector, CPCB and Member Secretary of MP State Pollution Control Board may assess the damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP and Essar TPP in Singrauli area to the crop and agricultural productivity and ensure effective restoration/remediation of affective sites within three months.

In compliance of the Hon'ble Tribunal direction under Para 32(g), a committee of Sh Rajiv Ranjan Meena, Collector, Singrauli, Sh Sunil Kumar Meena Scientist 'D', CPCB, Regional Directorate, Bhopal & Sh S D Valmiki, Regional Officer, MPPCB, Singrauli was constituted. The committee submitted its report to Hon'ble Tribunal. Hon'ble NGT approved the reports under Para 25 of order dated 4.11.2020; the Para 25 states as:

*Let further steps be taken in terms of the above reports subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court in matters pending therein. Further progress report may be compiled by the MoEF in terms of direction (i) in the order dated 12.2.2020. CPCB may finalise the issue of compensation determination. **We approve the reports of the joint Committees.** Recovery of compensation will be as per directions of the Hon'ble Supreme Court wherever there is stay.*

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'परिवेश भवन' पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016 (म.प्र.)
फैक्स : 0755-2775587, ईपीएबीएक्स : 2775385, 2775386, Website : www.cpcb.nic.in, E-mail : cpcb.bhopal@gmail.com

Head Office : Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032

Tel.: (011) 43102030, Fax : 011-22304948, 22307078, 22307079, Website : www.cpcb.nic.in

The committee has reported following recommendations w.r.t. M/s Essar Power MP Ltd:

- i. The Essar Power M.P. Ltd, village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P.) shall be directed to compensate for indirect loss of Rabi crop of Rs. 2014200/-.
- ii. The Essar Power M.P. Ltd., village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P.) may depute an agricultural institute for the assessment of damage to the crop productivity w.r.t. the Kharif & Rabi crop cultivated in 41 Ha of village Karsualal and Karsuaraja for 2020-21 & 2021-22.

As in compliance of the Tribunal order dated 4.11.2020, joint committee have to submit the status report (as on 30.4.2021) before the next date i.e. 19.5.2021. In this regard you are kindly requested to please submit the status report to MPPCB, Bhopal and on email of Sh Sunil Kumar Meena, Sc-D (Email: sunil.cpcb@gov.in) by **1st Week of the May, 2021** on the above 02 recommendations so that same shall be submitted to Hon'ble Tribunal by MPPCB.


(Sunil Kumar Meena)
Scientist-D
Committee Member

Copy to:

1. Member Secretary, MPPCB, Bhopal - for directing the RO, Singrauli to follow-up with Unit regarding the status report and submitting to Hon'ble NGT, pl.


(Scientist-D)

Ref. No. : EPMPL/LA/6256 /10
Dated : 17.05.2021

To,
Shri SK Meena
Scientist-D
Central Pollution Control Board
Paryawaran Parisar
E-5, Arera Colony (M.P.)
Bhopal-462 016

Essar Power M.P. Limited
Village: Bandhora,
Post Karsualal,
Tehsil Mada,
Dist. - Singrauli,
Waidhan - 486 886
Madhya Pradesh,
India

Corporate Identity Number
U40100DL2005PLC201961

T +91 89669 02954 / 89669 02955

www.essar.com

Subject: Submission of status report in NGT Principle Bench order date 04.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantnu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg.

Reference: 1) Your Letter No. RD-Bhopal/NGT O A 117/2014/159, dated 18.01.2021

Dear Sir,

With reference to your captioned letter bearing reference No. RD-Bhopal/NGT OA No. RD-Bhopal/NGT O A 117/2014/159, dated 18. 01.2021 with subject matter of status report in NGT Principle Bench order date 04.11.2020 in O.A. 117 of 2014 (Shantnu Sharma Vs Union of India & Ors.) reg., here is our point wise reply.

Essar Power MP Limited (the "Corporate Debtor" or "EPMPL"), is operating 2x600 MW Mahan Thermal Power project in Singrauli District of Madhya Pradesh. EPMPL was admitted into Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP"), in terms of Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC"), and Sh. Ashish Chhawchharia was appointed as the Interim Resolution Professional ("IRP") of the Corporate Debtor, pursuant to the order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("Hon'ble NCLT") vide Order dated 29 September 2020. Subsequently the appointment of Sh. Ashish Chhawchharia was confirmed as Resolution Professional ("RP") by the Committee of Creditors ("CoC") at its first meeting held on 05 November 2020.

The committee has reported following recommendation w.r.t. M/s Essar Power MP Ltd.:

S.No.	Recommendations	Our reply
i)	The Essar Power MP Ltd.. Village Bandhaura, Distt, Singrauli (M.P.) shall be directed to compensate for loss of Ravi crop of Rs. 2012200/- .	As per government team assessment. (Amount of Rs 8,94,140 is available balance from our earlier paid compensation with District Administration for Crop Compensation in ash spillage area.) Approval for balance payment of INR 12,31,660 is already in place. However, the amount could not be remitted as the amount is related to "Pre-CIRP Period". Subsequent ADM, Singrauli has claimed the amount filling in From B and has sent to IRP (refer the attached in Annexure-I for reference). As per IBC this will be settled as per resolution process of NCLT.


ii)	The Essar Power MP Ltd.. Village Bandhaura, Distt, Singrauli (M.P.) may depute an agricultural for the assessment of damage to the crop productivity w.r.t. the Kharif & Ravi crop cultivated in 41 Ha of Village Karsualal and Karsuaraja for 2020-21 & 2021-22.	Essar Power MP Limited had contacted Agriculturist of Jabalpur University, Madhya Pradesh for assessment of damage to the crop productivity but due to COVID 19 pandemic, it has been postponed. Once the COVID 19 Pandemic subsides, the assessment of the damage to the crop productivity of Village Karsualal and Karsuaraja will be done by the agriculturist.
-----	---	---

I hope this is as per your requirement.


We hereby submit this letter for your kind information please.

Yours sincerely,

For Essar Power M.P. Ltd.



Authorized Signatory



27-E

Annexure-I

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक/1286/भू-अर्जन/2020

सिंगरौली दिनांक...26/12/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड बंधौरा
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- कृषकों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक EPMP/LA/6027/10 दिनांक 22.12.2020

--000--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा लेख किया गया है कि ऋण की अदायगी नहीं किये जाने के कारण लीड बैंक आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा एस्सार पावर एमपी.लिमिटेड के विरुद्ध एन.सी.एल.टी. (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिबुनल) में आवेदन प्रस्तुत किया जिसे एन.सी.एल.टी दिनांक 29.09.2020 के द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 03.10.2020 को आदेश पारित कर आई.आर.टी की नियुक्ति की जा चुकी है एवं एस्सार पावर एमपी लिमिटेड के बोर्ड की शक्तियाँ समाप्त कर दी गई है।

उक्त के संबंध में आपके द्वारा राखड डेम के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित कृषकों को फसल क्षतिपूर्ति राशि 1231660/- रु के बकाया भुगतान हेतु आई.आर.पी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र (FORM B) को भरकर आई.आर.पी को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त के संबंध में आई.आर.पी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र (FORM B) में भरकर आई.आर.पी. को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा चुका है। तत्संबंध में जानकारी सूचनार्थ प्रेषित एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि आर.आर.पी. से समन्वय स्थापित कर मांग पत्र में निर्धारित राशि यथाशीघ्र डी.डी. के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

सिंगरौली दिनांक...26/12/2020

पृ. क्रमांक/1287/भू-अर्जन/2020

प्रतिलिपि:-

1. स्टेनो टू कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. The Interim Resolution Professional / Resolution Professional Mr. ASHISH CHHAWCHHARIA REG. NO. IBBI/IPA001/IP-PO0294/2017-18/10538 Grant Thornton. 10C Hungerford street. Kolkata-700017 की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म०प्र०)

23

FORM B

PROOF OF CLAIM BY OPERATIONAL CREDITORS EXCEPT WORKMEN AND EMPLOYEES

(Under Regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

26-12-2020

To
The Interim Resolution Professional / Resolution Professional
ASHISH CHHAWCHHARIA
REG. NO. IBBI/IPA001/IP-PO0294/2017-18/10538
Grant Thornton, 10C Hungerford street,
Kolkata-700017

From
Add. Collector
D.P. Barman
District-Singrauli, Madhya Pradesh
Pin Code-486886

Subject: Submission of proof of claim.

Madam/Sir,

[Name of the operational creditor], hereby submits this proof of claim in respect of the corporate insolvency resolution process in the case of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

PARTICULARS	
1. NAME OF OPERATIONAL CREDITOR	ADD.COLLECTOR, DISTRICT- SINGRAULI, MP
2. IDENTIFICATION NUMBER OF OPERATIONAL CREDITOR (IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION. IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
3. ADDRESS AND EMAIL ADDRESS OF OPERATIONAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE	Add. Collector District-Singrauli, Madhya Pradesh Pin Code-486886, dmsingrauli@mp.gov.in
4. TOTAL AMOUNT OF CLAIM (INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE INSOLVENCY COMMENCEMENT DATE)	RS. 1231660/- (TWELVE LAKH THIRTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY ONLY)

PARTICULARS		
5.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED.	DEMAND- NOTE OF SUB DIVISIONAL MAGISTRATE , MADA DATED 09/11/2020 (COPY ENCLOSED)
6.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OR ORDER OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS	NIL
7.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED	CROP COMPENSATION OF VILLAGE KARSUALAL YEAR 2020-21
8.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	NIL
9.	DETAILS OF: a. any security held, the value of security and its date, or b. any retention of title arrangement in respect of goods or properties to which the claim refers	NIL
10.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE AMOUNT OF THE CLAIM OR ANY PART THEREOF CAN BE TRANSFERRED PURSUANT TO A RESOLUTION PLAN	A/C NO. - PD 18 A/C NAME - COLLECTOR AND JILA BHUARJAN ADHIKARI (NOTE - AMOUNT CAN ONLY BE ACCEPTED BY MODE OF DEMAND DRAFT . THERE IS NO FACILITY FOR ONLINE TRANSACTION TO THIS ACCOUNT)
11.	LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THIS PROOF OF CLAIM IN ORDER TO PROVE THE EXISTENCE AND NON-PAYMENT OF CLAIM DUE TO THE OPERATIONAL CREDITOR	AS PER DEMAND NOTE ENCLOSED
Signature of operational creditor or person authorised to act on his behalf <i>[Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of an operational creditor]</i>		
DWARIKA PRASAD BARMAN		
ADDITIONAL COLLECTOR, DISTRICT SINGRAULI , MP		
Add. Collector District-Singrauli, Madhya Pradesh Pin Code-486886, dmsingrauli@mp.gov.in		

*PAN number, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India

DECLARATION

I, Add. Collector currently residing at District-Singrauli, Madhya Pradesh hereby declare and state as follows:-

Essar Power MP limited, the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the 26 day of December 2020 actually indebted to me in the sum of Rs. RS. 1231660/- (TWELVE LAKH THIRTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY ONLY)

1. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: AS PER DEMAND NOTE OF SDM MADA
2. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed there from.
3. In respect of the said sum or any part thereof, neither I nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following: NIL

Date: 26.12.2020

Place: Singrauli Collectrate

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, Add. Collector District-Singrauli, the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at singrauli collectrate on this 26 day of December 2020

(Signature of the claimant)



E-mail-sdmmada1@gmail.com

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माड़ा जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक 950/एस.डी.ओ./री-2/2020

माड़ा दिनांक 09-11-2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एस्सार पावर एम.पी.लि. बन्धौरा
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:- कृषकों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराये जाने चावत्।

-----000000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि दिनांक 07.08.2019 को आपके कंपनी का ऐश ड्राईक टूटने से फसल एवं अन्य परिसम्पत्तियों की क्षति हुई थी। आपके द्वारा द्वारा तत्समय हुए फसल एवं परिसम्पत्तियों की क्षति भुगतान हेतु 50.00लाख (पचास लाख रु.) उपलब्ध कराये गये थे। उक्त राशि में से तत्समय 263 कृषकों को 4105860/-रु. (इकतालिस लाख पांच हजार आठ सौ साठ) राशि वितरित की गई है। उक्त राशि म म रु. 894140/- (आठ लाख चौरान्धे हजार एक सौ चालिस) राशि अभी वितरण से शेष है।

2- मान. एन.जी.टी. के निर्देशानुसार गठित जांच दल के निरीक्षण दिनांक 28.08.2020 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कृषकों के द्वारा मौसम रबी 2020 में राखड़ के कारण कोई भी फसल नहीं बोई गई। मौसम रबी अन्तर्गत 263 कृषकों गतवर्ष के अनुमान पर आधारित राशि 2125800/- (इक्कीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ रु.) की क्षति होना अनुमानित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि पूर्व में आपके द्वारा प्रदाय राशि में से रु. 894140/- (आठ लाख चौरान्धे हजार एक सौ चालिस) को घटाया जाकर रु. 1231660/- (बारह लाख इक्कीस हजार छः सौ साठ रु.) राशि तत्काल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कृषकों को मौसम रबी 2020 के अन्तर्गत फसलों की हुई क्षति हेतु राहत राशि वितरित किया जा सके।

दिनांक 09/11/2020

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माड़ा जिला सिंगरौली (म0प्र0)

जिला माड़ा दिनांक: 09/11/2020

प.क्र./ 950/एस.डी.ओ./री-2/2020

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भकुआर नौगढ़ तहसील सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
- 3- प्रभारी तहसीलदार तहसील माड़ा जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक 09/11/2020

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माड़ा जिला सिंगरौली (म0प्र0)
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

* SUB DIVISIONAL OFFICER/MAGISTRET MADA DISTT- SINGRAULI (M.P.) *

Item Nos. 01 to 03

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 117/2014

(With reports dated 04.09.2020, 06.09.2020 & 03.11.2020)

Shantanu Sharma Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

WITH

Original Application No. 499/2014

Anupam Raghav & Anr. Applicant(s)

Versus

U.O.I. & Ors. Respondent(s)

WITH

Original Application No. 102/2014
(M.A. No. 168/2019, M.A. No. 12/2020,
M.A. No. 13/2020 & M.A. No. 70/2020)

Sandplast (India) Ltd. & Ors. Applicant(s)

Versus

MoEF & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 04.11.2020

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

Respondents: Mr. K.K. Singh, Advocate for MoEF&CC
Mr. Raj Kumar, Advocate for CPCB
Mr. K. M. Nataraj, ASG with Mr. Shailesh Madiyal, Advocate for NTPC
Mr. Bharat Sangal, Senior Advocate with Ms. Anindita Deka, Advocate for R-129
Ms. Ranjana Roy Gawai, Advocate in M.A. No. 12/2020 & 13/2020
Mr. Sitiesh Mukherjee, Advocate in M.A. No. 70/2020

ORDER

1. This order is in continuation of order dated 20.11.2018 and subsequent orders in the matter on the subject of management of fly ash generated by the Thermal Power Plants (TPPs).

2. This Tribunal considered the impact of non-utilization and proper disposal of fly ash by the TPPs on air quality, surface water, ground water, health and environment. After considering the notifications issued by the Ministry of Environment and Forest & Climate Change (MoEF&CC) requiring 100% utilization of fly ash by 31.12.2017 and applicable norms for utilization of fly ash, this Tribunal directed preparation of action plans to achieve 100% utilization of fly ash and for its scientific disposal. The Committee comprising MoEF&CC, CPCB and IIT Roorkee was to determine the liability of the TPPs for damages on 'Polluter Pays' principle.

3. We may notice the case set out by the applicant in O.A. No. 117/2014. Other connected matters are identical. Non-utilization and improper disposal of fly ash leads to increase in air pollution and causes severe health problems. It also affects horticulture and agricultural crops. As at present, there is increase in ash pond areas and increased height of ash dykes on account of increase of fly ash. Apart from air pollution, there is pollution of surface water and ground water. Major pollutants in fly ash are Arsenic and Mercury. Both the said pollutants are injurious for the land and the water bodies. Thus, there is need for 100% utilization of fly ash by all possible means such as conversion to ash based products, preventing its washing away or flying in the air.

4. Air pollution and water pollution are continuing against mandate of law for which no remedial action is being taken. MoEF&CC has failed to ensure proper monitoring and compliance mechanism inspite of

issuing notification on the subject. This is resulting in failure to enforce the mandate of law under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Environment (Protection) Act, 1986 (EP Act), apart from damage caused to the environment and public health. This is infringement of 'Sustainable Development' and 'Precautionary' principles. As a consequence of continuing air and water pollution, 'Polluter Pays' principle also needs to be invoked.

5. Notification dated 14.09.1999 was issued by the MoEF&CC which required use of atleast 25% of the ash for clay bricks or tiles or blocks for use in construction activities. The Delhi High Court vide judgment dated 05.08.2004 in Writ Petition (C) No. 2145/1999 directed the Government to make use of fly ash mandatory in roads apart from using it in bricks for construction. Land, electricity and water is required to be made available for promoting ash based production units. Vide amendment dated 03.11.2009, provision was made for its use in manufacturing of building material and in construction activity to preserve top soil. Since quantum of fly ash has increased, the extent of fly ash required to be used in terms of above notification was also increased.

6. In view of the rising concern on account of failure of efficacy of the measures already taken, a Working Group was constituted by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India. In its report submitted in the year 2011, the said group inter-alia observed that increase in generation of fly ash has led to increase in requirement of land and thus target has to be of 100% utilization as against 60%. The disposal process lacked transparency and it was necessary that each thermal power plant displays complete

information in terms of compliance to environmental norms. Other measures adopted include policy of financial institutions to require compliance of fly ash as a condition for grant of loan and incentives in terms of excise duty. The applicant has also referred to the report jointly published by the World Bank and the Department of Economic Affairs, Govt. of India pointing out the deficiencies in pro-active government policies on the subject.

7. We may now refer to the Notifications on the subject. We have already mentioned that vide Notification dated 14.09.1999, the MoEF&CC issued directions requiring manufacturers of clay bricks or tiles or blocks or construction activities to mix atleast 25% of ash which is to be ensured by the Pollution Control Boards/Committees by canceling the consent order for brick kilns or mining leases. Every thermal power plant was required to make available such ash and phase out dumping and disposal in three years to the extent of 30%, and the remaining in six years. This applied to plants permissions being issued subject to Environmental Clearance prescribing such conditions. The remaining are required to be phased-out in 15 years compliance regarding which made necessary to be furnished to the Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Boards/Committees. The Electricity Boards, NTPC and the management of the power plants are to facilitate making available land, electricity and water for manufacturing activities and also to provide access to the ash lifting area and furnish annual implementation report. Manufacturers of ash based products such as cement, blocks, brick panels were to operate as per the guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Bureau of Mines, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, New Delhi,

Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government agencies. The said authorities are to prescribe the use of ash and ash based products in schedules of specifications. Local authorities are to specify such requirement in building bye-laws.

8. Vide Notification dated 27.08.2003, certain amendments were made particularly to the effect that construction agencies were required to use the fly ash to the extent of 100% in a phased manner upto 31.08.2007. Next Notification is dated 03.11.2009, revising the timelines and the period for implementation. The revised timelines apply to the construction agencies as well as thermal power plants as per details mentioned in the said Notification. The said Notification also provided for shifting of the fly ash by filling empty mined voids by stowing.

9. Under the above notification, a Monitoring Committee is to be constituted in every State/Union Territory under the Chairmanship of the Secretary, Department of Environment with representatives from Department of Power, Department of Mining, Road and Building Construction Department and State Pollution Control Board. The Committee is required to deal with any unresolved issue by Dispute Settlement Committee in addition to the monitoring and facilitating the implementation of the notification. Monitoring Committee constituted by the MoEF&CC is to have members from Ministry of Coal, Ministry of Power, Central Pollution Control Board, Central Electricity Authority, Head, Fly Ash Unit of the Department of Science and Technology and Building Material Technology Promotion Council.

10. It is further stated in the affidavit of the MoEF&CC that as per the information received from Central Electricity Authority (CEA), during a meeting, the fly ash generation from 138 thermal power plants is reported to be 163.56 million tons during the year 2012-13. The overall utilization of fly ash was 100.73 million ton, which is about 61.37% of the total fly ash generated. During the year 2012-13, out of 138 (one hundred thirty-eight) thermal power stations for which data was received, 66 (sixty-six) power stations have achieved the targets of fly ash utilization as stipulated in the notification dated 03.11.2009. The remaining 33 (thirty-three) plants have achieved the level of fly ash utilization up to 75%. The 19 (nineteen) plants have achieved the level of fly ash utilization up to 60%.

11. CPCB has given a chart showing progress of fly ash generation and utilization from 1996 to 2012. Some of the State Pollution Control Boards/Committees have filed their affidavits indicating the extents to which utilization of fly ash has taken place.

12. Vide Notification dated 27.01.2016, further amendment was made to the Notification dated 14.09.1999 mainly to the effect that the area within which the fly ash is to be utilized has been increased to 300 kms. The time period to comply with the requirements of 100% utilization of fly ash was extended to 31.12.2017.

13. After due consideration, the Tribunal constituted a joint Committee vide order dated 20.11.2018 to finalise action plan to achieve 100% utilization of fly ash and to determine the amount of damages to be paid for the violation by the TPPs and also directed interim compensation for the TPPs who are failed to dispose of 100% fly ash upto 31.12.2017. The operative part of the order is:-

33. We are of the view that a Joint Committee of the representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Central Pollution Control Board and IIT Roorkee and any other member considered necessary by MoEF&CC needs to be forthwith constituted to finalize action plan covering all aspects so as to not only achieve 100% utilization of fly ash but also to ensure its scientific and environmentally sound disposal. The Committee will also be required to determine the amount of damages to be paid for the violation of requirement of utilization of fly ash. Needless to say that statutory authorities under the Environment (Protection) Act, 1986, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 are entitled to assess and recover damages on ‘Polluter Pay’s Principle’ in exercise of incidental powers to protect environment. The Committee may determine any other allied or incidental issue.

34. Accordingly, we direct constitution of such a Committee by the MoEF&CC forthwith. The Committee may give its report within two months from the date of its assuming charge to the MoEF&CC.

35. The report of the Committee may be complied with by all concerned, subject to any challenge to such report, in accordance with law.

36. Pending submissions of such report, we direct all Thermal Power Stations who have failed to dispose of 100% fly ash up to 31.12.2017, to deposit damages for environment restoration as follows:

Sl. No.	Capacity of the Thermal Power Plant	Cost of damages
1.	Thermal Power Plants upto the capacity of 500 MW	Rs. 1 Crore
2.	Thermal Power Plants upto the capacity of 1000 MW	Rs. 3 Crores
3.	Thermal Power Plants beyond the capacity of 1000 MW	Rs. 5 Crores

37. The above amount may be deposited with the CPCB within one month from today, failing which interest @ 12% p.a. will be payable for the delayed period. The amount may be spent on restoration and restitution of the environment.

38. No damages will be payable by the Thermal Power Plants which have utilized 100% of the ash generated by it in accordance with law up to 31.12.2017 and disposing it in scientific manner. In case, any such claim is found to be false by the Committee, the amount of penalty payable may be up to five times.

39. The MoEF&CC may furnish an action taken report to this Tribunal on or before 31.03.2019 by e-mail at ngt.filing@gmail.com. All the applications are disposed of.”

14. The matter was further considered in light of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 13.12.2018 in Diary No. 46100/2018, *Association of Power Producers v. Sandplast (India) Ltd. & Ors.*

15. On the last date i.e. 12.02.2020, the Tribunal reviewed the matter further in the light of the report of the joint Committee filed on 20.12.2019. It was observed:-

“21. Pursuant to order dated 20.11.2018, the joint Committee has filed its report on 20.12.2019 on the subject of action plan to achieve 100% fly ash utilization by the TPPs and liability of the TPPs to pay compensation. The report mentions the meetings held for the purpose and consideration of the enhanced utilization of fly ash by way of Ash based building construction material such bricks/blocks/tiles; road, flyover embankment construction, Development of low- laying areas, Reclamation of abandoned mine voids, Ash utilization as soil conditioners of agriculture. As per CPCB, about 77% of total fly ash generated per annum is utilized. This indicates a gap in terms of 23% which needs immediate action. In terms of legacy waste, the total quantum is 1647 million tonnes as on 31.03.2019.

22. The Committee recommended one year time to achieve 100% utilization of fly ash where the utilization currently was more than 85% and two years for the remaining. The action plans of 118 individual units have been annexed. The compliance status is to be reviewed quarterly and on annual basis. On the subject of environmental compensation, it is recommended that compensation should be imposed only on non-pit head TPPs.”

16. It was further observed that this Tribunal has noticed repeated and continuous defaults by the TPPs resulting in damage to the environment and public health for which compensation has been assessed by the experts under orders of the Tribunal.

In O.A. No. 453/2019, *Anjani Jaiswal vs. Union of India & Ors.*, vide order dated 11.10.2019, this Tribunal considered reports of the MPPCB and UPPCB in respect of pollution by the TPPs in districts Singrauli and Sonebhadra respectively. It was found that damage was being caused to the water bodies including Rihand reservoir, surface and ground water and rivers like Son, Renu, Bijul, Kanhar, Gopad, Pankagan, Kathauta

Kachan, etc. and streams/nalas like Ballia Nala, Chatka Nala, Kahuwa Nala, Tippa Jharia, Dongia Nala, etc. water was contaminated by toxic effluents discharged and was not fit for consumption.

MPPCB furnished its report dated 21.08.2019 recording a finding that pollution was taking place and recommending compensation as follows:

“Details of imposed Environmental compensation

*As per the Environmental Compensation guidelines framed by CPCB in compliance of order 31.08.2018 in O.A. 593/2017 the maximum environmental compensation is Rs. 30,000/- per day of non-compliance. The total amount of **56,08,50,000/- (Fifty Six Crore Eight Lac Fifty thousand rupees)** may be imposed upon the 03 TPP & 08 NCL mining project against the non-compliance of the major notification, direction & recommendations issued since 2014.*

Summary of the days of non-compliance & Environmental compensation therefore is as tabulated below:

S. No.	Thermal power plant & Northern Coalfield Mine	Days of Non-compliance	Environmental Compensation in Rupees @ 30000/day
1.	M/s Essar Power MP Limited, Singrauli, MP	01	30,000/-
2.	M/s Sasan Power Limited, Singrauli, MP	1247	3,74,10,000/-
3.	M/s NTPC, Vindhyachal, Singrauli, MP	1389	4,16,70,000/-
4.	NCL, Nigahi, Singrauli	1825	5,47,50,000/-
5.	NCL, Gorbi Block-B, Singraulli	1843	5,52,90,000/-
6.	NCL, Khadia Project,	1825	5,47,50,000/-
7.	NCL, Amlohri area, Singraulli	2185	6,55,50,000/-
8.	NCL, Bina project	1825	5,47,50,000/-
9.	NCL, Dudhichua area	1825	5,47,50,000/-
10.	NCL, Jayant Project	2455	7,36,50,000/-
11.	NCL, Jhingurda area	2275	6,82,50,000/-

PPCB also found pollution by the TPPs in its report dated 28.08.2019 and compensation was recommended as follows:

“Abridged Status of Environmental Compensation (EC)

S.No.	Name of industry (M/s)	EC in Rs.
1.	NTPC Thermal Power Plant, at Shaktinagar, Sonebhadra (U.P)	27,00,000
2.	Northern Coal Fields Limited (NCL) Project Dudhichua, Sonebhadra (U.P.)	1,30,20,000
3.	Northern Coal Fields Limited (NCL) Project Khadia, Sonebhadra (U.P.)	1,24,80,000
4.	Northern Coal Fields Limited (NCL) Project Krishnashila, Sonebhadra (U.P.)	6,11,40,000
5.	Northern Coal Fields Limited (NCL) Project Bina, Sonebhadra (U.P.)	64,50,000
6.	Northern Coal Fields Limited (NCL) Project Kakri, Sonebhadra (U.P.)	64,50,000
	NTPC Thermal Power Plant at Rihandnagar, Sonebhadra (U.P.)	45,90,000
7.	U.P. Power Corporation Ltd, Thermal Power Plant, Obra, Sonebhadra (U.P.)	6,11,40,000
8.	U.P. Power Corporation Ltd, Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra (U.P.)	6,11,40,000
10.	LANCO Anpara Power Ltd, Thermal Power Plant, Anpara, Sonebhadra (U.P.)	23,70,000

Apart from recommendation for compensation, the UPPCB also recommended remediation measures and study of carrying capacity as follows:-

“11. Recommendations

In order to suitably address the critical issues of potential concerns to environment in the Singrauli Area, the Committee proposes following Recommendations subject to approval of Hon'ble NGT:

- a. *In keeping with the strict compliance of this referenced Order of Hon'ble NGT, the Statutory Authorities may take note of the findings of this report and ensure appropriate*

action for recovery of Environmental Compensation due to damage caused to environment.

- b. Considering complexity of study components and required expertise in related field / discipline, estimation of environmental damage and cost of remediation be worked out by a consortium of reputed institutions namely National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee, National Geophysical Research Institute (NGRI), Hyderabad; National Institute of Occupational Health (NIOH), Ahmedabad; National Botanical Research Institute (NBRI), Lucknow and Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow or such other institutions of repute. U.P. Pollution Control Board and M.P. Pollution Control Board may be nodal agencies for execution of the above activities in their respective jurisdiction.*
- c. Irrigation Department in U.P. State is required to come out with status of silting in the reservoir impacting adversely on the water holding capacity of the reservoir and possible threat (if any) on the structure of the Rihand dam as the latter was designed to hold water column and is expected to practically holding a significant column of silt due to discharge of industrial effluents.*
- d. Environmental carrying capacity in Singrauli area must be worked out to take a decision on new / expansion projects and also to devise an environment friendly strategy on pollution control by the industries in the area.”*

17. The Tribunal also considered the subject of parameters for determining environmental compensation. Apart from the said issues, there was specific consideration with regard to the breach of fly ash dyke of ESSAR Thermal Power Plant and NTPC, Vindhya Nagar at Singrauli, M.P. In O.A. No. 164/2019, with reference to breach of fly ash dyke of ESSAR Thermal Power Plant and NTPC, Vindhya Nagar at Singrauli, M.P., the Committee appointed by this Tribunal headed by Justice Rajes

Kumar, former Judge of Allahabad High Court, in its report dated 03.11.2019 observed:-

“(2) By persuasion and monitoring, the Fly Ash disposal by the Thermal Power Plants has been increased but 100% disposal could not be achieved. Disposal of stocked Fly Ash has not yet been started. An exclusive meeting of the Thermal Power Plants has been held on 22nd October, 2019. The meeting was very successful. Some positive suggestions have come out to deal with the Fly Ash. Copy of the Minutes has already been sent by email. It is stated that the Fly Ash is the main cause of the air pollution in the Singrauli-Sonbhadra area. Since the installation of the Thermal Power Plant(s) from the year 1981 onwards, no sincere effort was made by the Thermal Power Plants for the disposal of Fly Ash. It is only because of the sincere effort made by the Committee and regular monitoring, the Thermal Power Plants have started taking steps for disposal of Fly Ash.

(3) Construction of the Fly Ash Dyke and its maintenance was not found technically sound and proper. Recently, two Fly Ash Dykes – one of ESSAR Thermal Power Plant and another of NTPC, Vindhyanagar were breached, causing heavy environmental damages. The Committee has taken serious note about this happening and has given direction to all Thermal Power Plants to get the certificate of the third party expert about the construction and stability of the Fly Ash Dyke. The Committee is seriously monitoring.

(4) Since long, the industrial effluents have been drained in the Rihand Reservoir. The Fly the Fly Ash has also been drained by some of the Thermal Power Plants, Ash travelled to the Rihand Reservoir, polluting the water of the Rihand Reservoir, which is only source of water. The committee has taken a very serious note of this issue and directed the U.P. Pollution Control Board to prepare a DPR for de-silting of sludge in order to purify the water and to increase the capacity of the Rihand Reservoir which has been substantially reduced due to drainage of affluents and fly ash.

(8) Shri Ashwani Kumar Dubey has filed one Application seeking the various reliefs on account of the environmental damages being cause by the breach of Fly Ash Dyke of ESSAR Thermal Power Plant. The enquiry in pursuance thereof is going on. Shri Ashwani Kumar Dubey has also filed a second Application seeking various reliefs on account of the breach of the Fly Ash Dyke of NTPC Vindhyanagar causing environmental damages. The enquiry in this regard is going on and is pending.”

18. Finally, the Tribunal passed following operative order:-

“30. We have considered the written submissions filed by the individual TPPs. In view of earlier orders dealing with the contentions of the TPPs, there is no merit in the stand that the said

plants are not liable for 100% fly ash disposal. Difficulties pointed out are of no relevance as the same are to be resolved by the administration and not by the victims of pollution whose rights are being affected. Environment cannot be violated against statutory norms. Violation of statutory notifications needs to be visited sternly in terms of enforcing the same, recovering compensation and prosecuting the violators. Whatever be the individual circumstances, it cannot be a ground to disobey law and to commit criminal offence under the Water Act, Air Act and EP Act. There is no discretion available with this Tribunal to dispense with the mandate of law. Statutory provisions are binding on every TPP without any exception. It is, thus, not necessary to go into the justification or otherwise of such impermissible defence of the TPPs.

31. In view of above, all TPPs must take prompt measures for disposal of both current and accumulated fly ash. In respect of non-compliant TPPs, Polluter Pays principle has to be applied from the cut-off date of 31.12.2017, apart from other statutory consequences for continued violations.

32. Thus, our directions are as follows:-

- a. The TPPs may take prompt steps for scientific disposal of fly ash in accordance with the statutory notification issued by the MoEF&CC under the provisions of EP Act requiring 100% utilization and disposal of fly ash.
- b. For the non-compliant TPPs, environmental compensation needs to be determined w.e.f. the cut-off date of 31.12.2017 as stipulated in the Notification dated 27.01.2016.
- c. CPCB may accordingly compute and levy Environmental Compensation in accordance with the formula referred to above w.r.t. individual TPPs in accordance with law and submit compliance report to this Tribunal before the next date.
- d. CPCB Guidelines of May 2019 for Utilization/Disposal of Fly ash for Reclamation of Low Lying Areas and in Stowing/Back filling of Abandoned Mines/Quarries may be complied.
- e. Task Force of Ministry of Power and Ministry of Coal may recommend list of abandoned mines/quarries for mine back filling purposes to the CPCB. CPCB may notify the same accordingly for use by the TPPs as per applicable guidelines and permission from State PCBs/PCCs.
- f. A Committee comprising of CPCB and IIT Roorkee may assess the environmental damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP an Essar TPP in Singrauli area and submit its recommendation within three months. CPCB shall be at liberty to engage any other technical expert for this purpose.

- g. *The Committee comprising of Collector, CPCB and Member Secretary of MP State Pollution Control Board may assess the damage with regard to the breach sites at Vidhyanchal TPP and Essar TPP in Singrauli area to the crop and agricultural productivity and ensure effective restoration/remediation of affected sites within three months.*
- h. *CPCB may ensure implementation of action plans approved by it in accordance with timeline as provided in the statute.*
- i. *A joint Committee comprising of MoEF&CC, CPCB, IIT Roorkee and any other member considered necessary may submit quarterly progress report on recommendations of Expert Committee of Niti Aayog for enhanced utilization of fly ash in various sectors: mines, roads, cement, industries and bricks etc., along with its implementation status.*
- j. *The present order is subject to proceedings pending before the Hon'ble Supreme Court and where stay is operative, this order will not operate till stay continues and thereafter abide by orders of Hon'ble Supreme Court."*

19. Accordingly, compliance reports have been filed by the MoEF&CC, the CPCB and the joint Committees.

20. The report filed by the MoEF&CC on 03.11.2020 with regard to enhanced utilisation of fly ash is that guidelines for disposal/utilization of the fly ash for reclamation of low lying areas and in using of abandoned mines/Quarries, in consultation with Central Pollution Control Board and Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad has been published in March, 2019. As per policy decision dated 28.08.2019, restriction on backfilling of fly ash in abandoned mines and low lying areas has been removed. National Highways Authority has given an action plan on 30.09.2019 for enhanced utilization of fly ash. Direction has been issued on 02.03.2020 to Ministry of Power, Ministry of Road Transport & Highways, Ministry of Coal, Ministry of Housing and Urban affairs, Central Pollution Control Board, National Thermal Power Corporation and National Highways Authority of India requesting them to furnish the progress report/action

taken report. Ministry of Coal has submitted ATR via email dated 06.11.2019, 08.04.2020, 03.09.2020 respectively on the recommendations of Expert Committee i.e. “mining companies should share their experience of mines backfilling to enhance fly ash utilisation in this sector”. MoEF & CC has shared the report on fly ash filling experience in CIL mines and also the list of mines identified by Ministry of Coal for fly ash filling with CPCB and Ministry of Power with request to furnish progress report in this regard vide letter dated 27.04.2020. Ministry has issued a reminder letter vide email dated 07.07.2020 to Ministry of Power, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Housing and Urban affairs, Central Pollution Control Board, National Thermal Power Corporation, National Highways Authority of India requesting to furnish the progress report/action taken report at the earliest.

21. Report of CPCB filed on 04.09.2020 is to the effect that environmental compensation has been computed. Out of 112 plants, two have paid while 102 plants have sought exemption. List of 21 abandoned mines has been finalized for utilization of the fly ash. Action with regard to the directions (f) and (g) is pending finalization. Utilization status for 2018-2019 and 2019-20 has been monitored.

22. A report has been filed by the joint Committee constituted in terms of direction (f) of order dated 12.02.2020 on 06.09.2020 regarding Environmental Compensation for Vidhyanchal TPP and Essar TPP. The assessment of compensation is as follows :-

“3. Damage assessment fir M/s Essar Power MP Ltd & M/s NTPC Vindhnagar

The Committee has assessed the environmental damage based on the available monitoring reports, field reports and literature. The brief on damage cost is as tabulated below:-

Industrial Unit	GHG emission damage cost in Crore Rs.,	Water pollution/environmental property/other damage cost in Crore Rs.	Total In Crore Rs.
M/s Essar Power MP Ltd	0.0711	7.28	7.3511
M/s NTPC Vindhnapur	0.0384	104.13	104.1684

23. The recommendations in the report are as follows:-

“i. Industrial units have engaged professional institute NEERI, Nagpur to assess the damage; the institute needs to assess the site specific long term direct or indirect impact on the flora fauna, human health and consumptive cost.

ii. Industrial units need to comply for 100 % fly ash utilization to avoid such incidence in future.

iii. To install monitoring stations on the affected sites, to continuously monitor the movement of plume underground or the leaching of toxic heavy metals from the sediment

iv. Industrial units need to take care for the health of worker s employed for spill clean-up working.”

24. Second report is by the Committee constituted in terms of direction (g) for assessment of compensation to the crop and agricultural productivity by Vidhyanchal TPP and Essar TPP. The Compensation has been assessed, for which recommendation is as follows:-

“3. Restoration/remediation of the site

a. Restoration of site by M/s Essar Power MP Ltd.

The team of district administration and Madhya Pradesh Pollution Control Board has visited the ash dyke breached data area on 02.02.2020 to physically verify the status of restoration work of the site. The report submitted vide letter no. 1125/RO/PCB2020 dated 17.02.2020 by MPPCB, Singrauli states that the ash spread over the field and water bodies was collected and dumped at ash dyke no. 3. The photographs attached with the report show that ash spread over the fields was removed and site is restored. Copy of the report is enclosed as Annexure-IX. Further after the site collection of ash from the fields by M/s Essar Power MP Ltd., farmers have sown the Kharif crop during this monsoon.

b. Restoration of site by M/s NTPC Vindhnapur

As there was no agricultural activity is in practice inside the NTPC ash dumping area; no crop damage was reported and same was recorded by district administration. As per the status report submitted by M/s NTPC Vindh nagar on 27.07.2020; the ash spread over the land and in drains and near pond were collected that was about 1 Lac ton. The collection of ash deposited near the Rihand reservoir is delayed due to swampy land and problems of machinery movement, which is likely to be completed by 15-09.2020. The dredging of the affected portion of the Rihand Reservoir is also being started. Copy of the status report submitted by NTPC is enclosed as Annexure-X.”

Recommendation:

- a. *The Essar Power M.P. Ltd. Village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P) shall be directed to compensate for indirect loss of Rabi Crop of Rs. 2014200/-*
- b. *The Essar Power M.P. Ltd. Village Bandhaura, Distt. Singrauli (M.P) may depute an agricultural institute for the assessment of damage to the crop productivity w.r.t. the Kharif and Rabi crop cultivated in 41 Ha of Village Karsualal and Karsuaraja for 2020-21 & 2021-22.”*

25. Let further steps be taken in terms of the above reports subject to the orders of the Hon'ble Supreme Court in matters pending therein. Further progress report may be compiled by the MoEF in terms of direction (i) in the order dated 12.2.2020. CPCB may finalise the issue of compensation determination. We approve the reports of the joint Committees. Recovery of compensation will be as per directions of the Hon'ble Supreme Court wherever there is stay.

M.A. No. 12/2020 and M.A. No. 13/2020 have been filed by Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) and Talwandi Sabo Power Limited to submit that their plans have been furnished to the MoEF&CC which should be taken into account by the MoEF&CC. The applications are disposed of.

M.A. No. 70/2020 has been filed by Orissa Power Generation Corporation which is merely to place on record its stand, which is of formal nature. This stand can be dealt with in due course. The application is disposed of.

M.A. No. 168/2019 was filed by the MoEF&CC on 01.07.2019 for extension of time. No further order is necessary on the said application, in view of lapse of time. The application is disposed of.

The CPCB, the MoEF&CC and the joint Committees may file their further status reports with regard to the status as on 30.4.2021 before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee is at liberty to take assistance of such other experts as they find necessary.

List for further consideration on 19.05.2021.

A copy of this order be sent to the CPCB, the MoEF&CC and the members of the joint Committees in terms of order dated 12.2.2020 by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.K. Singh, JM

Dr. S.S. Garbyal, EM

Dr. Nagin Nanda, EM

November 04, 2020
Original Application No. 117/2014
and other connected matters
SN